लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३६, १९५९/१८८१ (शक)

[३० नवम्बर से ११ दिसम्बर १९५९/९ से २० अग्रहायण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

नवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३६ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

318 (Ai) L.S.D.—10.

विषय सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खंड ३६—अंक ११ से २०—३० नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५९/९ से २० अग्रहायण, १८८१ (शक)

अंक ११—सोमवार ३० नवम्बर, १९५९/९ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित* प्रश्न संख्या ३९९, ४०१ से ४०५, ४०७, ४०९, ४१३ से ४१६, ४३४, ४१७, ४१८, ४२२, ४२४ तथा ४२६ . . ११३५–५८

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— ११५८–६३

तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०६, ४०८, ४१० से ४१२, ४१९ से ४२१, ४२३, ४२५, ४२७ से ४३३ तथा ४३५ से ४४२ ११६३–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२२ से ७०० . ११७४–१२११

स्थगन प्रस्ताव— . १२११–१५

(१) आसनसोल में विस्फोट।

(२) बम्बई में स्थित चीनी तथा अमरीकी वाणिज्य-दूतावासों की घटना।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२१५–१९

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ आश्रम (निरीक्षण और नियंत्रण) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . १२१९

भारतीय सांख्यिकीय संस्था विधेयक—पुरस्थापित १२१९

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक १२२०

विचार करने के लिये प्रस्ताव १२२०–४८

दैनिक संक्षेपिका . १२४८–५४

अंक १२—मंगलवार, १ दिसम्बर, १९५९/१० अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- .

तारांकित* प्रश्न संख्या ४४३, ४४४, ४४६ से ४४९, ४५१ से ४६०, ४६२ से ४६४, ४६६ और ४६८ १२५५–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४५, ४५०, ४६१, ४६५, ४६७, ४६९ से ४८९ १२८०–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०१ से ७७३ . . १२९२–१३२४

स्थगन प्रस्ताव—

(१) त्रिवेन्द्रम में कुछ लोगों की न्याय-विरुद्ध गिरफ्तारी तथा रिहाई। १३२४—२६

(२) अमृतसर-पठानकोट रेल मार्ग पर विस्फोट—

आसनसोल में विस्फोट के बारे में . . . १३२६–२७

चिंघाई-तिब्बती राजपथ के बारे में वक्तव्य . . . १३२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३२८–२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १३२९

श्रीपुर कोयला खान के अन्दर छत का गिरना।

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक--

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . . १३३०—५३

खंड २, ३ और १ . . . . . १३५४–५५

पारित करने के लिये प्रस्ताव १३५५

केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक --

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . १३५५—६२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३६३—६९

अंक १३—बुधवार, २ दिसम्बर, १९५९/२२ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ४९० से ५०५, ५०८ और ५०९ . १३७१—९६

प्रश्नों क लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७ और ५१० से ५४३ . . १३९६—१४१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७४ से ८३६ . . . . १४१२—४४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० के उत्तर में शुद्धि . . . १४४४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १४४४–४५

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) १४४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . १४४५

बावनवां प्रतिवेदन—

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना का स्पष्टीकरण करने वाला वक्तव्य १४४५–४६

त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक—पुरस्थापित . . १४४६

केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक . . १४४६—५१

पृष्ठ

विचार करने के लिये प्रस्ताव १४४६—५१
खंड २, ३ और १ . १४५१—६८
पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . १४६८—६९
वर्ष १९५९—६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) . . १४६९
विधि व्यवसायी विधेयक . . १४६९—८०
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव ।
दैनिक संक्षेपिका १४८१—८६

अंक १४—गुरुवार, ३ दिसम्बर, १९५९/१२, अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ५४४, ५४५, ५४७ से ५५६ और ५५९ १४८७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४६, ५५७, ५५८ और ५६० से ५८० १५११—२२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८३७ से ९२० १५२२—६३

स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी प्रक्रिया १५६३—६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५६४
राज्य सभा से सन्देश . . . . . १५६४—६७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १५६७
दिल्ली में भूमि का अर्जन—
केरल विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५९—पुरःस्थापित . . १५६७
चीनी (विशेष उत्पादन-शुल्क) विधेयक—पुरस्थापित . . . १५६७
चीनी (विशेष उत्पादन-शुल्क) अध्यादेश के बारे में विवरण . . १५६७
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १५६७

विधि-व्यवसायी विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव . . . . १५६९—८५

दहेज निषेध विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १५८५—८८
डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना के बारे में प्रस्ताव . १५८८—९९
दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६०१—०७

विषय सूची पृष्ठ

अंक १५—शुक्रवार, ४ दिसम्बर, १९५९/१३, अग्रहायण १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ५८१ से ५८७, ५८९ से ५९२, ५९४ से ५९६ और ६०० . . . . १६०९—३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १६३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९३, ५९७ से ५९९, और ६०१ से ६०९ . १६३७—४४

अतारांकित प्रश्न सख्या ९२१ से ९६९, ९७१ से ९८७, ९८९ से ९९९ और १००१ से १००४ . . . . . १६४४—८०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में . . . . १६८०—८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १६८३—८४

राज्य सभा से सन्देश १६८४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . १६८४—८७
जामुरिया बाजार में विस्फोट ।

मतविभाजन के परिणाम में शुद्धि १६८७

सभा का कार्य . . . . . १६८७—८९

केरल विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित . . . १६८९—९०

दहेज निषेध विधेयक ।

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप हुं विचार करने के लिये प्रस्ताव . १६९०—१७०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . १७०५—०६
बावनवां प्रतिवेदन ।

देश के प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में संकल्प . . . १७०६—३७

औषधि उद्योग के सरकारी उपक्रम के रूप में विकास के बारे में संकल्प . १७३७

कार्य-मंत्रणा समिति । १७३७
छियालीसवां प्रतिवेदन

दैनिक सक्षेपिका . . . . . १७३७—३८

विषय सूची पृष्ठ

अंक १६—सोमवार, ७ दिसम्बर, १९५९/१६ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६१० से ६२२ ६२४ और ६२५ . . १७४५—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न सख्या ६२३ और ६२६ से ६५६ १७६८—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १००५ से १०१५ और १०१७ से १०६५ १७८२—१८०५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८०५—१०

राज्य सभा से सन्देश १८१०

विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) विधेयक . १८१०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १८१०—११

उत्तर प्रदेश में मकानों के किरायों में वृद्धि ।

कार्य मत्रणा समिति . १८११—१२

छियालीसवां प्रतिवेदन ।

दहेज निषेध विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव १८१२—३५

खड २ और ३ ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . १८३५—५०

मैथौनल प्लांट, सिन्दरी के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १८५०—५४

दैनिक सक्षेपिका . . . १८५५—६१

अंक १७—मंगलवार, ८ दिसम्बर, १९५९/१७ अग्रहायण १८८१ (शक)

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* सख्या ६५७ स ६६३ और ६६५ से ६७२ १८६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६४ और ६७३ से ६९६ १८८६—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६६ से ११३९ . १८९७—१९३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १९३४—३५

अमृतसर-पठानकोट रेल मार्ग पर विस्फोट ।

विषय सूची	पृष्ठ

दहेज निषेध विधेयक—

खंड २ और ३ . . . . . . १६३५—५१

खान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . . . . १६५१—६१

दैनिक सक्षेपिका . . . . १६६१—६७

अंक १८—बुधवार, ९ दिसम्बर, १९५९/१८, अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६९७ से ७०७, ७१० और ७१२ . . १९६९—९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७०९, ७११ और ७१३ से ७५२ . १९९३—२०१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११९५ और ११९८ से १२२७ . २०१२—५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०५४-५५

राज्य सभा से सन्देश २०५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति . . २०५६

तिरेपनवां प्रतिवेदन ।

मनीपुर भु-राजस्व तथा भुमि सुधार विधेयक—पुरःस्थापित . . २०५६

दहेज निषेध विधेयक २०५६-५७

खंड २, ४ से १० और १ . . . . . . २०५७—७३

पारित करने के लिये प्रस्ताव २०७३

खान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . . . . २०७३—७९

भारतीय श्रम सम्मेलन के सोलहवें अधिवेशन की कार्यवाही . . २०७९—९२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २०९३—९८

अंक १९—गुरुवार, १० दिसम्बर, १९५९/१९ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ७५३ से ७६७ . . . . २१०९—२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २१२३—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८ से ७९२ . . . . २१२६—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२८ से १२८२ . . . २१३७—५८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१५८—५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २१५९—६०

दक्षिण रेलवे पर लाइन का टूट जाना ।

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . २१६१—६३

खान (संशोधन) विधेयक . . २१६३—७०

विचार करने के लिये प्रस्ताव २१७०

खंड २ से २९, ३१ से ४३, नया खंड ४३ क, ४४ से ४७, ३० और १ . २१७०—८६

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २१८६—८७

वर्ष १९५९—६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . . २१८७—२२०४

दैनिक संक्षेपिका . २२०५—१०

अंक २०—शुक्रवार, ११ दिसम्बर, १९५९/२० अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ८०७, ८१० और ८११ . . २२११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९ और ८१२ से ८२६ २२३४—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८३ से १३४७ . . २२४०—७२

स्थगम प्रस्ताव . . . . २२७२—७६

श्री करम सिंह के साथ किया गया व्यवहार ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२७६

तारांकित प्रश्न* संख्या ४३ के उत्तर की शुद्धि . . . २२७६—७७

सभा का कार्य . . . . . २२७७—७८

वर्ष १९५९-६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २२७८—८३

नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव . . . २२८३—८४

त्रिपुरा भु-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक . . . २२८४—९५

संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति . . २२९५

तिरेपनवां प्रतिवेदन ।

विधेयक —पुरःस्थापित . . . . . २२९५—९९

(१) विधि व्यवसायी सशोधन विधेयक (श्री अजित सिंह सरहदी का) [नई धारा १४क का रखा जान तथा धारा ४१ का सशोधन] ।

(२) भारतीय विधि व्यवसायी परिषद् (संशोधन) विधेयक (श्री अजित सिंह सरहदी का) [धारा १२ और १५ का संशोधन] ।

पृष्ठ

(३) बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (श्री डी० चं० शर्मा) [धारा २ और ३ का संशोधन]।

जन संख्या नियंत्रण विधेयक . . २२९६—९९

पुरःस्थापन की अनुमति अस्वीकृत।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक के बारे में . . . २२९९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (श्री बाल्मीकी का) [धारा १४ का संशोधन]—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . २२९९—२३१३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . .

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरूवार, ३ दिसम्बर, १६५६
१२ अग्रहायण, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वातानुकूलित श्रेणी का रेलवे किराया

†*५४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसत्सदस्यों और प्रथम श्रेणी में यात्रा करने या इस श्रेणी के यात्रा भत्ता के अधिकारी सरकारी कर्मचारियों से लिये जाने वाले वातानुकूलित श्रेणी के रेलवे किराया में कुछ अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं। रेलवे यह अन्तर नहीं रखती।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के अधिकारी सरकारी कर्मचारी २ पैसे प्रति मील अधिक किराया देकर वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सरकारी अधिकारियों को रेलवे को उतना ही किराया देना पड़ता है जितना कोई भी और व्यक्ति देता है। उन्हें समूचे अन्तर का भुगतान करना पड़ता है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वातानुकूलित रेल गाड़ियां लाभ में चल रही हैं या घाटे में ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उनसे हमें लाभ हो रहा है। जहां स्थान ४० प्रतिशत से कम होता है, वहां हम उन्हें नहीं चलाते।

†मूल अंग्रेजी में

295 (Ai) L.S.D.—1.

उड़ीसा में चीनी के सहकारी कारखाने

†*५४५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में असका में प्रस्तावित सहकारी चीनी कारखाना खोलने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) कारखाने में कब उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) हां, श्रीमान् । कारखाना संयंत्र और मशीन चीनी-संयंत्र निर्माताओं के संघ द्वारा प्राप्त करेगा । मशीन के संभरण के लिए इसने २ सितम्बर, १९५९ को मशीन निर्माताओं के साथ करार कर लिया है ।

(ख) १९६१–६२ के पेरने के मोसम में ।

(ग) इस कारखाने के बारे में उड़ीसा सरकार से दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे एक मशीन के आवंटन के लिए और दूसरा केन्द्रीय सहायता की मंजूरी के लिए ।

संयंत्र और मशीनरी के बारे में निर्माता संघ द्वारा दूसरी बार दिये गये ७ संयंत्रों में इस कारखाने को प्रथम प्राथमिकता दी गई थी । केन्द्रीय सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में १० लाख रु० का उपबन्ध किया गया है और राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इस बारे में विशेष प्रस्ताव भेजे ।

†**श्री पाणिग्रही** : इस चीनी कारखाने की अनुमति कब दी गई थी और तब से कितनी सहकारी चीनी कारखाने खुले हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए कुल लक्ष्य ३२ हैं जिसमें से अब तक २२ के लाइसेन्स दे दिये गये हैं । उड़ीसा को दो दिये गये थे परन्तु इस असका चीनी कारखाने के लिए लाइसेन्स दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चहते हैं कि अब तक कितने कारखाने खुले हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २२ लाइसेंस दिये गये हैं । १६ लाइसेन्स प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिये गये थे । आजकल २१ कारखानों में उत्पादन हो रहा है । ६ कारखानों का निर्माण हो रहा है । ११ कारखाना का निर्माता संघ से मशीन लेनी है ?

†**श्री पाणिग्रही** : उड़ीसा में चीनी के इस कारखाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी और चीनी के इस कारखाने को प्राथमिकता मिल जाने पर भी इसे विदेशी मुद्रा देने में क्या कठिनाई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० सू० मूर्ति : चीनी के कारखानों के लिए विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है। अतः हमने निर्माता-संघ द्वारा यह मशीन बनाने का निश्चय किया है। इसी कारण विलम्ब हो गया है।

डीज़ल तथा विद्युत् चालित रेलवे इंजन

+

†*५४७. श्री रा० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पाण्डे :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री दलजीत सिंह :
श्री गोरे :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीज़ल रेलवे इंजनों के निर्माण के लिए तीन फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर लिया है तथा उनकी जांच कर ली है ;

(ख) क्या कोई प्रस्ताव स्वीकार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) विद्युत् चालित रेलवे इंजनों के संभरण के लिए सारे देशों से मांगे गये टेन्डरों और चित्तरंजन में उनके बढ़ते हुए निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां।

(ख) हां, तीनों फर्मों के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं।

(ग) फर्मों ने जो योजनायें प्रस्तुत की हैं उनमें से प्रत्येक की मुख्य विशेषताओं में यह सम्मिलित है कि देश में गाड़ियों तथा इंजनों के निर्माण की स्वदेशीय क्षमता धीरे धीरे बनाई जाये।

(घ) भारत में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में ४२ नम्बर २५ किलोवाट, ५० साइकिल्स ए० सी० फेट टाइप का निर्माण बढ़ रहा है और इन्हीं के संभरण के लिए सारे देशों से अगस्त में टेन्डर मांगे थे। टेन्डरों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख ११-१-१९६० है।

†श्री स० मो० बनर्जी : पिछले एक प्रश्न के उत्तर में और अब भी माननीय मंत्री ने कहा था कि तीन फर्मों ने कदाचित टेल्को, नेशनल इंजिनियरिंग इंडस्ट्रीज और क्रेस्मेको—प्रस्ताव दिये हैं

†मूल अंग्रेजी में

और उनकी जांच हो गई है। क्या तीनों फर्म को या किसी एक फर्म को क्रयादेश दिया गया है और प्रस्ताव क्या है ?

†श्री शाहनवाज खां : तीनों फर्मों को क्रयादेश दिये जा रहे हैं। टेल्को को १४०० के अश्वशक्ति के छोटी लाइन के; नेशनल इंजिनियरिंग को २४०० अश्वशक्ति के बड़ी लाइन के; और टेक्समेको को २६०० अश्वशक्ति के २० बड़ी लाइन के २० इंजनों के लिए क्रयादेश दिये गये हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : करार की शर्तें क्या हैं ? करार की विशेषतायें क्या हैं और उसका मूल्य क्या है ?

†श्री शाहनवाज खां : अभी हमने ठीक मूल्य की गणना नहीं की है।

†श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, आपको याद होगा कि टेल्को से हमारा मध्यस्थ-निर्णय संबंधी कार्यवाही हो रही है। मुझे डर यह है कि हम ऐसा करार न करें जिसका फिर मध्यस्थ-निर्णय करना पड़े।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं सदन को बता दूं कि टेल्को के करार से हमें अक्ल आ गई है और संभवतः हम यह गलती न करेंगे।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : छोटी लाइन के रेलवे इंजनों की क्या स्थिति है ?

†श्री शाहनवाज खां : मैं ने कहा था छोटी लाइन के ५० इंजन टेल्को बनायेगा।

†श्री जगजीवन राम : मैं और स्पष्ट कर दूं। यद्यपि हमने इन तीनों फर्मों के प्रस्तावों की जांच कर ली है, फिर भी फर्मों को कोई निश्चित क्रयादेश नहीं दिया गया है। यह अब भी विचाराधीन है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह मूल्य निर्धारित होने पर किया जायेगा ?

†श्री जगजीवन राम : निश्चित क्रयादेश देने से पहिले इन सारी बातों की गणना कर ली होगी।

†श्री गोरे : क्या टेल्को ने ७,५०,००० ० प्रति इंजन का और अन्य दो कारखानों ने १२ लाख और १५ लाख रु० प्रति इंजन का प्रस्ताव किया है ?

†श्री जगजीवन राम : यह तुलनात्मक नहीं है। मैं टेल्को में आजकल बन रहे इंजनों की बात नहीं कर रहा। टेल्को छोटी लाइन के इंजन बनाने को तैयार है जबकि अन्य दो फर्मों को बड़ी लाइन के इंजनों के लिये कहा जायेगा। अतः मूल्यों की तुलना नहीं होगी।

†श्री गोरे : मैं यह नहीं कह रहा कि उनकी तुलना की जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आंकड़े ठीक हैं क्योंकि वे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सूचना जो कि हमें अब दी जा रही है पर्याप्त समय पूर्व समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुकी है और तफसील आ गई है।

†श्री जगजीवन राम : हमें बहुत सी फर्मों से वार्ता करनी पड़ती है। अतः हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा है कि प्रस्तावों की जांच हो गई है; इस पर उनसे विचार-विनमय हो गया है। परन्तु उन्हें निश्चित क्रयादेश देने का निश्चय अभी सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राना महेन्द्र प्रताप :** क्या सरकार का विचार भारत में टेक्निकल संस्थाओं का डीज़ल और साधारण इंजनों का निर्माण करने में प्रयोग करने का है ? वृन्दावन में एक टेक्निकल संस्था है और वहां हम बहुत से पुर्ज़े बना सकते हैं । हमारे विद्यार्थियों की शक्ति बेकार जाती है क्योंकि वे कभी प्रयोग न होने वाली वस्तुयें बनाते हैं ।

†**श्री जगजीवन राम :** कदाचित सदन को विदित है कि रेलवे अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं नहीं बनाती हैं । विभिन्न रेलवे प्रशासनों में एक सेल है जो स्वदेशीय निर्माताओं को परामर्श देता है और देखता है कि जो वस्तुयें आयात होती हैं क्या वे देश में बन सकती हैं । अतः माननीय सदस्य सम्बन्धित रेलवे प्रशासन से वार्ता कर सकते हैं और वह उन्हें यह बता देगा कि उनकी संस्था में क्या क्या वस्तुयें बनाई जा सकती हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने विद्युत् चालित रेलवे-इंजनों की आवश्यकता होगी ? क्या ये लोग अपेक्षित संख्या निर्माण कर सकेंगे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** मैं पृथक् पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री दामानी :** कितने इंजनों के लिये अस्थायी क्रयादेश दिया गया है और उनका उन्होंने कितना मूल्य मांगा है ? वे हमारे आयात-मूल्य की तुलना में कैसे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस सब का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** माननीय मंत्री ने अभी स्पष्ट किया है कि अभी हमने कोई निश्चित क्रयादेश नहीं दिया है । मैं यह भी बता दूं कि टेल्को ने आरम्भ में गाड़ियां और डीज़ल इंजन बनाने का प्रस्ताव किया था । उसने यह भी बताया था कि वह इस कार्य में जर्मनी की जो विभिन्न फर्मों से, गाड़ियों के लिये क्रास मज़े और इंजनों के लिये डेमलेर बेंज से सहायता लेगा । इंजनों सम्बन्धी प्रस्ताव उन्होंने वापस ले लिया है ।

†**श्री हेम बरुआ :** पहिले यह कहा गया था कि टेल्को, टेक्समेको और नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ को विदेशी सहयोग प्राप्त हो गया है । यह विदेशी सहयोग कितने प्रतिशत है और इसमें कौन-कौन देश सम्मिलित हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** आरम्भ में लगभग ८० प्रतिशत विदेशी मुद्रा होगी और बाद में यह धीरे धीरे योजना काल की समाप्ति तक २० प्रतिशत रह जायेगी । इस से जर्मनी-अमरीका (आल्कोज़) और हालेण्ड का सम्बन्ध है । एक फर्म आस्ट्रिया की और दूसरी फर्म डेवी पेम्समेन ब्रिटेन की है ।

†**श्री गोरे :** क्या चितरंजन में सफलता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो इसका क्या कारण है कि तीन प्रकार के इंजन गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये गये हैं, सरकारी क्षेत्र को नहीं ?

†**श्री जगजीवन राम :** कदाचित् पहिले मैंने सदन को बताया था कि चितरंजन में विद्युत् चालित रेलवे इंजन बनाने का विचार था ताकि चितरंजन में भाप के इंजन और विद्युत् चालित इंजन बने । डीजल इंजनों को गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का विचार था जहां डीजल इंजनों का प्रयोग रेलवे के और और कामों में भी हो सकता है । इसका मुख्य कारण यही था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान द्वीप समूह में आरा मिल[1]

+

†*५४८. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अमजद अली :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में सक्युलर सॉ मिल (आरा-मिल) बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्ति बेकार हो जायेंगे ;

(ग) हानि को दूर करने की क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या यह सच है कि अन्दमान टीक की दुनिया में कोई मांग नहीं है ?

†कृषि मंत्री (अ० पं० शा० देशमुख) : (क) हां, श्रीमा , यथासमय।

(ख) शून्य ।

(ग) कोई हानि नहीं हुई है ।

(घ) नहीं। अन्दमान की टीक अभी संसार के बाजारों में नहीं भेजी गई है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि बेचिका तख्ता चेटम मिल में खुला पड़ा हुआ है वह नष्ट हो रहा है ?

†डा० ० शा० देशमुख : अन्दमान के तख्तों से लाभ उठाने से अनेकों समस्यायें सम्बद्ध हैं और हो सकता है कि जो भी मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि वह सच हो। वहां परिवहन, उचित व्यक्तियों की उपलब्धि, आदि की समस्यायें हैं। कुछ समय बाद मैं पटल पर एक विवरण रखूंगा क्योंकि अनेकों सदस्य स सम्बन्ध में चिन्तित हैं कि हम अन्दमान में क्या कर रहे हैं और मैं इस बारे में पूर्ण सूचना देना चाहता हूं ।

†श्री स० चं० सामन्त : स कारखाने का टैक्निकल हेड कौन है और क्या वह प्रौद्योगिकीय दृष्टि से शिक्षित है,

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं पू सूचना चाहता ।

†श्री अमजद अली : क्या अन्दमान की टीक का बाजार ढूंढने में केवल परिवहन की कठिनाई ही बाधा है ?

†श्री अ० पं० शा० देशमुख : अन्य कठिनाइयों सहित यह मुख्य कठिनाई है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : अभी माननीय मन्त्री ने कहा कि अण्डमान द्वीप से टीक बाजार को नहीं दी गई है। क्या इस बात को देखा गया है कि अण्डमान की टीक बाजार के लायक है या नहीं ?

---

[1]मूल अंग्रेजी में
Saw Mill

डा० पं० शा० देशमुख : अण्डमान में टीक ज्यादा होता नहीं है और अभी कुछ सालहुए कि हमने वहां पर टीक उगाना शुरू किया। यह न्यू प्लान्टेशन है। उस को ठीक ठीक बनने के लिये सत्तर या अस्सी साल लगते हैं। यही कारण है कि हमने अभी बाजार में बेचना शुरू नहीं किया।

सेठ गोविन्द दास : अण्डमान में जो जंगल है, उसमें क्या पुराना सागबान बिल्कुल नहीं है, और अगर है, तो जब तक कि नये दरख्त तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका क्या उपयोग हो सकता है, इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग करने का विचार किया गया है या नहीं ?

डा० पं० शा० देशमुख : फिलहाल वहां टीक है नहीं। जो हमने नया लगाया है, वही है पुराना नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** मेरे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि यह यथासमय बन्द हो सकता है। क्या मिल की हानि की संगत जानकारी पटल पर रखी जायेगी।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** वास्तव में मिल १९५७ से काम नहीं कर रही है। अतः हानि का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमने इस मिल को पूर्णतया उखाड़ा नहीं है क्योंकि कभी कभी अधिक मांग होने पर एक मिल पूरी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकती और तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मिल के बन्द होने के कारण हानि का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यह पुरानी और अलाभप्रद है। परन्तु यह लाभप्रद हो सकती है। उसका तब उपयोग किया जा सकता है जब कि चालू मिल मांग की पूर्ति न कर सके।

†**श्री तिरुमल राव :** अब तक इस मिल पर कितना व्यय हुआ है और इस मिल के चलाने से कितना धन प्राप्त हुआ है।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये। यह मिल बहुत पुरानी हो चुकी है और अब इसका कोई विशेष उपयोग नहीं रहा है।

†**श्री कमल सिंह :** अन्दमान द्वीप समूह में कई प्रकार की 'आर्नामेंटल टिम्बर' होती है। भारत के बाजारों में इस लकड़ी को लोकप्रिय बनाने की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मेरा ख्याल है कि हमने इसे लोकप्रिय बनाने के लिये कुछ कार्यवाही की है ?

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस मिल को चलाने के लिए कर्मचारी नहीं हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** नहीं, श्रीमान। क्योंकि यह बन्द है, अतः इसकी देखभाल के लिये कोई कर्मचारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

'ड्राई फ्रीज़ बी० सी० जी० के टीके'[1]

+

†*५४९. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री र० चं० माझी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'ड्राई फ्रीज बी० सी० जी० के टीके' बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इसका निर्माण कब आरम्भ होने की आशा है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी पटल पर रख गये विवरण में दी है।

विवरण

(१) ड्राई फ्रीज़ बी०सी०जी० के टीकों के निर्माण के लिए प्राइमरी ड्राईंग यूनिट खरीद लिया गया है और मद्रास में गिंडी नामक स्थान पर बी०सी०जी० टीका प्रयोगशाला में लगा दिया गया है।

(२) सैकन्ड्री ड्राईंग यूनिट भी प्राप्त हो गया है।

(३) ड्राई फ्रीज़ बी०सी०जी० टीका भरने के लिए सख्त शीशे की शीशियां जापान से प्राप्त की जा रही हैं।

(ग) ड्राई फ्रीज़ बी०सी०जी० के टीकों का निर्माण १९६० के मध्य में आरम्भ होगा।

†श्री स० चं० सामन्त : देश में प्रयोग के लिए आजकल कितना टीका आयात होता है ?

†श्री करमरकर : जहां तक मुझे पता है, देश में उपभोग के लिए कोई भी टीका आयात नहीं होता। 'ड्राई फ्रीज़' का आशय यह है कि इससे इसकी शक्ति अधिक समय तक बनी रहती है और यह देश के बहुत ही अन्दरूनी हिस्सों में प्रयोग हो सकती है। टीके गिन्डी में बन रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम कुछ टीकों का निर्यात कर रहे हैं।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या ३ लाख रु० की प्राक्कलित राशि निश्चित काल में व्यय होगी ?

†श्री करमरकर : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। परन्तु हम प्राइमरी ड्राइंग यूनिट खरीदने और लगाने पर १,३५,४०० रु० व्यय कर चुके हैं।

†श्री हेम बरूआ : क्या ड्राई फ्रीज़ बी०सी०जी० के ये टीके डाल्टनगंज में पांच विद्यार्थियों के मामले में मालूम किये गये उन टीकों के अप्राकृतिक प्रभाव को समाप्त कर देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dry Freeze B.C.G. Vaccine.

†श्री करमरकर : नहीं श्रीमान। ड्राई फ्रीज़ के टीके अधिक समय तक अपनी शक्ति बनाये रख सकते हैं। वर्तमान तरल टीके अधिक समय तक ठीक नहीं रह सकते। यदि टीका अन्दरूनी क्षेत्रों में लगने हों तो यह केवल ड्राई फ्रीज़ टीकों से ही हो सकता है। क्योंकि यह अधिक समय तक प्रभावी रह सकते हैं। ड्राइ फ्रीज़ टीके बनाने का यही प्रयोजन है। इसका विष संबंधी परिणामों आदि से कोई संबंध नहीं है। कोई भी टीका विषालु हो सकता है।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

+

†*५५०. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता और औचित्य पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही केन्द्रीय सरकार की अनुमति से की जा रही है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सरकार का विचार है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। १९५६ में औद्योगिक नीति संकल्प तैयार करते समय इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार कर लिया गया था कि कौन कौन से उद्योग सरकारी क्षेत्र में होने चाहियें और कौन कौन से गैर-सरकारी क्षेत्र में होने चाहियें। उस संकल्प के अनुसार चीनी उद्योग को गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये छोड़ दिया गया है।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन चीनी उद्योग पर नियंत्रण रखने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। भारत सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। वैसे यह सच है कि उत्तर प्रदेश योजना बोर्ड की एक बैठक में एक सदस्य के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया था कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति स्थापित की जाये। वह समिति अभी तक स्थापित नहीं की जा सकी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इससे यह तात्पर्य है कि राज्य सरकारें उस सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकती और यदि उक्त समिति स्थापित कर भी दी गयी तो उससे कुछ भी लाभ न होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : जी, नहीं। जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है १९५१ के अधिनियम के अधीन चीनी उद्योग पर नियंत्रण रखने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है और औद्योगिक नीति संकल्प, १९५६ के अनुसार भी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री के इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि चीनी की मार्केटों की कमी केवल एक कृत्रिम तथा अस्थायी सी बात है, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है जिससे चीनी का समान वितरण किया जा सके और इस कृत्रिम अभाव को दूर किया जा सके ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का पाटिल) : यह सच नहीं है कि चीनी की वास्तव में कमी नहीं थी। उस में कुछ सीमा तक कमी अवश्य थी—यह बात हम कई बार कह चुके हैं। परन्तु जहां तक चीनी के वितरण का सम्बन्ध है, यह जिम्मेवारी तो राज्य सरकारों की है, वे ही इस कार्य को अत्यन्त नियमित तथा व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकती है।

†श्री जोकिम आल्वा : सरकार ने सीधे ही चीनी के निर्यात को अपने हाथ में लेकर उसे राज्य व्यापार निगम के हवाले क्यों नहीं कर दिया था ? उससे चोर बाजारी स्वयंमेव समाप्त हो जाती ?

†श्री अ० म० थामस : जैसा कि मैं पहले भी सभा में कई बार बता चुका हूं, हम अब और कुछ भी चीनी बाहर नहीं भेजना चाहते । पहले जो चीनी निर्यात की गयी थी वह केन्द्रीय सरकार की हिदायतों पर ही की गयी थी और यह कार्य भारतीय चीनी मिल सन्था नामक निर्यात अभिकरण के द्वारा किया गया था। राज्य व्यापार निगम इसका निर्यात कार्य करने के लिये तैयार न था।

श्री अजित सिंह : चीनी के दाम जो दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री स० का० पाटिल : मैं समझता हूं कि चीनी के दाम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। चीनी का उत्पादन फैक्ट्रीज वगैरह में शुरू हो गया है और मैं समझता हूं कि वह चीज़ नहीं रहेगी।

†सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि यदि इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता तो भविष्य में केवल सहकारी फैक्टरियों को ही लाइसेन्स दिये जायें।

†श्री स० का० पाटिल : जी, नहीं। वास्तव में इस बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय कर लिया गया है, परन्तु फिर भी इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है क्योंकि संसार में कोई भी निर्णय अन्तिम निर्णय नहीं हो सकता। अतः जब भी आवश्यकता होगी, हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। परन्तु तब तक तो भारत सरकार की यही नीति है।

श्री रघुनाथ सिंह : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शुगर बांटने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का है। लेकिन जब हम लोग अपनी कांस्टीट्युएंसीज में जाते हैं तो वहां हमारे लोग हम से कहते हैं और हम को दोष देते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट शुगर देती है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक क्यों नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने का क्या उपाय सोचा जा रहा है ? हम भी वोट चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० का० पाटिल : मैम्बर्स का भी यह काम है और उनकी यह जिम्मेवारी है कि वे अपने कांस्टिट्यूएंस को कास्टीट्यूशन अच्छी तरह से समझायें और सारी चीज बतलायें।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** माननीय मंत्री ने बताया है कि पहले किये जा चुके निर्णय के कारण चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता। क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है जिससे ये चीनी फैक्टरियां गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं को दी जा सकें।

†**श्री अ० म० थामस :** यह सर्व ज्ञात है कि अब इस उद्योग का विस्तार मुख्य रूप से गन्ना उत्पादकों द्वारा बनायी गयी सहकारी संस्थाओं द्वारा ही किया जायेगा और उसमें मुख्य रूप से धन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाया जायेगा।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** मैंने तो वर्तमान फैक्टरियों के बारे में पूछा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यह पूछना चाहते हैं कि यदि वर्तमान फैक्टरियों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता तो क्या उन्हें गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों को दे देने के सम्बन्ध में कोई योजना है।

†**श्री अ० म० थामस :** यदि यह काम स्वेच्छा से किया जा सके जैसा कि आन्ध्र प्रदेश में हुआ था तो उस स्थिति में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इन चीनी फैक्टरियों को सहकारी चीनी फैक्टरियों के रूप में बदल देने के बारे में फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया है कि १९५६ की भारत सरकार की औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में देश को अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देगी ?

†**श्री स० का० पाटिल :** सरकार नहीं समझती कि इससे देश के संसाधनों में वृद्धि होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल में नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। मुझे खेद है कि मैंने इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति दे दी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वास्तव में यह प्रश्न इस सिलसिले में उत्पन्न हुआ था कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक सदस्य श्री गेंडासिंह ने एक गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था और उसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक समिति नियुक्त की थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह तो ठीक है, परन्तु उन सभी बातों पर चर्चा करने का यह अवसर नहीं है। सरकार ने इस बारे में नीति निर्धारित कर ली है। उसके बदलने के सम्बन्ध में यहां प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें। वास्तव में यदि उनके पास कोई सामग्री है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है, तब वे यह पूछ सकते हैं कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है। परन्तु प्रश्न काल में नीति सम्बन्धी बातें नहीं पूछनी चाहियें।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** सरकारी नीति तो सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के पक्ष में है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वैसे तो माननीय सदस्य जो भी चाहें कह सकते हैं, परन्तु प्रश्न काल में नहीं। वे इस सम्बन्ध में संकल्प या कोई विधेयक पेश कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** क्या सरकार अपनी औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में जोरा फैक्टरियों के लिये अधिक लाइसेन्स देने का विचार रखती है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी, हां । हम अधिक लाइसेन्स देते रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे ।

बर्मा से चावल की खरीद

+

†*५५१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्री हेम बरूआ :
श्री अमजद अली :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५९ के अन्तिम सप्ताह में भारत और बर्मा के बीच चावल खरीदने के बारे में जो वार्ता हुई उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : बातचीत समाप्त होने के पश्चात् जारी किये गये प्रेस नोट की एक प्रति जिसमें वार्ता के परिणाम बताये गये हैं सभा-पटल पर रखी जाती है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ५०]

†**सरदार इकबाल सिंह :** वर्मा के साथ चावल के बारे में दीर्घकालीन करार करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु कुछ समय लगेगा और फिर पहला करार समाप्त होने में अभी कुछ देर है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : पुराने करार के अनुसार हम ३,५०,००० टन खरीद रहे हैं और हमें १,५०,००० टन अधिक खरीदना है दोनों करारों के निर्खों में कितना अन्तर होगा और अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** निर्ख ३० पौंड प्रति टन होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अन्तर जानना चाहते हैं ।

†**श्री अ० म० थामस :** साढ़े तीन लाख का निर्ख ३३ पौंड प्रति टन था और इसके लिये ३२ पौंड प्रति टन ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** इसमें से भारतीय जहाजों द्वारा कितना चावल लाया जायेगा और १९५९ में १,५०,००० टन और १९६० में ३,५०,००० टन का वहन करने के लिये कितना भाड़ा देना पड़ेगा ।

†**श्री अ० म० थामस :** मैं इस समय अलग-अलग आंकड़े नहीं बता सकता । हमारी कोशिश तो यही रहती है कि जहां तक सम्भव हो भारतीय जहाजों का ही प्रयोग किया जाये परन्तु यह सदा सम्भव नहीं होता ।

†**श्री त्यागी :** अन्य देशों की बजाये बर्मा से हम जो चावल खरीदते हैं उसमें हमें कितनी हानि होती है ?

†**श्री अ० म० थामस :** अमरीका से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत जो १,५०,००० टन चावल लिया जा रहा है उसके अतिरिक्त हम किसी अन्य देश से चावल नहीं खरीद रहे हैं ।

†**श्री त्यागी :** बर्मा को हम जो मूल्य चुकाते हैं वह बहुत अधिक होता है अतः इससे हमें कितनी हानि होती है ?

†**श्री अ० म० थामस :** बर्मा से आयात किया गया चावल हम उचित मूल्य वाली दूकानों से १६ रुपये प्रति मन के हिसाब से बेचते हैं ।

†**श्री त्यागी :** मैं खरीदने के बारे में पूछ रहा हूं बेचने के बारे में नहीं ।

†**श्री अ० म० थामस :** खरीदने की स्थिति यह है कि तटागत मूल्य लगभग १८ रुपये से १९ रुपये प्रतिमन होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह नहीं पूछ रहे हैं । वह चावल की उपज करने वाले अन्य देशों के निर्ख से तुलना करना चाहते हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल :** पहली बात तो यह कि हर किसी देश से चावल नहीं खरीदा जा सकता । वैसे अन्य देशों के तुलनात्मक निर्ख इस समय उपलब्ध नहीं । यह जानकारी बाद में दे दी जायेगी ।

श्रीमती सहोदरा बाई : मैं खाद्य मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि बर्मा से जो चावल आता है वह मध्य प्रदेश को दिया जाता है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है ।

श्री स० का० पाटिल : मध्य प्रदेश में इतना चावल है कि बर्मा के चावल को मध्य प्रदेश को देने की जरूरत नहीं है ।

श्रीमती सहोदरा बाई : मध्य प्रदेश में चावल इतना मंहगा है कि अब भी लोगों को आसानी से नहीं मिलता है और आप कहते हैं कि सस्ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** बर्मा से ३,५०,००० टन से भी अधिक चावल का आयात करने के लिये दीर्घ-कालीन करार करने का विचार किया जा रहा है । सरकार चावल के लिये देश को आत्म-निर्भर बनाने की बजाये बर्मा पर कब तक निर्भर करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल :** केवल भारत ही बर्मा से चावल नहीं खरीदता बल्कि और भी लगभग ६ देश खरीदते हैं अतः बर्मा को अपना लाभ भी देखना है इसलिये हम चाहते हैं कि कोई दीर्घकालीन करार करना चाहते हैं। इसके लिये हम ने प्रार्थना की है । उस पर विचार किया जा रहा है । इसके लिये हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** हमारा देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह एक अलग प्रश्न है । वैसे मैं बता दूं कि दीर्घकाल से हमारा अभिप्राय ५ वर्ष स अधिक नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सही है कि दोनों देश एक और पंचवर्षीय करार पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं और यदि हां, तो इस करार की शर्तें पहले वाली ही होंगी ? अब जो १,५०,०७० टन चावल खरीदा जाने वाला है क्या उसका मूल्य भारतीय मुद्रा में चुकाया जायेगा या कि विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

क्या बर्मा यह सौदा करने के बाद भारत से कोई चीजें खरीदेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** दूसरा करार विचाराधीन है । १,५०,००० टन चावल खरीदने के लिये हमें कोई और विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। बर्मा द्वारा भारत से किये गये आयात से इसका समायोजन कर लिया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह भुगतान भारतीय मुद्रा में होगा ?

†**श्री अ० म० थामस:** इसके बदले हम अपनी वस्तुएं भेज देंगे ।

बद्रीनाथ सड़क पर विश्राम गृह

*५५२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बद्रीनाथ व केदारनाथ को जाने वाली सड़क पर विश्राम-गृह बनाने के कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य के लिये अब तक भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को कितना अनुदान दे चुकी है ;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब कितना कार्य शेष है ; और

(घ) उसे पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). इस संबंध में सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ५१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण को देखने से पता चलता है कि सन् १९५७–५८ में १ लाख रु० उत्तर प्रदेश सरकार को दिये गये और सन् १९५८–५९ में केवल ३० हजार ५०० रु० ही दिये गये । मैं जानना चाहता हूं कि जिस धीमी चाल से काम हो रहा है उस से क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह काम समाप्त हो सकेगा ?

श्री राज बहादुर : इस विवरण में यह संकेत कर दिया गया है कि जिन कामों का हवाला इस में दिया गया है वह इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जायेंगे । जो जो सुझाव वहां से आते हैं या स्कीम्स आती हैं, उनके अनुसार हम रुपया मंजूर करते हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** विवरण में बताया गया है कि केबिन इसलिये नहीं बनाये जा सके कि श्रमिकों के पास रहने का ठीक स्थान और खाने के लिये भोजन नहीं था ? क्या पर्यटन विभाग इस बात का ध्यान रखेगा कि श्रमिकों की रिहायश और खाने का ठीक प्रबन्ध हो जिस से कि ये केबिन बनाये जा सकें ।

†**श्री राज बहादुर :** इन में से कई केबिन ऐसे स्थानों पर बनाने का सुझाव है जहां महीनों बर्फ पड़ी रहती है । इन स्थानों पर निवासस्थान उपलब्ध नहीं किया जा सकता इसीलिये विवरण में कहा गया कि श्रमिकों को आवश्यक सुविधायें देना सम्भव नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि उत्तराखंड की यात्रा में जाने वाले वहां पर चार जगहों को जाते हैं : एक यम्नोत्री, दूसरे गंगोत्री, तीसरे बद्रीनाथ और चौथे केदारनाथ, और चारों जगह ठहरने की व्यवस्था इतनी खराब है कि आज के समय में वहां पशु भी नहीं ठहर सकते । ऐसी हालत में वहां पर जो काली कमली वालों का प्रबन्ध है और जो उनकी धर्मशालायें हैं, उन धर्मशालाओं को ठीक करने के लिये मैं ने एक पत्र भी उत्तर प्रदेश की सरकार को और माननीय मंत्री जी को लिखा था कि वह भी एक पब्लिक ट्रस्ट है, क्या उस को इस तरह का अनुदान दिया जा सकता है ताकि वह थोड़े से में वह चीजें ठीक हो सकें ? क्या इस पर सरकार ने विचार किया है ?

श्री राज बहादुर : अतीत से ही यह चारों तीर्थ स्थान हैं और असंख्य यात्रियों द्वारा उनकी सेवा होती है । वे वहां पहुंचते हैं । लेकिन जो सुझाव आप ने दिया है कि जो काली कमली वाले बाबा की धर्मशालायें हैं, उन को कोई सहायता दी जाय, ऐसा कोई सुझाव हमारे विभाग के पास आया हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं । अगर आया होगा तो अवश्य उस पर विचार किया जायगा ।

श्री पद्म देव : चूंकि यह धार्मिक स्थान है जहां प्रायः यात्री लोग जाते हैं, सरकार की तरफ से जो रेस्ट हाउसेज की योजना है वह केवल बड़े लोगों के लिये है या और व्यक्तियों के लिये भी है ? क्या वहां ऐसा कोई प्रबन्ध है कि रात में वे लोग वहां पर ठहर सकें ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न तो जो चट्टियां या लाग केबिन्स कहलाती हैं उनकी व्यवस्था के संबंध में उठाया गया था । इनके अतिरिक्त विशेष स्थानों पर कुछ रेस्ट हाउसेज बनाये जाते हैं । मैं समझता हूं कि वह सब के लिये हैं । लेकिन साधारण लोगों के लिये, जो कि रेस्ट हाउसेज में नहीं ठहरते, हैं; चट्टियों अर्थात लाग केबिन्स में ठहरने की व्यवस्था है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती स्होदरा बाई : बद्रीनारायण के रास्ते में या गंगोत्री के रास्ते में सरकार की तरफ से यात्रियों के लिये कोई धर्मशाला बनवाई गई है या नहीं ?

श्री राज बहादुर : यह जो लाग केबिन्स या चट्टियां हैं जिन को सहायता दी जा रही है सात स्थानों में बन चुकी हैं और छः स्थानों में इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक बन जायेंगी। यह गवर्नमेंट की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से मिली सहायता के द्वारा ही बन रही हैं।

श्री रघुनाथ सिंह मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का इस सहायता में क्या हिस्सा था। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले साल से पहले १ लाख रु० उस को दिया गया सेंटर की तरफ से और पिछले साल सिर्फ ३० हजार रुपया उसे दिया गया, यानी कम कर दिया गया, तो इस का कारण क्या है। सरकार इस बात को जानती है कि ३० हजार रु० में एक धर्मशाला भी नहीं तैयार हो सकती।

श्री राज बहादुर : मैं ने अभी निवेदन किया है और फिर निवेदन कर दूं कि यह लकड़ी की बनाई जा रही हैं और लकड़ी की बनाई जाती हैं तथा लाग केबिन्स के नाम से हैं जिनका हवाला दिया गया है। इसके लिये १ लाख रु० सन १९५७-५८ के लिये दिया गया था और ३० हजार रु० पिछले साल दिया गया था। मैं समझता हूं कि जो भी प्रस्ताव वहां से आये हैं उन के बनाने के सम्बन्ध में, हम ने उन को स्वीकार किया है और मैं सदन की जानकारी के लिये इतना और निवेदन कर दूं कि जहां सारे पर्यटन विभाग के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये २ करोड़ के ऐलोकेशन को घटा कर १ करोड़ १० लाख कर दिया गया है वहां हम ने इस १० लाख रु० में जो कि इस काम के लिये रक्खा गया था जरा भी कमी नहीं की है।

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन् :** यात्रियों की संख्या को देखते हुए क्या बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री के रास्ते में और धर्मशालायें बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर :** जी हां।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या माननीय मंत्री एक बार भी बद्रीनाथ गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** जी हां, एक बार गया हूं। इस के अतिरिक्त यात्रियों की संख्या को देखते हुए हम ने लकड़ी के केबिन बनाये हैं। कैलाश—मानसरोवर रूट पर डाराचुला, खेला, सिर्का, जिप्तो, मल्पा, गब्यांग, गुंजी और कालापानी आदि में विश्राम गृह बनाने का विचार है। इन स्थानों पर विश्राम गृह बनाने के लिये योजना के भाग १ में २.७२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार यह जानती है कि जहां तक यमनोत्री और गंगोत्तरी के रास्ते का संबंध है, वहां ठहरने के स्थानों के सिवा सड़कें भी बहुत खराब हैं। केवल डेढ़ डेढ़ दो दो फुट की चौड़ी सड़कें हैं, जिनके एक ओर ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरे ओर नीचे खंदक। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से इस संबंध में बात करके कोई योजना बनायी है ताकि ठहरने के स्थानों और सड़कों का ठीक प्रबन्ध हो सके ?

†**श्री राज बहादुर :** ये शिकायतें मिलने पर मैं ने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के साथ मिलकर इस पर विचार किया था। हम ने सड़क को सुधारने के लिये ३५ लाख रु० का

†मूल अंग्रेजी में

अनुदान दिया है और मार्ग के कुछ बहुत कठिन और खतरनाक भागों के सुधार के लिये हम ने ८ लाख रु० का एक और अनुदान दिया है । इस से सड़क काफी अच्छी बन जायेगी ।

सेठ गोविन्द दास : क्या गंगोत्तरी और यमनोत्तरी के सम्बन्ध में कुछ न होगा ?

†**श्री राज बहादुर :** गंगोत्तरी और यमनोत्तरी के बारे में हम ने अभी कुछ विशेष कार्य नहीं किया है। यह बद्रीनाथ के मार्ग से अधिक कठिन है। मैं ने यह मार्ग नहीं देखा है ।

श्री मा० ला० वर्मा : क्या ठहरने के स्थानों के अलावा भोजनालयों का भी कोई इन्तिजाम किया जा रहा था ?

श्री राज बहादुर : भोजन की व्यवस्था तो दुकानदार करते हैं।

सेठ गोविन्द दास : बहुत महंगा बेचते हैं।

श्री राज बहादुर : जी हां, महंगा भी बेचते हैं और खराब भी, इस सम्बन्ध में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को अपनी रिपोर्ट भी दी है और कुछ सुझाव भी दिए हैं, और उन्होंने उत्तर दिया है कि वे हर एक बात पर अलग अलग ध्यान दे रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि वह इस बारे में शीघ्र व्यवस्था कर सकेंगे।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उन्होंने विश्राम गृहों के लिए दस लाख की धनराशि रखी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस सारी धनराशि का ठीक उपयोग कर सकेगी और सारा कार्य समय के अन्दर करवा सकेगी। और क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए बढ़ी हुई धनराशि रखने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक हमारी चिन्ता का सम्बन्ध है वह इससे प्रकट है कि हमने इस अनुदान में कोई कमी नहीं की है। इसके अतिरिक्त जो भी सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आते हैं हम उनको मंजूर कर रहे हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन स्थानों में साल में केवल ६ महीने ही काम हो सकता है और ६ महीने वर्फ और पानी के कारण काम नहीं हो सकता।

†**श्री कमल सिंह :** बद्रीनाथ के मार्ग में ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ तीर्थ स्थान पर भी विश्राम गृहों की कमी है और क्या इस कमी को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** हमें मालूम है कि वहाँ विश्राम गृह बहुत कम हैं और वहां केवल यात्री ही नहीं बल्कि पर्यटक भी जाते हैं । इसीलिये हम चाहते हैं कि इन मार्गों पर यथा-सम्भव शीघ्र विश्राम गृहों का विस्तार तथा विकास किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बद्रीनाथ के बारे में जानना चाहते हैं।

†**श्री राज बहादुर :** मार्गों में विश्राम गृह बहुत कम हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हालत को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बद्रीनाथ नगर का प्रशासन बद्रीनाथ मंदिर न्यास देखता है और उसका सचिव यह प्रबन्ध करता है। उत्तर प्रदेश

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को वहां की हालत अच्छी तरह मालूम है और वह इसे सुधारने की कोशिश करेगी क्योंकि यह उसी के श्रेत्राधिकार में हैं।

रेल के इंजनों, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों का निर्यात

+

†*५५३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वारियर :

क्या रेलवे मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा कमाने के लिये रेल के इंजनों, डिब्बों और माल डिब्बों के निर्यात की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और किस हद तक ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : निर्यात की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने अपने सारे विदेशी मिशनों को एक प्रश्नावली भेजी थी। रेलवे पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों का दौरा करने गया और उन्होंने निर्यात की सम्भावनाओं को आंका। थाइलैंड और बर्मा ने कुछ पूछताछ की है परन्तु हम अभी निर्यात करने में सफल नहीं हुए हैं।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह अनुमान लगाया गया है कि कितने रेलवे इंजन, डिब्बे और माल-डिब्बे निर्यात के लिये उपलब्ध होंगे ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : अनुमान लगाने का सवाल नहीं है। हमारे पास मीटर गेज के इंजन और माल डिब्बे फालतू हैं। यदि हमें खरीदार मिल जायें तो हम और निर्माण करके संभरण कर सकते हैं।

†**श्री विमल घोष** : क्या कठिनाई मूल्य के बारे में है या किस्म अथवा दोनों के बारे में।

†**श्री जगजीवन राम** : ऐसी कोई कठिनाई है। पूछताछ की गई थी और हमने उत्तर दे दिया है। हम जानते हैं कि हमारे इंजन किसी से घटिया नहीं हैं। इस निर्यात से देश में अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा इसलिये मूल्य की भी कोई कठिनाई नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इंजनों और डिब्बों की कमी के कारण देश में कई नई गाड़ियां चलाने की मांग पूरी नहीं की जा सकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : यह सही है कि हमारे पास रेल के डिब्बे कम हैं । परन्तु हम माल डिब्बों और इंजनों की बात कर रहे हैं। इंजन उपलब्ध होने पर भी कोई और गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती क्योंकि डिब्बे नहीं हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : पहले एक बार कहा गया था कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से निर्यात की सभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। उसका क्या हुआ?

†**श्री शाहनवाज खां** : स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ है। हम अब भी पता लगा रहे हैं।

†**श्री दामानी** : क्या किसी देश ने हमारे इंजन और माल डिब्बों का आयात करने के लिये कहा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैंने बताया कि बर्मा और थाइलैंड ने पूछताछ की थी ।

राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के लिये रेल किराये में रियायतें

†*५५४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि कोई राज्य इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं अथवा यह निर्णय कर चुके हैं कि विधान मंडल के जो सदस्य देश में राष्ट्रनिर्माण योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये यात्रा करें उनकी यात्रा का खर्च सरकार वहन करे, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि विधान मंडलों के सदस्यों की यात्रा के लिये कुछ रियायतें दी जाय ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की रियायतें मांगी गई हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं का दौरा करने के लिये विधान मडलों के सदस्यों के लिये रेलवे रियायतें प्राप्त करने की प्रार्थना किसी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। यह भी मालूम नहीं कि राज्य सरकारें ऐसी किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही हैं। बम्बई राज्य विधान मंडल के एक सदस्य ने अपनी और अपने साथियों की ओर से रेलवे रियायतें प्राप्त करने की प्रार्थना की थी।

(ग) एक तरफ का भाड़ा देकर वापसी टिकट प्राप्त करना।

(घ) यह निर्णय किया गया कि यदि २० या इस से अधिक सदस्य एक साथ राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का दौरा करें तो उन्हें पहले, दूसरे अथवा तीसरे दर्जे में तीन चौथाई भाड़े पर सफर करने की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाये कि इस रियायत का प्रयोग वर्ष में केवल एक बार किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को विदित है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित कर दिया है और यदि राज्य सरकार ने इसकी मांग की तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी?

†**श्री शाहनवाज खां** : उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों ने यह मांग की है कि विधान मंडल के सदस्यों को संसद सदस्यों की तरह अपने प्रान्तों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जानी चाहिये । हमने उन्हें बता दिया है कि यह रेलवे मंत्रालय के अधिकार में नहीं हैं क्योंकि हम संसद सचिवालय से पूरी वसूली कर लेते हैं। हमने उन्हें सुझाव दिया है कि सदस्यों को कूपन दे दिये जायें और रेलवे मंत्रालय वे प्रयुक्त कूपन पेश करके राज्य सरकार से पैसा वसूल कर ले। यदि राज्य सरकारें इसे स्वीकार कर ले तो हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : लोक सभा सचिवालय संसद सदस्यों द्वारा की गई यात्रा का खर्च रेलवे मंत्रालय को किस प्रकार देता है ? या क्या कोई ऐसा सूत्र बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके अनुसार संसद सदस्यों की यात्रा का खर्च वसूल किया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि संसद् सचिवालय से पूरी वसूली की जाती है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : संसद सदस्यों की यात्रा का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तो फिर यह वसूली किस प्रकार की जाती है और क्या इसके लिये कोई सूत्र बनाया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इसीलिये उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल सरकार ने रेलवे मंत्रालय से कहा है कि संसद् सदस्यों की तरह विधान मंडल के सदस्यों को भी निःशुल्क सफर करने की सुविधा दी जाये। हमने उन्हें बताया है कि यदि सदस्य अपने आप रेलवे कर्मचारियों को कूपन न दे तो बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार यदि राज्य विधान मंडल के सदस्य कूपन नहीं देंगे तो रेलवे की आय में कमी होगी जैसाकि अब कई बार हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई सूत्र नहीं जिसके अनुसार लोक सभा सचिवालय से वसूली की जा सके। मेरा ख्याल है कि इस से हमें कुछ हानि हो रही है। इसीलिये हम ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे कूपन जारी कर दें। वह कूपन देने पर सदस्य को टिकट मिल जायेगा और कूपन पेश करके रेलवे मंत्रालय राज्य सरकारों से वसूली कर लेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय रेलवे मंत्री को मैं यह सुझाव दूंगा कि वह कर्मचारियों को यह हिदायत दें कि एक वर्ष तक बड़े ध्यान से कूपन लें। यदि वे कूपन न दें तो उनसे दुगनी वसूली की जाये और यदि ऐसा हो जाये तो औसत निकाल कर चार वर्ष वसूली की जाये। बाद में काफी सुविधा हो जायेगी ।

†**श्री जगजीवन राम** : यह सुझाव बहुत अच्छा है ।

†**श्री सोनावने** । क्या रेलवे मंत्रालय ने राज्य सरकार के सुझाव का उत्तर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : रेलवे मंत्रालय, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं ।

†**श्री बालकृष्णन्** : राज्य विधान मंडल के सदस्यों को दी जाने वाली कूपन बुक समस्त भारत के लिये होगी या केवल उनके प्रांत के लिये ?

†**श्री जगजीवन राम** : राज्य सरकारों ने अपने राज्य के लिये ही मांग की थी ।

†**श्री विमल घोष** : पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने सदस्यों को कुछ कूपन दिये हैं । उसका खर्च कौन वहन करेगा ? पश्चिमी बंगाल सरकार या रेलवे ?

†**श्री जगजीवन राम**ः रेलवे मंत्रालय को कोई खर्च नहीं करना है ।

†**श्री विमल घोष** : उपमंत्री ने कहा कि कुछ रियायतें दी जायेंगी ।

†**श्री जगजीवन राम** : वह रियायत तब दी जायेगी जब २० सदस्यों का दल वर्ष में एक बार राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का दौरा करेगा ।

श्री पद्मदेव : जिन स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट नैशनलाइज्ड है, क्या वहां पर भी इस माननीय सदन के सदस्यों को फ्री चलने की कोई व्यवस्था है ?

श्री जगजीवन राम : यह सवाल तो प्रापर क्वार्टर को पुट करना चाहिये, हम को नहीं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यदि २० की बजाये ५ सदस्यों का दल अथवा व्यक्तिगत रूप में सदस्य दौरा करें तो क्या उन्हें रियायत दी जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं । कम से कम संख्या २० है । इसे कम करने का कोई विचार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब माननीय सदस्य अपने परिवार ही ले जायेंगे ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव रोकने का कार्य

†*५५५. **श्री कोडियान** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव रोकने का कार्य धन की कमी के कारण बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को जारी रख कर कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोडियान** : अभी तक इस कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय हुई थी और केन्द्र ने इसमें से कितनी राशि राज्य को दी थी ?

†**श्री हाथी** : द्वितीय योजना के लिये १८५ लाख रुपयों का उपबन्ध है जिसमें से १९५८–५९ तक ८१.६६ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

†**श्री कोडियान** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । केन्द्र ने इस कार्य के लिये केरल राज्य को कितना रुपया दिया है ?

†**श्री हाथी** : मैं बता चुका हूं कि १८५ लाख रुपयों का उपबन्ध है और ८१.६६ लाख रुपये दिये जा चुके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्र ने ?

†**श्री हाथी** : जी हां । वास्तविक व्यय से उसका समायोजन कर दिया जाता है । इसलिये यह राशि दी जा चुकी है ।

†**श्री मणियंगाडन** : क्या मैं इससे यह समझूं कि यह कार्य चालू है ?

† **श्री हाथी** : जी हां ।

†**श्री वे० ईयाचरण** : योजना की कुल लागत कितनी है ?

†**श्री हाथी** : २६ करोड़ रुपये । यह कार्य २०० मील तक किया जाना है । द्वितीय योजना के लिये १८५ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है ।

†**श्री मणियंगाडन** : कोचीन और अलेफि के दर्म्यान चेल्लनम नामक एक स्थान है जहां १½ मील तक कोई भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है । अन्य भागों में कार्य किया जा रहा है ।

†**श्री हाथी** : अलग-अलग । प्रत्येक स्थान के बारे में ब्योरेबार ढंग से यह बताना संभव नहीं है कि यह कार्य चल रहा है या नहीं । अब तक यही जानकारी मिली है कि १९ मील के लक्ष्य में से लगभग १०½ मील का काम पूरा हो चुका है ।

†**श्री कोडियान** : राज्य के सीमित साधनों का और साथ ही समस्या के आकार का ध्यान रखते हुये क्या सरकार इस समस्या पर विशेष रूप से विचार कर रही है ताकि इसे कम से कम तीसरी योजना की अवधि में पूरा किया जा सके ?

†**श्री हाथी** : इसे पांच वर्ष की अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता । इसको क्रियान्वित करने में और भी अधिक समय लगेगा । १९५६ में वह केवल ८ लाख रुपये व्यय कर पाये । १९५७–५८ में यह संख्या लगभग २८ लाख रुपये थी, १९५८–५९ में ४५ लाख रुपये थी । इस वर्ष ५४ लाख रुपयों का उपबन्ध है । अगले वर्ष भी ५० लाख रुपये का उपबन्ध रहेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस कार्य के लिये धन देने के अलावा सरकार ने समुद्र द्वारा भूमि के कटाव की इस समस्या के प्रति गम्भीर रुख अपनाया है । बम्बई में इस समस्या ने इतना गम्भीर

---

†मूल अंग्रेजी में

रूप धारण कर लिया कि उन्हें कुछ आपातकालीन कार्यवाही करनी पड़ी। इस मामले में सरकार अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री हाथी** : केरल सरकार ने इसके लिये एक व्यौरेवार योजना तैयार की है और इसीलिये इसे द्वितीय योजना में शामिल किया गया था।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इस कार्य के लिये बम्बई के मैरिन ड्राइव की तरह 'टर्ट्रापाडस'[१] का इस्तेमाल किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : मुझे पता नहीं कि केरल में क्या किया जा रहा है।

गोबर की गैस बनाने का संयंत्र

†५५६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोबर के खाद्य संबंधी गुणों और उसके परिमाण को अक्षुण्ण रखते हुये गोबर से गैस बनाने के संयंत्र का उपयोग बिजली बनाने के लिये करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) अपेक्षित प्रयोजन के लिये यह संयंत्र लगाने का कार्य लोगों ने किस सीमा तक आरम्भ कर लिया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२**]

†**श्री झूलन सिंह** : खाद के प्रयोजन के लिये गोबर के संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस संयंत्र का आविष्कार कुछ वर्ष पूर्व हो चुका है, क्या सरकार दिल्ली के इर्द-गिर्द इन १५ संयंत्रों के लगाये जाने की प्रगति से संतुष्ट है ? क्या देश की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये ये पर्याप्त होंगे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : गोबर-गैस की यह पूरी योजना इन सभी वर्षों में प्रयोगात्मक प्रकार की रही इसीलिये हमें पूसा इंस्टीच्यूट के इर्द-गिर्द के गांवों में इन संयंत्रों को लगाना पड़ा। अब वह वाणिज्यिक प्रावस्था तक पहुंच चुके हैं इसलिये सामुदायिक विकास मंत्रालय देश भर में इन्हें लगाना चाहता है। वे प्रत्येक खण्ड में एक संयंत्र लगाना चाहते हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और विभिन्न अन्य गैर-सरकारी निकायों ने भी इन्हें अपना लिया है। सारे भारत के संबंध में आंकड़े एकत्र करने में कुछ समय लग जायेगा। प्रगति संतोषप्रद है।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि कितने सामुदायिक विकास खंडों में अब तक यह कार्य आरम्भ किया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमने सामुदायिक विकास मंत्रालय को लिखा है और उन्होंने बताया कि उन्हें प्रत्येक राज्य में इन्हें लगाने का निर्णय कर लिया है। वे आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और ये आंकड़े मिलते ही हम उन्हें सभा-पटल पर रख देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Tertrapods.

†श्री हेम बरुआ : विवरण में कहा गया है कि दिल्ली के इर्द-गिर्द के गांवों और देश के अन्य भागों में लगभग ३० संयंत्र लगाये गये हैं। क्या सरकार ने अब तक इन संयंत्रों की लोक प्रियता का कुछ अनुमान लगाया है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : ये बहुत ही लोक प्रिय हैं। औसतन महीने में १५० जगहों से हमसे पूछताछ की जाती है। हम सभी प्रदर्शिनियों में इन्हें लगा रहे हैं। और किसान इनको देखकर इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं।

टेलीफ़ोन के कनेक्शन

+

†*५५९. { श्री अमजद अली :
श्री बें० च० मलिक :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शीघ्र ही 'पार्टी लाइन सर्किट' की व्यवस्था लागू करके टेलीफोन के कनेक्शनों की संख्या दूनी कर देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में यह व्यवस्था कब तक लागू हो जायगी ;

(ग) इसके पूरे होने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) क्या अन्य शहरों में भी यह पद्धति लागू की जायगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्) : (क) पार्टीलाइन पद्धति में एक नम्बर से ो अभिदाता संबद्ध रह सकते हैं बशर्ते कि वह इस बात पर राजी हो जायं कि एक समय पर उनमें से केवल एक ही व्यक्ति लाइन का इस्तेमाल करेगा।

(ख) अभी यह प्रयोगात्मक अवस्था में है और फिलहाल दिल्ली भी परीक्षण-स्थलों में से एक स्थान है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी हां, यदि प्रयोग सफल हुआ और इन स्थानों की अवस्था अनुकूल रही।

†श्री अमजद अली : पार्टीलाइन किस प्रकार से कार्य करती है ?

†डा० प० सुब्बारायन् : पार्टीलाइन सर्विस का प्रयोजन एक ही नम्बर पर दो टेलीफोनों से है। दोनों व्यक्ति एक ही समय पर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि एक इस्तेमाल कर रहा तो दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह इस तरह से बनाया गया है कि खाली रहने पर दोनों बारी-बारी से उसका उपयोग कर सकते हैं।

†श्री अमजद अली : रिसीवर के उसी सेट से ?

†डा० प० सुब्बारायन् : उसी रिसीवर से नहीं। दोनों का अपना-अपना रिसीवर होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार :** यदि एक व्यक्ति बोल रहा हो तो उसी लाइन वाला दूसरा व्यक्ति क्या अन्य दोनों व्यक्तियों के बीच चल रही बातचीत सुन सकेगा ?

†**डा० प० सुब्बारायन् :** जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वातानुकूलित गलियारेदार गाड़ियां[1]

†*५४६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री म० ना० द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सप्ताह में दो बार चलने वाली वातानुकूलित गलियारेदार गाड़ियों कम लोकप्रिय होती जा रही हैं और पहले की अपेक्षा कम यात्रियों को आकृष्ट करती हैं ;

(ख) क्या इसके कारणों की जांच की गयी है ; और

(ग) घाटे को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

गाजीपुर के पास गंगा नदी पर पुल

***५५७. श्री सरजू पाण्डे :** क्या रेलवे मंत्री २ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर के निकट गंगा नदी पर पुल बनाने के लिये स्थान निश्चित करने में स बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उक्त पुल की आवश्यकता के बारे में निश्चय करने और अन्य जानकारी एकत्र करने के लिये रेलवे बोर्ड के प्रधान ने उस स्थान को देखा था ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या निश्चय किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) स मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Airconditioned Vestibuled Trains.

कुर्डुवाडी-मिराज-लटूर रेलवे लाइन .

†*५५८. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री १९ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स बीच कुर्डुवाडी-मिराज-लटूर छोटी लाइन के सेक्शन को किसी बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह बड़ी लाइन होगी या मीटर ला न ; और

(ग) लाइन के परिवर्तन का का वास्तव में कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं । सर्वेक्षण प्रतिवेदन] मिलने और रेलवे बोर्ड द्वारा उन पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् ही कोई निर्णय किया जा सकता है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नही होते ।

अनाजों का नष्ट होना

†*५६०. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गोदामों में बर्बादी और नमी के कारण वर्ष में कितना गेहूं नष्ट हो जाने का अनुमान है ; और

(ख) क्या गोदामों की नमी को दूर करने की कोई योजना है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) केन्द्रीय सरकार के गोदामों में पिछले पांच वर्षों में सूख जाने, कीड़े लगते और नमी के कारण हुई बर्बादी के फलस्वरूप जितना अनाज नष्ट हुआ उसका ब्यौरा स प्रकार है :—

१९५४	१५ प्रतिशत
१९५५	२८ प्रतिशत
१९५६	१३ प्रतिशत
१९५७	.०३ प्रतिशत
१९५८	.०२८ प्रतिशत

(ख) सरकार ारा बना गोदामों में नमी नहीं घुस सकती । किराये पर लिये गये गोदामों में अनाज को नमी में नष्ट होने से बचने के लि नीचे लकड़ी के तख्ते अथवा चटाइयां बिछा दी जाती हैं ।

गाड़ियों की रफ्तार

†*५६१. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **रेलवे** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालांकि आजकल ट्रंक रूटों पर दोहरी लाइनों, कम हाल्टों, अधिक इंजन डिब्बों, अधिक कर्मचारियों, सिग्नल देने की सुधरी हुई व्यवस्था और बढ़िया किस्म के इंजनों

---

†मूल अंग्रेजी में

की उससे कहीं अधिक सुविधायें प्राप्त हैं जो बीस वर्ष पहले प्राप्त थीं, फिर भी आम तौर पर तेज चलने वाली रोजाना की रेलगाड़ियों की औसत रफ्तार काफ़ी घट गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जाने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। ट्रंक-रूटों पर चलने वाली कई मेल/ऐक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार १९३९ को तुलना में १९५९ में कुछ घट गई है। लेकिन कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार १९३९ के पहले की अपेक्षा बढ़ गयी है।

(ख) इंजीनियरिंग सम्बन्धी अस्थायी प्रतिबन्धों के लिये समय का उपबन्ध रखना और माल का यातायात अधिक होने के कारण गाड़ियों की संख्या में वृद्धि।

(ग) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की सर्वछायी रफ्तार बढ़ाना केवल तभी संभव होगा जब इंजीनियरिंग सम्बन्धी अस्थायी प्रतिबन्धों के लिये रखा गया समय काफी कम कर दिया जाय और गाड़ियों को तीव्रतर कार्यक्रम के अनुसार चलाने के लिये पर्याप्त लाइन-क्षमता विकसित हो जाय अनुचित विलम्ब अथवा यातायात में अव्यवस्था होने दिये बगैर आवश्यक इंजीनियरिंग सम्बन्धी कार्यों में शीघ्रता की जा रही है।

दिल्ली में स्कूटरों का किराया

†*५६२. **श्री अमजद अली** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूटर-चालक अपने हो हिसाब के आधार पर किराया वसूल करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश स्कूटर बिना मीटरों के ही चलते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मीटर लगवाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). यह शिकायतें मिली हैं कि कुछ स्कूटर-रिक्शा चालक दिल्ली के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किराये की दरों पर सवारियों को ले जाने से इंकार कर देते हैं और कुछ स्कूटर-रिक्शा तो उस समय भी चलते रहते हैं जब उनके माइलोमीटर तक ठीक से काम नहीं करते होते।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में इस आशय का उपबन्ध किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी स्कूटर रिक्शा तब तक सार्वजनिक स्थानों में काम में नहीं लाया जा सकेगा जब तक कि उसमें ठीक से काम करने वाला माइलोमीटर या फ़ेयर-मीटर न लगा हो। यह नियम लागू होने के बाद इसका पालन न करने वालों पर अभियोग चलाया जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाइकिंग विमान

†*५६३. **श्री मोहम्मद इमाम :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने १९५२ से १९५८ के अन्त तक कितने वाइकिंग विमान खरीदे थे ;

(ख) उन पर कितनी लागत आई ;

(ग) उन्हें काम में लाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कितना घाटा हुआ है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). १९५३ में विमान परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने भूतपूर्व विमान वाहिनियों से १२ वाइकिंग विमान फालतू जनों सहित प्त किये थे जिनके लिये भूतपूर्व विमान वाहिनियों को ३१.४२ लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था ।

(ग) ट्रंक रूटों पर वाइकाउंट विमानों का चलना आरम्भ होने पर अक्तूबर, १९५७ से अप्रैल, १९५८ की अवधि के बीच वाइकिंग विमानों को क्रमशः सर्विस में वापिस ले लिया गया । इस समय इन विमानों को चलाना आर्थिक ष्टि से लाभप्रद नहीं है क्योंकि नमें कुछ समाज्ञापक रूपभेद करने पड़ेंगे जिन पर काफ़ी खर्चा आयेगा ।

(ख) इन सभी वाइकिंग विमानों का निबटारा हो जाने पर ही स्थिति का पता चलेगा ।

विभागीय भोजन व्यवस्था

†*५६४. { **श्री वें० प० नायर :**
श्री वारियर :
श्री कोडियान :

क्या **रेलवे** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की विभागीय भोजन-व्यवस्था के कार्य की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये विशेष पदाधिकारी के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) रेलवे की भोजन व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या भोजन व्यवस्था की सर्विस को सुधारने के लिये कोई पूरे समय काम करने वाला विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

कलिंग एयर लाइन्स

†*५६५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३ अगस्त, १९५९ को कलिंग एयर लाइन्स के विमान वी० टी०–डी० जी० पी० के गिर जाने के सम्बन्ध में की गयी जांच की उपपत्तियां क्या हैं; और

(ख) क्या यह सिद्ध हो गया है कि कुछ अनियमिततायें और भारतीय विमान नियमों के कुछ उल्लंघन किये गये थे ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). दुर्घटना जांच रिपोर्ट मिल गयी है और सरकार के विचाराधीन है ।

पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत में यंत्रीकृत फार्मों की स्थापना

†*५६६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भारत में कई पूर्णतः यंत्रीकृत फार्मों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जाति के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति

*५६७. **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
कुमारी मो० वेद कुमारी :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती के सम्बन्ध में जारी की गयी एक अधिसूचना के आधार पर यह परिपत्र निकाला है कि अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती के सम्बन्ध में जिस प्रक्रिया और नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं का पालन इन लोगों की पदोन्नति के बारे में भी किया जाये;

(ख) वर्ष १९५८–५९ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने रेलवे कर्मचारियों को इस परिपत्र के अनुसार पदोन्नति दी गई और क्या उन के सेवा काल और गुणों के आधार पर उपरोक्त परिपत्र के अभाव में भी उन्हें पदोन्नति प्राप्त हो सकती थी ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की उपरोक्त पदोन्नतियों के समय उन्ह अन्य लोगों की अपेक्षा प्राथमिकता दी गई थी यद्यपि उनका सेवा काल और उनकी योग्यतायें अन्य लोगों की अपेक्षा कम थीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उक्त परिपत्र, जिस में यह आदेश दिया गया है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का सेवा काल और उनकी योग्यतायें अन्य लोगों से कम होने पर भी उन्हें पदोन्नति दी जाये संविधान के विरुद्ध नहीं है; और

(ङ) क्या गृह-कार्य मंत्रालय का उपरोक्त परिपत्र और रेलवे मंत्रालय के परिपत्र सभा की टेबल पर रखे जायेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी हां, लेकिन सिर्फ वर्ग ४ से वर्ग ३ और वर्ग से वर्ग २ में तरक्कियों के सम्बन्ध में जिन्हें सीधी भर्ती[1] माना जाता है। साथ ही वर्ग ३ के सेलेक्शन पदों पर तरक्की के लिये भी ऐसा किया जाता है जिन के लिये निश्चित रूप से सेलेक्शन होता है और जिसमें लिखित और/या मौखिक परीक्षा[2] के परिणाम का ध्यान रखा जाता है।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता क्योंकि आदेश अभी अप्रैल, १९५९ में जारी किये गये हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) गृह-मंत्रालय के आफिस मेमोरेण्डम नं० ५/४/५५ एस० सी० टी०-१ तारीख ४-१-१९५७ और रेल मंत्रालय के पत्र नं० ई० (एस० सी० टी०) ५७ सी० एम० १/२० तारीख २७-४-१९५९ की एक-एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]**

यूगोस्लाविया में सामुदायिक विकास पद्धति का अध्ययन

†*५६८. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया की सामुदायिक विकास पद्धति का अध्ययन करने के लिये हाल ही में कोई दल वहां भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के सदस्य कौन-कौन हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) क्रमशः सहकारी खेती और बिक्री तथा स्थानीय स्वायत्त-शासन का अध्ययन करने के लिये दो दल यूगोस्लाविया भेजे गये हैं।

(ख) सदस्यों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Direct Recruitment.
[2]Written and / or *Viva voce* tests.

फ्रंटियर मेल में आग

†*५६९. **श्री जाधव :**
श्री बै० च० मलिक :

क्या **रेलवे** मंत्री १५ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रंटियर मेल की एक बोगी में आग लग जाने के कारणों की रेलवे पुलिस और रेलवे अधिकारियों की समिति द्वारा जांच इस बीच पूरी हो गयी है;

(ख) जांच के परिणाम क्या हैं; और

(ग) उस के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह आग दुर्घटनावश लगी और किसी शरारत का संदेह नहीं किया गया ।

भाखड़ा के श्रमिकों की छंटनी

†*५७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :
श्री अमजद अली :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नंगल परियोजना के १९५९ में छंटनी किये गये कितने श्रमिकों को बदले में दूसरा काम दिया गया है; और

(ख) कितनों को अब भी काम देना बाकी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ९२९ ।

(ख) ९७ ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन डिस्पेंसरियों के लिये इमारतें .

†*५७१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन डिस्पेंसरियों को रखने के लिये विशेष इमारतों के निर्माण का कोई कार्यक्रम है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी डिस्पेंसरियां खुली जायेंगी; और

(ग) किन-किन स्थानों पर ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). डिस्पेंसरियों के लिये इन इन स्थानों पर इमारतें बनाने का विचार है :—

१. लाजपत नगर

२. चांदनी चौक

३. मोती बाग—१

४. पंडारा रोड, और

५. लक्ष्मी बाई नगर (ईस्ट विनय नगर)

खजुरिया घाट सिलीगुड़ी लाइन

†*५७२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ६७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या प्रस्तावित खजुरिया घाट—सिलीगुड़ी लाइन का क्षेत्रीय-पड़ताल कार्य अब पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलित लागत कितनी है; और

(ग) वास्तविक कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग १५.८३ करोड़ रुपये ।

(ग) कार्य आरम्भ हो चुका है ।

वनस्पति

†*५७३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक में वनस्पति के उत्पादन की निर्धारित क्षमता कितनी थी और उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) क्या उद्योग से विस्तार की कोई मांग आई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक में वनस्पति की निर्धारित उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विवरण

(०००. टनों में)

वर्ष	निर्धारित क्षमता	उत्पादन
१९५४–५५	५३३.६	२२५.५
१९५५–५६	५३३.६	२७५.६
१९५६–५७	५३३.६	२६३.६
१९५७–५८	५३३.६	३००.१
१९५८–५९	५३३.६	२९९.१

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*५७४ { **श्री श्री नारायण दास** :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों पर लागू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो आज कल योजना किस स्थिति में है;

(ग) क्या इस प्रश्न के वित्तीय पहलू पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार योजना में कितना अंश देगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन रहा है। प्रस्ताव अभी तो उस समय तक स्थगित कर दिया गया है जब तक कि योजनाधीन जन संख्या के लिये सुविधाओं में सुधार न हो ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मिला-जुला आटा

५७५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्था ने उत्तर प्रदेश को जो मिल-जुला आटा दिया था उसे स्वीकार करने के सम्बन्ध में किये गये परीक्षणों का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री ए० एम० थामस) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि उपभोक्ताओं को मिला-जुला आटा पूर्णतः स्वीकार था ।

नाइजीरिया के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण सुविधायें

†*५७६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड अनेकों नाइजीरिया के विद्यार्थियों को मशीन और असैनिक इंजिनियरिंग के प्रशिक्षण की सुविधायें देने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(ग) उन्हें किन शर्तों पर प्रशिक्षण पाने के लिये अनुमति दी जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां ।

(ख) मशीन सम्बन्धी और असैनिक इंजिनियरिंग में चार चार ।

(ग) यात्रा, भरण-पोषण और प्रशिक्षण व्यय अपने नामनिर्देशित व्यक्तियों को नाइजिरियाई रेलवे कारपोरेशन देगी ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के लिये प्रतिकर योजना

†*५७७. **श्री वै० च० मलिक :**
श्री सुबिमन घोष :
श्री वाडीवा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ६ मई १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४३ और २९ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितने प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं के लिये प्रतिकर दिया गया है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या ठोस कार्यवाही करेगी कि सड़क दुर्घटनाओं से आहत व्यक्तियों को सभी अपराधी इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त प्रतिकर देते हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ७·३ प्रति शत ।

(ख) मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा ११० (१) के अन्तर्गत बने मोटर दुर्घटना दावे न्यायाधिकरणों को व्यवहार न्यायालयों के सारे अधिकार व कृत्य प्राप्त हैं । अतः दिल्ली क्षेत्र में मोटरगाड़ियों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले प्रतिकर के सभी मामले विशेषताओं के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार तय होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पश्चिमी यमुना नहर

†*५७८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पश्चिमी यमुना नहर का परियोजना प्रतिवेदन टेक्निकल जांच के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चिपलिमा बिजली घर

†*५७९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिपलिमा बिजली घर परियोजना का निर्माण समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां बिजली पैदा होने लगी है; और

(ग) इस बिजली घर में कितनी बिजली पैदा होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ७२,००० किलो वाट ।

'बालारी बार' प्रयोग

†*५८०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री साधन गुप्त :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी पर केन्द्रीय जल-विद्युत् अनुसन्धान केन्द्र, पूना द्वारा किये गये

---

†मूल अंग्रेजी में

नमूने के 'बालारी बार' प्रयोगों के परिणाम सरकार को प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं, श्रीमान। अभी नमूने के प्रयोग हो रहे हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टेलीफोन कॉल के लिये टोकिनों का निर्माण

†८३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेलीफोन कॉलों के लिये टोकिनों के निर्माण का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के परामर्श से निश्चित हो गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : मामले पर अभी वित्त मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है।

पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†८३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां कहां खोले जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५९-६० में पंजाब राज्य में खुलने वाले आठ प्राथमिक स्वास्थ्य एकक ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थानों का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चर्खी दादरी में टेलीफोन

†८३९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९५९ तक चर्खी दादरी (पंजाब) में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) अब तक उनमें से कितने व्यक्तियों को टेलीफोन मिल गये हैं ;

(ग) अभी तक कितने प्रार्थनापत्र अनिश्चित पड़े हैं; और

(घ) उन सबको कब तक टेलीफोन मिल जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) इक्यावन।

(ख) तैंईस।

(ग) अट्ठाईस।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) २५ लाइनों के ऐक्स्चेंज के स्थान पर १०० लाइनों का ऐक्सचेंज बनाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके होते ही अन्य टेलीफोन दिये जा सकेंगे।

बम्बई राज्य के लिये डाक तथा तार बोर्ड और समितियां

†८४०. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ के वर्षों में बम्बई राज्य में डाक तथा तार विभाग ने कितनी समितियां तथा बोर्ड बनाये हैं; और

(ख) समितियों तथा बोर्डों में कौन–कौन हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) डाक तथा तार विभाग ने १९५७–५८ और १९५८–५९ के वर्षों में बम्बई राज्य में कोई समिति या परामर्शदाता बोर्ड नहीं बनाया। उस राज्य में १९५७–५८ से पहिले बनाई गई निम्न समितियां अब भी काम कर रही हैं;

(१) एक प्रादेशिक डाक तथा तार परामर्शदाता समिति।

(२) अहमदाबाद, बम्बई, नागपुर, पूना, राजकूट और सूरत में ६ टेलीफोन परामर्शदाता समितियां।

(ख) (१) बम्वई राज्य की प्रादेशिक डाक तथा तार परामर्शदाता समिति में निम्न व्यक्ति हैं:—

(१) संसत्सदस्य	चार
(२) राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधि	एक
(३) राज्य सरकार के प्रतिनिधि–गैर सरकारी	दो
(४) व्यापार तथा वाणिज्य के प्रतिनिधि	छः
कुल	तेरह

(२) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६**]

औरंगाबाद में डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर

†८४१. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९५९–६० में औरंगाबाद में डाक तथा तार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्) : (क) १९५९–६० में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अमरीकी नौवहन सेवाओं द्वारा ढोया गया माल

†८४२. **श्री पांगरकर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८–५९ में अमरीकी नौवहन सेवाओं ने कुल भारतीय आयात व निर्यात का कितने प्रतिशत माल ढोया; और

(ख) उस वर्ष माल के ढोने के लिए अमरीकी नौवहन सेवाओं को कितना भाड़ा दिया गया ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बड़े और कुछ छोटे बन्दरगाहों से एकत्रित किये गये आंकड़ों से विदित होता है कि १९५८–५९ में अमरीकी फ्लेग शिपों ने भारत के कुल आयात व निर्यात का लगभग ८·५ प्रतिशत माल ढोया।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अनुसार १९५८–५९ में अमरीकी नौवहन और विमान सेवाओं ने भारत से भाड़े के रूप में १,६०,३१,७९४ रु० प्राप्त किये। अमरीकी नौवहन सेवाओं द्वारा भाड़े के रूप में भारत में प्राप्त की गई राशि के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त इसके संबंध में भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि अमरीकी स्टीमशिप / विमान समवायों ने लागत–बीमा–भाड़ा पर भारत भेजे गये और नौतल पर्यन्त निशुल्क पर भारत से लाये गये सामान पर विदेशों में और विदेशी मुद्रा में कितना भाड़ा लिया।

तम्बाकू

†८४३. **श्री रामजी वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तम्बाकू की विद्यमान कोटियां जर्मन पसन्द के अनुकूल नहीं है; और

(ख) सितम्बर १९५९ में जो जर्मन विशेषज्ञ यहां आये थे उनके परामर्श पर क्या भारत सरकार तम्बाकू की किस्म जर्मन पसन्द के अनुकूल बनाने की कोई कार्यवाही कर रही है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) यह कहना सच नहीं है कि भारतीय तम्बाकू की विद्यमान कोटियां जर्मन पसन्द के अनुकूल नहीं है। परन्तु जर्मन विशेषज्ञ के

---

†मूल अंग्रेजी में

मतानुसार यह समझा जाता है कि वर्जिनियां किस्म के भारतीय तम्बाकू की मध्यम किस्म की कोटियां जर्मन पसन्द के लिए अधिक उपयुक्त होंगी।

(ख) आजकल सरकार मि० कुएनकेल के प्रयोगों के परिणामों और इस वर्ष बड़े पैमाने पर उगाये गये तम्बाकू के लिए जर्मन निर्माताओं की संभावित प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। जर्मन मार्केट ढूंडने के लिए सरकार अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मार्केटों में प्रसिद्ध और स्वीकृत चालू 'एगमार्क' स्तर के लिए भेदभाव के बिना यथावश्यक कार्यवाही करेगी।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर रेलगाड़ी का लाइन से उतरना

†८४४. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ७ नवम्बर १९५९ को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की लमडिंग बदरपुर ब्रांच लाइन पर सुरंग में मालगाड़ी के नौ डिब्बे पटरी से उतर गये;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे ट्रक, सम्पत्ति और सामान को कितनी क्षति पहुंची ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). हां। ७–११–५९ को लगभग १७·१५ बजे जब मालगाड़ी संख्या ८४२ डाउन पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की लमडिंग–बदरपुर ब्रांच लाइन पर मेलगाडिसा और हरनगजाओं स्टेशनों के बीच जा रही थी, उसके नौ डिब्बे मील संख्या ८१ पर सुरंग के अन्दर लाइन से उतर गये और उससे मुख्य लाइन पर गाड़ियों का चलना बंद हो गया। दुर्घटना से कोई मृत्यु नहीं हुई।

(ग) लगभग १,३०० रु०।

रेलवे में संवरण पद[1]

†८४५. **श्री सदिय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न सख्या ८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ जुलाई १९५९ को प्रत्येक रेलवे में कितने संवरण-पद खाली थे;

(ख) रिक्त स्थानों को भरने में तब से क्या प्रगति हुई है; और

(ग) अब तक उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए (पदालीवार) कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज़ खां)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

1Selection Posts.

विवरण

रेलवे	१–७–५९ को रिक्त पड़े संवरण पद	१–७–५९ को बिना चुने उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप में भरे गये संवरण–पद
मध्य	२५	२६४
पूर्व	१८८	२९८
उत्तर	१०९	८००
पूर्वोत्तर	४८	१५०
पूर्वोत्तर सीमान्त	३८	२१
दक्षिण	७९	४२४
दक्षिण–पूर्व	१०८	३१०
पश्चिम	..	२५४
	५९३	२५२१

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेंगी।

टाइफायड

†८४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने टाइफायड निवारण की कोई व्यापक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब से चावल का निर्यात

†८४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर १९५९ में पंजाब से वास्तव में कितना चावल निर्यात किया गया; और

(ख) किन राज्यों को प्रत्येक राज्य को कितना चावल निर्यात किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर १९५९ में सरकार ने चावल की निम्न मात्रायें निर्यात कीं :

	(टनों में)
सितम्बर	५७९
अक्तूबर	५,७५५
नवम्बर (२४ तारीख तक)	११,४८२
कुल	१७,८१६

जिन राज्यों को चावल भेजा गया उनके नाम और प्रत्येक को भेजी गई मात्रा निम्न है :—

राज्य	मात्रा (टनों में)
जम्मू तथा काश्मीर	७,५७६
बम्बई	८,६५८
उत्तर प्रदेश	२२
पश्चिमी बंगाल	२६४
दिल्ली	१,१२७
हिमाचल प्रदेश	१६९

व्यापार आधार पर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों को जो उसी चावल क्षेत्र में हैं जिसमें पंजाब है, भेजे गये चावल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

लाख उत्पादन

†८४८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ की अपेक्षा १९५९–६० के वर्ष में लाख उत्पादन कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सूखे दूध[1] के कारखाने

†८४९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २१ अगस्त १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे दूध के कारखाने खोलने में क्या प्रगति हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Milk Powder.

(ख) वह कब चालू होंगे ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) एफ० ए० ओ० और युनीसेफ के संयुक्त दल ने, जिसकी सिफारिशों का ब्यौरा, अतारांकित प्रश्न संख्या १२४५ के उत्तर में दिया गया था, सूखे दूध के कारखाने खोलने की सिफारिश नहीं की, अपितु दूध संभरण योजना की सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर युनीसेफ ने बंगलौर की डेयरी परियोजना के लिये ५९०,००० डालर (२८.१० लाख रु०) आवंटित किये हैं।

बंगलौर डेरी परियोजना मैसूर सरकार ने ले ली है और इसका काम १९६१–६२ में आरम्भ हो जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में मोटर दुर्घटनायें

†८५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र में प्रति मास औसत रूप में कितने व्यक्ति मोटर ठेला दुर्घटना से मर जाते हैं ;

(ख) पिछले छः मासों के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं से मरने वाले व्यक्तियों में साईकिल वाले व्यक्ति कितने होते हैं ; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हिमाचल प्रदेश में १ नवम्बर १९५८ से अक्तूबर १९५९ तक मोटर ट्रक दुर्घटनाओं से केवल छः व्यक्ति मरे।

(ख) मास	ट्रक दुर्घटना से मरे व्यक्तियों की संख्या
मई, १९५९	—
जून, १९५९	१
जुलाई, १९५९	—
अगस्त, १९५९	—
सितम्बर, १९५९	—
अक्तूबर, १९५९	—
कुल	१

†मूल अंग्रेजी में

(ग) शून्य ।

(घ) हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना की रोक थाम के लिये निम्न कार्यवाही की गई हैं :—

(१) सड़कों के तल में सुधार किया जा रहा है । जहां आवश्यक है वहां सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और किनारों पर रोक लगाई जा रही हैं ।

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा ३८ के अन्तर्गत निरीक्षण बोर्ड वर्ष में दो बार सारी लोक सेवा में प्रयोग होने वाली गाड़ियों की जांच करता है और उन्हें ठीक घोषित करता ह ।

(३) लदान का अधिकतम भार और बैठने के स्थान निर्धारित कर दिये गये हैं। लोक सेवा में प्रयोग होने वाली गाड़ी को नशीली पदार्थ खा पीकर चलाना निषेध कर दिया गया है ।

(४) हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर प्रयोग हो रही सारी राष्ट्रीयकृत परिवहन गाड़ियों को चालू रखने, सफाई, आदि करने और मरम्मत करने में सुधार करने की कार्यवाही की गई है ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

८५१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में आडियोमीटर (काच की जांच करने का यंत्र) एक वर्ष से काम नहीं कर रहा है ;

(ख) इसे अब तक ठीक न कराने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कान के आपरेशन के लिये रोगियों के नाम एक डेढ़ साल तक प्रतीक्षा सूची में रखे जाते हैं ; और

(घ) यदि हां तो डाक्टरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती जिससे रोगियों को इलाज के लिये इतनी देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़े ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि सफरजंग अस्पताल में आडियोमीटर खराब हो गया है अतः मेसर्ज एम० शाह एण्ड कं०, जिनसे यह मशीन ली गई थी, से बातचीत की गई । मालूम हुआ है कि यंत्र निर्माताओं के जो एजेंट बम्बई में हैं, वे विदेश स्थित निर्माताओं से इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। इस संबंध में फर्म को कई बार याद दिलाई गई है लेकिन अभी तक यंत्र की मरम्मत नहीं हो पाई है।

(ग) जी नहीं । यद्यपि सफदरजंग अस्पताल का कान, नाक, गला सर्जन जनवरी १९५९ से सेवानिवत हो चका है तथापि असिस्टेंट सर्जन के स्तर का एक मेडिकल अफसर जिसके पास कान, नाक गले की अधिस्नातक योग्यतायें एवं इस कार्य का व्यवसायिक अनुभव है, कान, नाक

गला विभाग में काम कर रहा है और उस समय तक काम करता रहेगा जब तक संघीय लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर कोई सीनियर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया जाता। फिर भी सीनियर सर्जन की अनुपस्थिति में इस विभाग में आपरेशन का काम अनिवार्यतः सीमित किया गया है।

(घ) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन डाक्टरों की संख्या बढ़ा दी गई है। संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किये जाने तक इन पदों की अस्थायी पूर्ति के लिये सीधी भर्ती की जा रही है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान व मृगवन

†८५२. श्री **पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार यह जान सकी है कि राष्ट्रीय उद्यान और मृगवन स्थापित करने के लिये उड़ीसा को जो वित्तीय सहायता दी गई थी उसका उड़ीसा सरकार ने किस प्रकार उपयोग किया ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

सहकारी ऋण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

†८५३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ओझा :
श्री दामानी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी ऋण संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये किस प्रकार की कार्रवाई की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

मानसिक स्वास्थ्य सेवायें

†८५४. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने देश में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का विकास करने और मस्तिष्क स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यकलापों के समायोजन की दृष्टि से एक केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). यह मामला केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अगली बैठक से पहले ही पेश किया जायेगा ।

चीनी का भाव

†८५५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री खुशवक्त राय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तबसे चीनी के भाव के बारे में प्रशुल्क आयोग के पास से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या खास सिफारिशें की गई हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन की सरकार जांच कर रही है । आयोग की सिफारिशों को जांच कर लेने और उन पर निर्णय हो जाने के पश्चात् उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नगर आयोजन सम्बन्धी आदर्श विधान

†८५६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर आयोजन सम्बन्धी आदर्श विधान को अन्तिम रूप देने के बारे में और आगे क्या प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : नगर आयोजन सम्बन्धी आदर्श विधान के प्रारूप पर राज्य सरकारों से प्राप्त टीकाओं की जांच एक पुनरीक्षित प्रारूप तैयार करने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रादेशिक और नगर आयोजन संगठन द्वारा की जा रही है। पुनरीक्षित प्रारूप राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया जायेगा जिस से वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उपयुक्त विधान बना सकें और जो रूपभेद उस में वे करना आवश्यक समझें, कर सकें।

पोतों की मरम्मत की सुविधायें

†८५७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रा० च० मांझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोतों की मरम्मत की विद्यमान सुविधाओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर तबसे विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज-बहादुर) : (क) और (ख). समिति की सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

पश्चिम जर्मनी का कृषि प्रतिनिधिमण्डल

†८५८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ७ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के कृषि विकास की दृष्टि से इस देश का भ्रमण करने के लिये आये पश्चिम जर्मनी के कृषि प्रतिनिधिमण्डल से प्राप्त रिपोर्टों को जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). रिपोर्टों की जांच भारत सरकार अभी कर रही है।

राष्ट्रीय पतन बोर्ड[1]

†८५९. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० चं० माझी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० अक्तूबर, १९५९ को मद्रास में राष्ट्रीय पतन बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] National Harbour Board

(ख) क्या सरकार ने वे सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक उन में से कौन-कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) प्रमुख सिफारिशें और उनको कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विद्यमान स्थिति सम्बद्ध विवरण में दिखाई गई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]

ठेकेदारों को भुगतान में विलम्ब

†२६०. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बारे में ठेकेदारों के पास से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भुगतान में विलम्ब होने से पश्चिम रेलवे पर और आगे निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) १९५१ से १९५८ तक कितने निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और कितने मामलों में अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) क्या मरम्मत सम्बन्धी कार्यों के लिये टेण्डर प्रति वर्ष मांगे जाते हैं और वर्ष के किस महीने में ये टेण्डर मांगे जाते हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के बम्बई डिवीजन के बुलसर सब-डिवीजन के खण्ड संख्या ४ के लिये चार बार टेण्डर मांगे गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ठेकेदारों के पास से इस बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं कि भुगतान में विलम्ब हो जाने से पश्चिम रेलवे के और आगे के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) पश्चिम रेलवे पर १९५१ से १९५८ तक पूरे किये गये निर्माण कार्यों की संख्या १९,३५८ है। १५० मामलों में भुगतान न करने का प्रमुख कारण यह था कि ठेकेदारों ने या तो रेलवे के निश्चित विवरण के अनुसार काम पूरा नहीं किया और या अधिक राशि की मांग की थी। स प्रकार की मांगों की जांच करने और उन के बारे में अन्तिम निर्णय करने के कारण ही प्रमुख रूप से विलम्ब हुआ।

(ग) मरम्मत के कामों के लिये टेण्डर प्रति वर्ष मांगे जाते हैं। टेण्डर की सूचना प्रति वर्ष फरवरी या मार्च के महीने में आम तौर से जारी कर दी जाती है।

(घ) यह सच है कि पश्चिम रेलवे के बम्बई डिवीजन के बुलसर सब-डिवीजन के खण्ड संख्या ४ के लिये चार बार टेण्डर मांगे गये थे।

(ङ) ऐसा अधिक अनुकूल दर प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया था क्योंकि पहले जो टेण्डर प्राप्त हुए थे वे १९५६–५७ और १९५७–५८ के स्वीकृत टेण्डरों से अधिक ऊंची दर वाले थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में बौद्ध केन्द्रों के लिए पक्की सड़क

†८६१. **श्री बें० च० मलिक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को सरकार द्वारा कटक जिले में सालीपुर से लेकर ललितगिरि, रत्नगिरि और उदयगिरि के बौद्ध केन्द्रों तक पक्की सड़क बनाने के बारे में भारत सरकार से मांगा गया ब्योरा भेज दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा की सरकार को निम्न मिलाने वाली सड़कों के सुधार/निर्माण लागत का ५० प्रतिशत अनुदान तथा अधिकतम ६.३७३ लाख पये की राशि देने का प्रस्ताव किया गया है और शेष की पूर्ति वह केन्द्रीय सड़क निधि के आवंटन से करेगी :—

सड़क का नाम	प्राक्कलित व्यय
	(लाख रुपयों में)
(१) सालीपुर-कुआनपाल रोड	४.४५८
(२) बाली चन्द्र पुर-ललितगिरि रोड	१.०५५
(३) ललितगिरि-गोपालपुर रोड	१.७४३
(४) गोपालपुर—उदयगिरि ोड	२.३९४
(५) बेनोपुर—रत्नगिरि रोड	३.०९६
	१२.७४६

इन मिलाने वालो सड़कों के पूरी बन जाने पर सालीपुर ललितगिरि, उदयगिरि और रत्नगिरि से मिल जा ेगा ।

नई दिल्ली में बाल वाटिका, तैरने का तालाब आदि

८६२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली नगरपालिका जिस (१) बाल वाटिका, (२) तैरने के तालाब, और (३) खुली नाट्यशाला के निर्माण के बारे में विचार कर रही थी, उसके सिलसिले में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : नई दिल्ली नगरपालिका का म्युनिसिपल इंजीनियर प्रधान वास्तुकार (चीफ आर्किटेक्ट) द्वारा तैयार किये गये नक्शों के अनुसार प्रस्तावित बाल-वाटिका और तैरने के तालाब के सम्बन्ध में विस्तृत प्राक्कलन (एस्टिमेट्स) तैयार कर रहा है। नगरपालिका द्वारा उन प्राक्कलनों (एस्टिमेट्स) के स्वीकृत होने के बाद आवश्यक निर्माण-कार्य शुरू किया जायेगा। जैसा कि पहले बताया गया था, राष्ट्रीय युवक केन्द्र, जिसमें खुली नाट्यशाला भी सम्मिलित है, की स्थापना की योजना शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है। प्रस्तावित केन्द्र के नक्शे तथा प्राक्कलन (डिज़ाइन्ज़ एण्ड एस्टिमेट्स) अभी तैयार किये जा रहे हैं।

छोटी दुर्घटनायें और रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†८६३. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ की तुलना में १९५९ में छोटी दुर्घटनाओं और रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने की घटनाओं की संख्या अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो १ जनवरी से ३० अक्तूबर, १९५९ के दौरान में इस प्रकार की दुर्घटनाओं और पटरी से उतर जाने की घटनाओं की संख्या कितनी थी ;

(ग) दुर्घटनाओं और रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने की घटनाओं के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुये अथवा मारे गये और उनमें से रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १९५९-६० में सितम्बर, १९५९ तक पिछले वर्ष के उसी काल की तुलना में रेलगाड़ियों की भिड़न्त और पटरी से उतर जाने की घटनाओं की संख्या कम थी।

(ख) अप्रैल, १९५९ से सितम्बर, १९५९ के दौरान में गाड़ी लड़ जाने की ४८ घटनायें और पटरी से उतर जाने की ७६२ घटनायें घटीं। अक्तूबर के सम्पूर्ण आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अप्रैल, १९५९ से जुलाई, १९५९ के दौरान में हुई दुर्घटनाओं का कारणवार विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

(१) रेलवे कर्मचारियों की असफलता	२९०
(२) रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त लोगों की असफलता	२

†मूल अंग्रेजी में

(३) मशीन का खराब हो जाना	४३
(४) पटरी का खराब हो जाना	१९
(५) तोड़-फोड़	२
(६) दुर्घटनावश	४९
(७) जिनमें कारण का पता नहीं लग सका	१
(८) कारणों का अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया	७७
योग	४८३

(घ) दुर्घटनायें (अप्रैल से सितम्बर '५९)

	मारे गये	घायल गम्भीर	घायल साधारण
(१) यात्री	१	७	१३७
(२) रेलवे कर्मचारी	१२	१९	१२०
(३) अन्य	—	—	—

अमरीकी विकास ऋण निधि में से रेलों के लिए ऋण

†८६४. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पद्म देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी विकास निधि ऋण ने भारतीय रेलों के लिये ३ करोड़ डालर ऋण देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका उपयोग किस तरीके से करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मामला अभी भी विचाराधीन है और इस पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

मनीपुर स्टेट कोआपरेटिव बैंक

†८६५. श्री ले० अचो सिंह : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने मनीपुर की सहकारी ऋण समितियों को पिछले दो वर्षों में कोई ऋण दिया है ; और

(ख) मनीपुर में उक्त काल में ऋण सम्बन्धी उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिये कितनी सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हां; चार कृषि सहकारी समितियों को ।

(ख) पिछले दो वर्षों में स्थापित की गई समितियों सम्बन्धी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। हां अब तक ३५ कृषि ऋण और बहुप्रयोजनीय समितियां और ७ गैर-कृषि ऋण समितियां स्थापित की गई हैं ।

मनीपुर शीर्ष सहकारी विपणन समिति[1]

†८६६. श्री ले० अबौ सिंह : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल की मनीपुर शीर्ष सहकारी विपणन समिति के १९५८–५९ के लेखाओं की लेखा परीक्षा की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके चलाने से कितना लाभ हुआ है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) कोई लाभ नहीं अपितु २,३५१ रुपये (केवल २ हज़ार तीन सौ इक्यावन) रुपये की शुद्ध हानि हुई है ।

भुंटार में हवाई पट्टी

†८६७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल्लू घाटी के भुंटार में एक हवाई पट्टी बनाने के बारे में और आगे क्या प्रगति की गई है जैसी कि असैनिक उड्डयन निदेशक द्वारा सिफारिश की गई है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहोउद्दीन) : पंजाब सरकार द्वारा विद्यमान जहां उतरने के स्थान में कुछ सुधार किये गये हैं और वहां एक अस्थायी शेड का प्रबन्ध कर दिया गया है। ३ अक्तूबर, १९५९ को दिल्ली-चण्डीगढ़-कुल्लू विमान सेवा का उद्घाटन किया गया था । यह सेवा सप्ताह में दो बार चलती थी और वह २ नवम्बर, १९५९ तक चलती रही । अब यह सेवा आगामी अप्रैल में आरम्भ कर दी जायेगी ।

मौसमी विमान सेवा को चलाने में सुविधा देने के लिये अस्थायी तौर पर वायु यातायात नियंत्रण और संचार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और भुंटार में एक चालू मौसम वेधशाला खोल दी गई थी ।

टिड्डी आक्रमण

†८६८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिनको अगस्त, १९५९ से नवम्बर, १९५९ तक टिड्डियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था ; और

(ख) उससे कितनी हानि हुई ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Manipur Apex Cooperative Marketing Society

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) राजस्थान ।

(ख) एक भी नहीं ।

पंजाब के गांवों में बिजली

†८६९. श्री अजित सिंह सरहद
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९५९–६० में गांवों में बिजली लगाने की योजना के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने गांवों में बिजली लगाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिनके अनुसार १.३० लाख रुपये का व्यय करना होगा। इन प्रस्तावों में राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों की डल और भाखड़ा-नंगल पद्धतियों के अधीन बिजली लगाने की ११५ योजनायें शामिल हैं। पंजब को १९५९–६० के लिये निश्चित की गई कुल केन्द्रीय सहायता में उनकी इस मांग को शामिल कर लेने का विचार है ।

अण्डमान के वन

†८७०. सरदार अ० सिं० सहगल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान के वनों से प्लाईवुड, गुरजन, सफेद चुगलम, बादाम और लाल धूप आदि लकड़ी लट्ठे के रूप में कलकत्ते के बाजार में किस भाव पर बेची जाती है ;

(ख) कलकत्ते के बाजार में गैर-प्लाई गुरजन और अन्य कड़ी लकड़ी, पेटियां बनाने की लकड़ी और दियासलाई की लकड़ी लट्ठे के रूप में किस भाव पर बिकती है ;

(ग) वन विभाग द्वारा हिसाब लगाने के प्रयोजन से वगैर-प्लाई वुड, कड़ी लकड़ी, दियासलाई बनाने की लकड़ी आदि पर पृथक-पृथक कितनी राशि वसूल की जाती है ;

(घ) लट्ठों और छोटे-छोटे टुकड़ों पर भाड़ा और नौवहन प्रभार प्रति टन किस हिसाब से लगाया जाता है ;

(ङ) कलकत्ता में लटठों और छोटे-छोटे टुकड़ों को ढोने और डिपो के किराये के रूप में कितनी और राशि ली जाती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) कलकत्ते के बाज़ार में कड़ी लकड़ी, नक्काशी करने की लकड़ी और पेटियां बनाने की लकड़ी किस भाव पर बेची जाती है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) प्लाईवुड कारखानों को संभरण किये गये प्लाईवुड के लट्ठों के लिये इस समय भारत सरकार ने इस प्रकार दरें निश्चित की हैं :—

गुरजन . . .	२५२ रुपये प्रति टन।
बादाम, सफेद चुगलम और लाल धूप .	२०३ पये प्रति टन।

(ख) ग़ैर-प्लाई लट्ठों का भाव जो कलकत्ते में नीलाम से बेचे जाते हैं इस प्रकार है :—

गुरजन . .	२०७.५० से २५५ रुपये प्रति टन
दूसरी कड़ी लकड़ी के लट्ठे . .	१२५ से २१७.५० रुपये प्रति टन
पेटियां बनाने के लट्ठे . . .	११० से २४० रुपये प्रति टन
दियासलाई बनाने के लट्ठे दियासलाई बनाने के कारखानों को निश्चित भाव पर बेचे गये	१७८ रुपये बन्दरगाह पर पहुंचने पर और १९६.५० रुपये डिपो पर पहुंचने पर।

(ग) विभाग द्वारा जो लकड़ी निकाली जाती है उस पर उसी दर से पारिश्रमिक लिया जाता है जो उत्तरी अण्डमान पट्टेदार से लिया जाता है, उदाहरणतः

(१) दियासलाई बनाने की लकड़ी	नौतल पर्यन्त निःशुल्क भाव का ४१ प्रतिशत
(२) प्लाईवुड	नौतल पर्यन्त निःशुल्क भाव का ४५ प्रति शत
(३) कड़ी लकड़ी और नक्काशी की लकड़ी	नौतल पर्यन्त निःशुल्क भाव का ५० प्रतिशत

(घ) अण्डमान से कलकत्ता का इस समय का भाड़ा निम्न प्रकार है :—

लट्ठे . .	८३ पये प्रति टन
छोटे-छोटे टुकड़े . .	६० रुपये प्रति टन।

इसके साथ-साथ लट्ठों और छोटे-छोटे टुकड़ों पर नौवहन और उन्हें चढ़ाने-उतारने के लिये लगभग ५ रुपये प्रति टन और लिये जाते हैं।

(ङ) लट्ठे . . .	१८.५० रुपये प्रति टन
छोटे छोटे टुकड़े	२०.०० रुपये प्रति टन।

(च) कलकत्ते में जो चिरी हुई पुरानी फुटकर कड़ी लकड़ी बिकती है उसके भाव में १५५ रुपये प्रति टन और पदौक की छोटी-छोटी लकड़ियों के भाव में ६०५ रुपये प्रति टन तक का अन्तर रहता है। मूल्यों में अन्तर लकड़ी की किस्म और आकार के साथ उसकी मांग और संभरण के कारण भी होता रहता है। कलकत्ता में चिरी लकड़ी का औसतन बिक्रय मूल्य ३३० पये प्रति टन तक रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अण्डमान के बन

†८७१. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी अण्डमान परियोजना के साफ इलाकों में, करार के अनुसार, ठेकेदार ४ फीट के घेरे से अधिक में फैले पेड़ों को काटने के लिये विवश होता है ;

(ख) क्या यह सच है कि ४ फीट से अधिक घेरे में फैले पेड़ों पर निशान न लगाने और उन पर संख्या न डालने के कारण इस बात का पता लगाना सम्भव नहीं है कि ठेकेदार ने उन सभी वृक्षों को गिरा दिया है; और

(ग) क्या फार्म संख्या ७ को तैयार कर सकना संभव होगा जिसमें स प्रकार प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किये गये आंकड़ों के अभाव में विश्वसनीय जानकारी दी जाती है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां। करार के अन्तर्गत ठेकेदार को योजना के अनुसार साफ इलाकों के बीज वाले वृक्षों को छोड़कर शेष कम से कम ४ फुट वाले सीने की ऊंचाई पर (४ फुट६ इंच की ऊंचाई तक) के वृक्षों को काटना पड़ता है।

(ख) जी नहीं। जब कि ठेकेदार अपना काम करता होता है, विभाग के पदाधिकारी समय-समय पर सकी जांच-पड़ताल करते हैं कि करार के अनुसार वृक्ष गिराये जाते हैं अथवा नहीं। गिराये जाने वाले वृक्षों में से यदि कोई वृक्ष लगा रह जाता है तो उस पर चिन्ह लगा दिया जाता है और ठेकेदार से उसे गिरा देने के लिये कह दिया जाता है। कार्य समाप्त हो जाने की रिपोर्ट तभी दी जाती है जब कि ठेकेदार गिरा जाने वाले सारे वृक्षों को गिरा देता है।

(ग) जी नहीं। फार्म संख्या ७ अण्डमान प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा लट्ठों की नाप-जोख और गणना कर लेने के पश्चात् प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किये गये आंकड़ों के आधार पर ही तैयार किया जाता है ।

अण्डमान के वन

†८७२. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स ो० सी० रे आदि के साथ उत्तरी अण्डमान करार के लाइसेंस के खण्ड १४ को दृष्टि में रखते हुये जिसमें कि यह व्यवस्था है कि एफ० ओ० बी० मूल्य मुख्यायुक्त द्वारा समय-समय पर कलकत्ता के बाज़ार की स्थिति को ध्यान में रखते ये निश्चित किया जा गा, उनके भाव कलकत्ते में नीलाम के सामान्य मासिक दर पर निश्चित किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में प्रति मास (१) मायाबन्दर आरा मिल और (२) विदेश को निर्यात की गई कड़ी लकड़ी और नक्काशी वाली लकड़ी के लिये निर्धारित प्रति टन रायल्टी के आंकड़े अलग-अलग बतायेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) और (ख). लट्ठों के भाव उत्तरी अण्डमान करार के लाइसेंस के खण्ड १४ (३) (क) और (ख) के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। रायल्टी मासिक नहीं तिमाही दर पर निर्धारित की जाती है। १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ की भिन्न-भिन्न तिमाहियों में कड़ी लकड़ी और नक्काशी वाली लकड़ी के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

रायल्टी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]**

अण्डमान से लकड़ी

†८७३. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५ मई, १९५८ को अण्डमान गवर्नमेण्ट टिम्बर डिपो द्वारा फुटकर कड़ी लकड़ी का ढेर संख्या ४ जो लगभग ६६ टन था, किस भाव पर नीलाम किया गया था और यह मूल्य इस प्रकार की लकड़ी के लिये पोर्ट ब्लेयर पर प्राप्त मूल्य की तुलना में कैसा था ;

(ख) पोर्ट ब्लेयर से उक्त लकड़ी को कलकत्ता तक लाने में कितना भाड़ा दिया गया था ; और

(ग) पोर्ट ब्लेयर के बजाय इस माल को कलकत्ते तक जहाज से लाने का क्या औचित्य था ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) ३,२०० रुपये।

पोर्ट ब्लेयर पर के मूल्य से इसकी कोई तुलना कर सकना संभव नहीं है क्योंकि ब्लेयर पत्तन पर इस प्रकार की लकड़ी इस्तेमाल में नहीं आती है :

(ख) और (ग). इस ढेर में अण्डमान से कलकत्ता को चिरी हुई जहाज द्वारा भेजी गई लकड़ी में यार्ड में बची-खुची और टूटी-फूटी लकड़ी थी। इस कारण ढेर का वास्तव में कितना भाड़ा दिया गया, यह बता सकना संभव नहीं है।

अण्डमान की इमारती लकड़ी

†८७४. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ मई, १९५८ को अन्डमान गवर्नमेंट टिम्बर डिपो, कलकत्ता, द्वारा मेसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी लिमिटेड को नीलामी में कुल ३६५ टन हार्डवुड के शहतीर बेचे गये थे (५ मई, १९५८ की नीलामी बिक्री संख्या १०३ का लॉट नम्बर १) ;

(ख) यदि हां, तो उस बिक्री से कुल कितनी कीमत प्राप्त हुई थी ;

(ग) क्या खरीददार कम्पनी ने उस लकड़ी को वहां से उठाया नहीं था और उसकी पुनः नीलामी करनी पड़ी थी और इससे केवल १३,५०० रुपये प्राप्त हुये थे ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस नुकसान को पहले वाले खरीददार से पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की हानियों की रोक थाम करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) नीलामी में लकड़ी का लॉट मेसर्ज पी० सी० दे एण्ड कम्पनी को नहीं अपितु मेसर्स जी० आर० टिम्बर, सिंडीकेट को बेचा गया था ।

(ख) १३,५०० रुपये ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ग्रांड ट्रंक रोड

†८७५. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत सितम्बर को चन्द्रनगर से गुजरने वाली ग्रांड ट्रंक रोड को कुछ दिनों के लिये बन्द कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे गणवेश समिति[1]

†८७६. श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री धर्म लिंगम् :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे गणवेश समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). रेलवे गणवेश समिति की रिपोर्ट पर अभी तक विचार किया जा रहा है और आशा है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Railway Uniforms Committee.

दिल्ली में दुर्घटनायें

†८७७. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५९ में औरंगजेब रोड, नई दिल्ली, में एक घातक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक तांगा चालक मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस चालक की लाश कई घंटों तक उस सड़क पर ही पड़ी रही; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की पूछताछ की है कि उसकी लाश को वहां से पहले क्यों नहीं उठाया गया?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९]**

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए तार

†८७८. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में टेलीफोन लगाने के लिये टेलीफोन के तार की कुल कितनी मांग है; और

(ख) टेलीफोन के तार के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) प्रतिवर्ष लगभग १५००-२००० टन तार की आवश्यकता होती है;

(ख) सामान्यतया डाक तथा तार विभाग लोहे के तारों का आयात नहीं करता है। जब भी डाक तथा तार विभाग की इस सम्बन्ध में मांग इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह देश में से पूरी नहीं हो सकती तो उस स्थिति में आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर, कलकत्ता के द्वारा जी० आई० तार मंगवायी जाती है। १९५९-६० में आयात किये गये तार पर लगभग १३८९००.०० डालर की विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर रेलवे के पुल

†८७९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लूम्डिंग तथा बदरपुर के बीच के पहाड़ी सेक्शन में स्थित सभी रेलवे पुलों की हालत इतनी खराब हो गयी है कि इस बात का खतरा है कि उनसे कोई भयंकर दुर्घटना न हो जाये और उससे जान और माल का नुकसान न हो जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में तथा कार्यवाही की है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं। पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लम्डिंग तथा बद्रपुर के बीच के सभी रेलवे पुल ठीक हालत में हैं और उनकी ऐसी हालत नहीं है जिससे कोई अत्यधिक भ कर दुर्घटना हो जाये। उन पुलों की अच्छी प्रकार से देखभाल की जाती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कथ

†८८०. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश क विभिन्न **रिसर्च ब्रीडिंग सैन्टरों** में सुधरी किस्म के कथ के बीजों के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : पंजाब सरकार ने कथ के सुधरे किस्म के बीजों के उत्पादन की सम्भावनाओं का अनुसंधान करने के बारे में एक योजना भेजी है और उसक लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की है। यह योजना लगभग ६ वर्षों की अवधि में पूरी होगी और इस पर ८०,२९० रुपयों की लागत आयेगी। परिषद् की वैज्ञानिक समितियों तथा सलाहकार बोर्ड ने इस योजना पर विचार किया है और दिसम्बर, १९५९ में अन्तिम मंजूरी के लिये इसे शासी निकाय के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।

औषधीय जड़ी बूटियों का विकास

†८८१. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में अबतक औषधीय जड़ी बूटियों के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी राजकीय सहायता, ऋण अथवा अनुदान दिये गये हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि में पंजाब सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये कोई राशि मांगी थी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) इस प्रकार की योजनाओं के लिये केन्द्र की ओर स ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्यों को दी गई राशियां सभा-पटल पर रखे गये एक विवरण में दी ग ी ह। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०**]।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में कुक्कुट पालन केन्द्र[1]

†८८२. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पंजाब में कुल कितने कुक्कुट पालन केन्द्र हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Poultry Farm.

(ख) क्या पंजाब में १९५९-६० में कोई ादेशिक कुक्कुट पालन केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) कोई नहीं।

(ख) जी, नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन केवल पांच कुक्कुट पालन केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है।

ये पांच केन्द्र हिमाचल प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, मैसूर तथा दिल्ली में स्थापित किये गये हैं। आशा है कि ंजाब की इस सम्बन्ध में आवश्यकता दिल्ली के केन्द्र से ही पूरी की जा सकेगी।

त्रिपुरा में भूमि विहीन मजदूरों की बस्ती

†८८३. **श्री दशरथ देब** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के चीफ कमिश्नर को इस सहकारी संस्था के प्रबन्ध-कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है जो कि कांकी (खोवई) त्रिपुरा में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिये एक बस्ती बसा े के लिये स्थापित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायत आयी है;

(ग) क्या उस शिकायत के बारे में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, ो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). त्रिपुरा के चीफ कमिश्नर के पास कांकी की सहकारी संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। हां, कुछ एक व्यक्तियों ने भूमि अधिग्रहण नियन्त्रक के पास एक संयुक्त अभ्यावेदन भेजा है जिसमें उन्होंने खोवाम के एस० डी० ओ० द्वारा भेजे गये इस सुझाव का विरोध किया गया है कि उक्त सहकारी संस्था को इस बस्ती के लिये कुल लगभग ५० द्रोन भूमि के दो प्लाट एलाट किये जायें।

(ग) और (घ). मामले की सम्पूर्ण तथा विस्तृत जांच करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त क्षेत्र में जोत भूमि अथवा आदिम जातीय लोगों की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये बिना सहकारी संस्था को ३०० द्रोन भूमि एलाट की जा सकती थी। उक्त ३०० द्रोन भूमि उस संस्था को दे दी गयी है जिसके लिये वह संस्था ६२ नये पैसे प्रति कानी प्रतिवर्ष की दर से ीन वर्षों तक किराया ेती र ेगी।

पश्चिमी बंगाल में नयी रेलवे लाइन

†८८४. **श्री साधन गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल में नयी रेलवे लाइनें बनाने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड को अपने सुझाव भेज दिये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो नयी रेलवे लाइनों के क्या-क्या नाम हैं ;

(ग) क्या उक्त सुझावों को और विशेषकर सटंरागाची को विष्णुपुर से मिलाने वाली लाइन के बारे में दिये गये सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सम्बद्ध है :—

विवरण

संख्या	परियोजना का नाम	लाइन	मीलों में लम्बाई
१	खजूरिया-मालदा-इखलाकी-हिली .	मीटर लाइन	८७
	(क) तिलडांगा-फराक्का	बड़ी लाइन	३
	(ख) तिलडांगा—पकूर	बड़ी लाइन	१०
	(ग) चिलमपुर—रायगंज	मीटर लाइन	२४
२	अतिपुर द्वारा—बेलाकोबा	मीटर लाइन	६५
३	सटंरागाची-विष्णुपुर .	बड़ी लाइन	७६
४	नलहाटी—आजिमगंज विस्तार	बड़ी लाइन	३
५	मचादा—तमलुक—कन्टाई—डिघा	बड़ी लाइन	७०
६	लक्ष्मी कांतापुर—काकद्वीप	बड़ी लाइन	२५
७	तारकेश्वर—विष्णुपुर .	बड़ी लाइन	७५

(ग) और (घ). पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा सुझायी गयी लाइनों में से तिलडांगा—फराक्का और खजूरिया घाट—मालदा की बड़ी लाइनों के लिये मंजूरी दे दी गयी है । अन्य सुझावों को योजना आयोग द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करना मंजूर नहीं किया है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन पर विचार किया जायेगा ।

भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी निर्माण कार्य

†८८५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई और विद्युत संबंधी निर्माण कार्य के संबंध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिपरिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१**] ।

बिहार को ऋण

†८८६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार को इस वर्ष कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई अल्प कालीन ऋण दिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण दिया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) उर्वरक तथा बीजों की खरीद तथा वितरण के लिये इस वर्ष राज्य सरकार को ६० लाख रुपयों का अल्प कालीन ऋण दिया गया है ?

गोदाम योजनायें

†८८७. {**डा० राम सुभग सिंह :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में गोदाम योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं ; और

(ख) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मेरा अनुमान है कि यह प्रश्न कृषि उत्पादन (विकास तथा **गोदाम**) निगम अधिनियम, १९५६ के अधीन गोदामों के बारे में पूछा गया है । इस संबंध में स्थिति निम्नलिखित है :

(क) जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त शेष सभी राज्यों में योजना प्रारम्भ कर दी गयी है ।

(ख) केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा कुल ९ गोदाम स्थापित किये गये हैं जिनकी कुल धारिता ३४,१०० टन है और राज्य भांडागार निगमों द्वारा ८० गोदाम स्थापित किये गये हैं जिनकी धारिता ५०,००० टन है ।

आसनसोल डिवीजन में रेल दुर्घटना

†८८८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९५९ के मध्य में पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में छिपादोहर तथा बरवादीह के बीच ३४४/२ मील के स्थान पर एक रेल दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना की तिथि, समय तथा ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बरवादिह के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर द्वारा पास किये गये 'काशन आर्डर' दुर्घटना से कुछ ही घंटे पहले वापिस ले लिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो वह आर्डर किस तिथि को और कितने बजे वापिस लिया गया था ;

(ङ) क्या मामले की कोई जांच करायी गयी है ;

(च) यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). १४-८-५९ को लगभग २ बज कर १२ मिनट पर रात को जब नम्बर अप डब्ल्यू डी० बी० एम० थ्रू गुड्स ट्रेन (माल गाड़ी)

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के धनवाद डिविजन के छिपादोहर और बरवादिह स्टेशन के बीच चल रही थी तो उसके डिब्बे लाइन से उतर गये ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) और (च). जी, हां ।

(छ) रेलवे प्रशासन, उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में फैसला कर रहा है ।

स्टेशनों पर लॉकर

†८८९. **श्री अजित सिंह सरहदी : क्या रेलवे मंत्री** २५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न **संख्या** १४९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर 'सेफटी' लाकरों की व्यवस्था से संबंधित योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस किस स्टेशन पर ये लाकर लगाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कुछ एक बड़े बड़े स्टेशनों पर लॉकर लगाने का फैसला कर लिया गया है और उसके लिये ३० लॉकर खरीदे जा रहे हैं ।

(ख) विभिन्न रेलों के कुछ एक बड़े स्टेशनों पर लॉकर लगाये जा रहे हैं । परन्तु स्टेशनों के बारे में अभी तक फैसला नहीं किया जा सकता है ।

ग्राम्य जल संभरण योजनायें

†८९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम का विस्तार करने की एक योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य रूप से किन-किन बातों पर विचार किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक तो यह योजना केवल उन्हीं गांवों तक के लिये सीमित है जिनके जल संभरण का कोई सामान्य स्रोत हो । परन्तु नयी योजना के अनुसार उसका विस्तार करने का विचार है ताकि अलग अलग ग्रामों की जल संभरण संबंधी योजनाओं को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके ।

इम्फाल नगर का अव्यवस्थित विस्तार

†८९१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल नगर के अव्यवस्थित विस्तार को नियमित कर देने के संबंध में कोई योजना है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उस नगर को इम्फेलपत की ओर बढ़ाने के संबंध में कोई योजना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इम्फाल नगर बोर्ड ने इम्फाल नगर क्षेत्र के विस्तार के संबंध मे एक योजना मनीपुर प्रशासन के पास भेजी है । इस योजना में पूर्व और दक्षिण के इम्फेलपत के चारों ओर के क्षेत्र भी सम्मिलित है । मनीपुर प्रशासन द्वारा उस योजना पर विचार किया जा रहा है ।

डाक तथा तार सर्कल, पश्चिमी बंगाल

†८९२. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के डाक तथा तार सर्कल में **क्लर्क तथा** सम्बद्ध पदाली में नियुक्ति के लिये चुने गये कुछ एक ऐसे अभ्यार्थियों को, जिन्हें १९५८ में विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि स्थानीय प्राधिकारियों का यह कहना है कि उन अभ्यार्थियों का चुनाव उचित रूप से नहीं किया गया था ; **और**

(ख) यदि हां, तो उन के प्रशिक्षण पर किये गये खर्च का क्या किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के डाक तथा तार कर्मचारियों को पेशगी वेतन

†८९३. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में हाल ही में बाढ़ के रूप में **दैवी** आपत्ति आयी थी, उसे ध्यान में रखते हुए पश्चिमी बंगाल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के डाक तथा तार कर्मचारियों को पेशगी वेतन देने के संबंध में कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कब तक आर्डर जारी कर दिये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). मामलात अभी विचाराधीन है ।

किंग इन्स्टीट्यूट, गिंडी

†८९४. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किंग इन्स्टीट्यूट, गिंडी, में जीवाणु सम्बन्धी टीकों के किस मद पर अनुसंधान कार्य चल रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :

१. हैज़ा विरोधी टीकों के निर्माण में इस्तेमाल करने के लिये हैज़े के वाइब्रयोज़ (Vibrios) के इनावा तथा ओगावा की स्ट्रैन्स (Inaba and Ogawa strains) सापेक्ष तीव्रता का अध्ययन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. टीका निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इनावा तथा "ओगावा" कालेरा वाइब्रियोज़ के 'स्ट्रेन्स' का कुछ निश्चित समय के उपरान्त परीक्षण करना तथा अध्ययन करना।

३. संस्था द्वारा तैयार किये जाने वाले टीकों की विभिन्न शक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं के बारे में अध्ययन करना ताकि कम खर्च पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके।

बकरी का दूध

†८९५. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री वें० प० नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकरियों के दूध की मात्रा को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या ; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल प्रारम्भ से अब तक उनके दूध में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। कुछ एक राज्य अपनी ओर से बकरियों के दूध को बढ़ाने की दृष्टि से उनके विकास के सम्बन्ध में कई कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, उड़ीसा, तथा पंजाब के राज्यों में बेतल बकरी की नस्ल सुधारी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् भी, समय समय पर, बकरियों से अधिक दूध प्राप्त करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य में राज्यों की सहायता करती रहती है। इस प्रकार की एक योजना सरकारी ढोर फार्म, हिसार (पंजाब) में १९३९ से १९५९ तक चलायी गयी थी और अब पंजाब सरकार ने उसे १ अप्रैल, १९५९ से अपने हाथ में ले लिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने हाल ही में इस संबन्ध में एक आदर्श योजना तैयार की है जिसे कुछ एक राज्यों में प्रादेशिक आधार पर चलाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय नस्लों का 'सानेन' नस्ल से, जो कि अत्यधिक दूध देने वाली स्विट्ज़रलैण्ड की बकरी है, वर्णसंकर नस्ल पैदा की जायगी। इस योजना पर आने वाले आवर्तक खर्च में से ५० प्रतिशत खर्च परिषद् वहन करेगी और शेष ५० प्रतिशत आवर्तक तथा सम्पूर्ण अनावर्तक खर्च सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा।

सब से पहले यह योजना केरल में १ अप्रैल, १९५९ से तीन वर्षों तक की अवधि के लिये मंजूर की गयी है। वहां पर विशेषतया तटवर्ती क्षेत्रों में, जहां बकरी के अतिरिक्त और कोई भी दूध देने वाला ढोर नहीं होता, बकरी के दूध का संभरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस योजना के अन्तर्गत वहां की स्थानीय नस्ल को, जिसे रेलीचरी बकरी कहते हैं, सुधारने का कार्य किया जायेगा और उस पर कुल १,५०,६१० रुपयों की लागत आयेगी (आवर्तक ७०,९१० रुपये और अनावर्तक ७९,७०० रुपये), उस में से परिषद् ३५,४६० रुपयों का खर्च वहन करेगी। योजना अभी तक आरम्भ नहीं की गयी है क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिये अभी तक कोई उपयुक्त स्थान नहीं चुना है।

बम्बई सरकार ने भी हाल ही में अभी इसी प्रकार की एक योजना भेजी है। यह योजना ५ वर्षों की अवधि के लिये है और उस पर कुल ४,५५,३१० रुपयों की लागत आयेगी (आवर्तक

†मूल अंग्रेजी में

२,७५,७६० रुपये और अनावर्तक १,७६,५५० रुपये)। परिषद् उनके में से १,३७,८८० रुपये देगी। परिषद् योजना पर विचार कर रही है और यदि उसे मंजूर करना हुआ तो वह १ अप्रैल १९६० से मंजूर कर दी जायेगी ।

(ग) १९५१ से १९५६ तक देश में बकरियों से प्राप्त होने वाले दूध के वार्षिक उत्पादन में २२,१३,७१६ मन की वृद्धि हुई है थी। १९५१ में कुल वार्षिक उत्पादन १,२८,३०,२१६ मन था और १९५६ में १,५०,४३,९३५ मन। उसके बाद के वर्षों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

एस० एस० स्ट्रेथेर्ड[1] पर पोत कर्मचारियों में झगड़ा

†८९६. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन को जाने वाले 'एस०एस० स्ट्रेथेर्ड' नामक यात्री पोत के ब्रिटिश चालकों ने बम्बई पत्तन पर भारतीय पैंट्रीमैन को मारने की धमकी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**:(क) से (ग)। जी नहीं, बम्बई पत्तन पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी । परन्तु १० और ११ अक्तूबर को जब एस० एस० 'स्ट्रेथेर्ड' नामक जहाज समुद्र में चल रहा था, दो घटनायें हुई थीं । चीफ़ पैंट्रीमैन तथा यूरोपीय चालकों (क्रू) में से एक का आपस में झगड़ा हो गया । जहाज के मास्टर ने उसकी जांच की और उसके परिणामस्वरूप कोलम्बो में ७ यूरोपीय नाविकों में से उन दो को डिस्चार्ज कर दिया जो कि झगड़े के लिये जिम्मेदार थे । 'सैलून क्रू' को यह विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना का डर नहीं है और जब जहाज बम्बई से रवाना हुआ तो जहाज के सभी चालक (क्रू) भारतीय ही थे ।

बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खण्ड

†८९७. **श्री संगण्णा :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने रांची (बिहार) में मई, १९५९ में बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खण्डों के सम्बन्ध में हुई गोष्ठी में की गयी सिफ़ारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)**:(क) जी, हां ।

(ख) मंत्रालय ने उन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिये उन्हें राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों के पास भेज दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]S. S. "Strathaird"

दक्षिण पूर्व रेलवे में भर्ती

†८९८. **श्री कुम्भार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में दक्षिण पूर्व रेलवे में ग्रेड-वार कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये थे ;

(ख) क्या नयी भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का रक्षित कोटा पूरा किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा डाक सर्किल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की भर्ती

†८९९. **श्री कुम्भार** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में और १९५९–६० में अब तक उड़ीसा डाक सर्किल में, डिवीजन-वार, कितने व्यक्तियों को, श्रेणीवार, भर्ती किया गया;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित अभ्यंश पूरा कर लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी उड़ीसा सर्किल, कटक के डाक तथा तार निदेशक से मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

खंड विकास यूनिट

†९००. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने और किन राज्यों में खंड विकास यूनिटों का प्रशासन पंचायतों को सौंप दिया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : पंचायत ग्राम्य स्तर पर स्वायत्त प्रशासी यूनिट है और खंड स्तर पर नहीं । अतः कहीं पर भी खंडों का प्रशासन पंचायतों को नहीं सौंपा गया है ।

संभवतः, माननीय सदस्य, जैसी कि बलवन्तराय मेहता अध्ययन दल द्वारा सिफारिश की गयी है, खंड प्रशासन का नियंत्रण खंड स्तर पर स्वायत्त निकायों को सौंपने का जिक्र कर रहे हैं ।

आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान सरकार ने खंड स्तर पर स्वायत्त पंचायत समितियां बना कर ऐसा किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वन्य पशु परिरक्षण योजना

†६०१. श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ११ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वन्य पशु परिरक्षण योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय योजनाकाल में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये की गयी १ करोड़ ३५ लाख रुपये की व्यवस्था में से अब तक राज्यवार कुल कितना धन इस्तेमाल किया गया है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू योजना के पहले तीन वर्षों में उन्होंने ४८.५४४ लाख रुपये खर्च किये जिसके बारे में वन्य पशु परिरक्षण संबंधी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२] चालू वर्ष (१९५९–६०) में वास्तविक खर्च के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

त्रिपुरा में चीनी का भाव

†६०२. श्री दशरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर और अक्तूबर, १९५९ में त्रिपुरा में खुले बाजार में चीनी किस मूल्य पर बेची गयी थी;

(ख) क्या यह मूल्य बहुत अधिक था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(घ) त्रिपुरा में चीनी के भाव कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) उन कार्यवाहियों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०म० थामस) : (क) त्रिपुरा में उपलब्ध सारी चीनी को १·१३ रुपये से लेकर १·१६ रुपये प्रति सेर तक की निश्चित दरों पर उचित मूल्यों वाली दुकानों पर बेचा गया । हो सकता है कि इसमें से कुछ चीनी अन्य दुकानों पर पहुंच गयी हो और वह अधिक मूल्य पर बेची गयी हो; परन्तु यह पता लगा है कि इस प्रकार बेची गयी मात्रा कम ही थी और वास्तव में इस प्रकार का कोई खुला बाजार भी नहीं था ।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

त्रिपुरा में मछली पालने के तालाब[1]

†६०३. श्री दशरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन के नियंत्रणाधीन, प्रत्येक डिवीजन में इस समय मछली पालने के कुल कितने तालाब हैं;

(ख) १९५५–५६ से लेकर १९५९–६० तक के वर्षों में अब तक इन तालाबों से कितनी आय हुई;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fishery Tanks.

(ग) इन तालाबों की हालत सुधारने में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) क्या सरकार का इन तालाबों को त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद को सौंपने का प्रस्ताव है।

†कृषि उपमंत्री (श्री मों वें० कृष्णप्पा) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

त्रिपुरा में सहकारी समितियां

†९०४. श्री दशरथ देब : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में पिछले छः महीनों से नयी सहकारी समितियों का पंजीयन बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय त्रिपुरा में सहकारी समितियों के पंजीयन के लिये कितनी याचिताओं अन्तिम रूप से विचार करने के लिये लम्बित हैं; और

(घ) ये याचिकायें कब तक निपटायी जायेंगी ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) जी हां।

(ख) १ मई, १९५९ से 'त्रिपुरा राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, १३४९ टी० ई०' का निरसन करके १९५५ से बम्बई सहकारी समितियां अधिनियम को इस क्षेत्र पर लागू कर कर दिया गया है। 'बम्बई सहकारी समितियां अधिनियम' के अधीन बनाये गये प्रारूप नियमों को सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया जिसमें जनता से आपत्तियां मांगी गयी थीं। जब तक इन नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, नयी समितियों का पंजीयन नहीं हो सकेगा।

(ग) ४ (चार)।

(घ) नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। यह आशा की जाती है कि चारों लम्बित आवेदन-पत्र शीघ्र ही निपटा दिये जायेंगे।

त्रिपुरा को खाद्य परामर्शदात्री समिति

†९०५. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा की खाद्य परामर्शदात्री समिति की बैठक कब हुई थी;

(ख) उस बैठक में क्या फैसला किया गया; और

(ग) ये फैसले किस हद तक कार्यान्वित किये गये हैं?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ३१ जनवरी, १९५९ को।

(ख) और (ग). मुख्य निर्णय और उन पर सरकार की कार्यवाही निम्नप्रकार है;

---

†मूल अंग्रेजी में

फैसला	सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही
(१) उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं का पूरा उपयोग किया जाये।	इस प्रदेश के लिये एक छोटे सिंचाई डिवीजन की मंजूरी दे दी गयी है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा एक 'एक्जीक्यूटिव इंजीनियर' भेज दिया गया है और तीन सहायक इंजीनियरों को भी शीघ्र ही भेजा जायेगा। यह डिवीजन छोटी सिंचाई योजनाओं की जांच करेगा और उसके बाद उपयुक्त पायी गयी योजनाओं की कार्यान्विति का कार्य किया जायेगा।
(२) धान उगाने के जापानी ढंग का प्रचार किया जाये।	बंगला में एक 'लीफलेट' तैयार किया गया और बांटा गया है जिसमें धान की खेती का है व्यौरेवार तरीका बताया गया है।
(३) 'कम्पोस्ट' संसाधनों का उपयोग करने के लिये आन्दोलन चलाया जाये।	प्रत्येक खंड में १०० ग्रामीण नेताओं के लिये एक वार्षिक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी है। 'कम्पोस्ट' संसाधनों का पूरा उपयोग करने के लिये विस्तृत प्रचार करने के लिये प्रत्येक खंड में एक 'कम्पोस्ट इंस्पेक्टर' नियुक्त कर दिया गया है।
(४) हरी खाद का अधिक उपयोग किया जाना चाहिये।	हरी खाद वाली फसलों के लिये अतिरिक्त बीज प्राप्त किये गये हैं और हरी खाद कार्यक्रम को गहन कर दिया गया है। इस वर्ष 'ढैंचा' बीजों के उत्पादन के लिये भी गहन आन्दोलन किया गया है।
(५) 'सुपरफास्फेट' अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिये।	इस उर्वरक की बिक्री बढ़ाई जा रही है।
(६) एक विशेष खरीफ आन्दोलन का आयोजन किया जाना चाहिये।	फरवरी, १९५९ में एक विशेष खरीफ आन्दोलन का आयोजन किया गया। जैसा कि परामर्शदात्री समिति द्वारा सुझाया गया था, लम्बूछेरा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। प्रदर्शन केन्द्रों की नियमित रूप से जांच की भी व्यवस्था की गयी है।

विनय नगर रेलवे स्टेशन पर पुल

†९०६. **श्री राम गरीब :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनय नगर रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा पुल ऊपरी पुल होगा या निचला पुल;

(ख) क्या यह मोटर गाड़ियों के यातायात के लिये होगा या केवल पैदल चलने वालों के लिये; और

(ग) इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) यह निचला पुल होगा ।

(ख) इसकी चौड़ाई केवल १२ फुट होने के कारण यह पुल केवल पैदल यात्रियों, साइकल सवारों और हलकी मोटर गाड़ियों के यातायात के लिये है और बसों और ट्रकों के लिये नहीं।

(ग) इस कार्य के फरवरी, १९६० तक पूरा हो जाने की आशा है।

परिवार नियोजन

९०७. **श्री पद्म देव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय परिवार नियोजन केन्द्र कहां-कहां काम कर रहे हैं; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने मामले वर्ष १९५८–५९ में दर्ज किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में आठ परिवार नियोजन केन्द्र काम कर रहे हैं :–

(१) हिमाचल प्रदेश अस्पताल, स्नोडन, शिमला ।

(२) सोलन, जिला महासू

(३) सुन्दर नगर, जिला मण्डी

(४) मण्डी, जिला मण्डी

(५) चम्बा, जिला चम्बा

(६) बिलासपुर, जिला बिलासपुर

(७) नहान, जिला सिरमौर

(८) पौंटा, जिला सिरमौर

(ख) जनवरी, मार्च और अप्रैल १९५९ की उपलब्ध सूचना के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष १९५८–५९ के दौरान विभिन्न केन्द्रों में लगभग १७६४ व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में सलाह दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रोड़ (हिमाचल प्रदेश) में बिजली पैदा करने की योजना

९०८. **श्री पद्मदेव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १९ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोड़ (जिला महासू, हिमाचल प्रदेश) में बिजली पैदा करने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इस स्कीम को प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में अन्तिम रूप दे दिया गया था। किन्तु अब इसे आगे चलाने का विचार नहीं है। इस क्षेत्र की विद्युत् आवश्यकताओं को भाखड़ा नंगल परियोजना से बिजली खरीद कर पूरा किया जायेगा।

विश्व कृषि मेला

†९०९. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५९ में होने वाले विश्व कृषि मेले में देश में विभिन्न सामुदायिक विकास खंडों से किसानों को बुलाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने दलों को बुलाया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** (क) जी, हां।

(ख) विश्व कृषि मेले में देश के विभिन्न सामुदायिक विकास खंडों से लगभग २०,००० किसानों के आने की आशा है। विभिन्न राज्यों को किसानों की आवंटित संख्या निम्न प्रकार है :

उत्तर प्रदेश	३२००
बिहार और बम्बई	प्रत्येक से २४००
मध्य प्रदेश, राजस्थान, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश	प्रत्येक से १६००
मैसूर	१०००
पंजाब, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	प्रत्येक से ८००
केरल और आसाम	प्रत्येक से ६००
जम्मू तथा काश्मीर	४००
हिमाचल प्रदेश	१५०
दिल्ली, त्रिपुरा, नेफा, नागा पहाड़ी—तुएनसांग क्षेत्र, मनीपुर और अंडमान निकोबार	प्रत्येक से ५०

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर-सीमान्त रेलवे के पहाड़ी सेक्शन में दुर्घटनायें

†९१०. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर-सीमान्त रेलवे पर लम्डिंग और बदरपुर के बीच पहाड़ी सेक्शन में पिछले पांच वर्षों में कितनी दुर्घटनायें हुयीं;

(ख) दुर्घटनायें किस प्रकार की थीं और उन के क्या कारण थे; और

(ग) ऐसी दुघटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पिछले पांच वर्षों में (अर्थात् १ जनवरी, १९५५ से १५ नवम्बर, १९५९ तक) पूर्वोत्तर-सीमान्त रेलवे के लम्डिंग-बदरपुर सेक्शन में ४८ रेलवे दुर्घटनायें हुयीं ।

(ख) (१) ।

दुर्घटना का स्वरूप		कुल संख्या
रेलगाड़ियों का टकराना		२
रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना		४६
	कुल	४८

(२) कारण :

रेलवे कर्मचारियों की अकर्मण्यता	१४
मशीनी उपकरणों की खराबी	२०
ट्रैक की खराबी	६
आकस्मिक	३
जिन कारणों का फैसला नहीं हुआ	५
	४८

(ग) दुर्घटनाओं में कमी करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा सामान्य निरोधात्मक उपाय किये जाना जारी है ।

डाक-घर

†९११. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में देश भर में कुल कितने नये डाक-घर खोले गये;

(ख) उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५८-५९ में आन्ध्र प्रदेश में (जिला-वार) कुल कितने डाक-घर खोले गये; और

(घ) उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) ३४३८ ।

(ख) ४,५१,२२५ रुपये ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]

(घ) ६४,४१८ रुपये ।

आन्ध्र प्रदेश में नये टेलीफोन कनैक्शन

†९१२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में आन्ध्र प्रदेश में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये;

(ख) इस बारे में कुल कितना धन खर्च हुआ; और

(ग) नये कनेक्शनों के लिये अभी भी कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) २७८२ ।

(ख) २५,७६,८२२ रुपये ।

(ग) ४२२७ ।

रात्रि विमान डाक सेवा

†९१३. श्री चांडक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में सब डाक-घरों में रात्रि विमान डाक सेवा से भेजे जाने के लिये डाले जाने वाले पत्रों के अन्तिम समय में एक घंटे की कमी कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) दिल्ली को छोड़कर जहां कि यह कमी १ घंटा की गयी है, बाकी स्थानों पर आध घंटा की कमी की गयी है ।

(ख) यह परिवर्तन रात्रि में डाक ले जाने वाले विमानों के लगभग ३०-३५ मिनट जल्दी रवाना होने के कारण की गयी है ।

डाकघरों में कर्मचारियों का स्थायीकरण

९१४. श्री जगदीश अवस्थी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों में लोअर सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत पदाधिकारियों को उच्च पदों पर स्थायी होने से पहले कितने समय तक प्रोबेशन पर रहना पड़ता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५९ को उत्तर प्रदेश डाक सर्किल में लोअर सेलेक्शन ग्रेड में नियमित रिक्तताओं या नये बनाये गये पदों पर कितने पदाधिकारी लगातार स्थानापन्न थे ;

(ग) उन पदाधिकारियों की क्या संख्या है जिन्होंने परिवीक्षा-अवधि समाप्त कर ली है और उनको अभी स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(घ) उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि बहुत से पदाधिकारी जिन्होंने अपना परिवीक्षा-काल पूरा कर लिया था, बिना स्थायी हुये ही सेवा से निवृत्त हो गये ; और

(च) यदि हां, तो अस्थायीकरण के कारण उनको उपदान और निवृत्ति-वेतन में हुई हानि को किस प्रकार पूरा किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) यदि स्थायी पद उपलब्ध हैं, तो एक वर्ष ।

(ख) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

मन्माड में पुल इंजीनियरिंग कर्मशाला

†९१५. **श्री जाधव :**
श्री बं० च० मलिक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्माड में पुल इंजीनियरिंग कर्मशाला का नव-निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) इस कर्मशाला में कितने व्यक्ति काम करते हैं ;

(ग) क्या कुशल कारीगरों के प्रशिक्षण के लिये यहां पर एक व्यापार प्रशिक्षण स्कूल खोलने की कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) इस कमशाला में कितने कारीगरों को और किस प्रकार के रिहायशी क्वार्टर दिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) ८९६ ।

(ग) कुशल कारीगरों के पद भरने के लिये इस कर्मशाला में व्यापार प्रशिक्षण की योजना लागू करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

(घ) कारीगरों को निम्नलिखित क्वार्टर दिये गये हैं :

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 'क' टाइप क्वार्टर . . .	१५६
तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 'जे' टाइप क्वार्टर . . .	१२

†मूल अंग्रेजी में

मन्माड में ऊपरी पुल

†६१६. { **श्री जाधव :**
श्री बं० च० मलिक :

क्या रेलवे मंत्री २० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर मन्माड में एक ऊपरी पुल रेलवे पुल के बारे में नक्शे और प्राक्कलन पर बम्बई सरकार की स्वीकृति मिल गई है ; और

(ख) यदि हां, तो पुल बनाने में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य आरम्भ करने के लिये रेलवे को हाल ही में आवश्यक मंजूरी दे दी गयी है ।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

†६१७. श्री अ० मु० तारिक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन परामर्शदाता समिति अथवा डाक तार विभाग द्वारा एक्सचेंज-वार मंजूरी किये गये और टेलीफोन लगाये जाने के लिये लम्बित आवेदन-पत्रों की क्या संख्या है ;

(ख) उन आवेदनकर्ताओं की क्या संख्या है जिनसे टेलीफोन लगाने के लिये धन तो वसूल कर लिया गया है और अभी टेलीफोन नहीं लगाये गये हैं ;

(ग) ये मामले कब से लम्बित हैं ; और

(घ) टेलीफोन लगाये जाने के लिये धन वसूल करने और अब तक टेलीफोन न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन) : (क) एक्सचेंज-वार मंजूर किये गये टेलीफोनों की संख्या निम्न प्रकार है :

	तीस हजारी	४३
	शाहदरा	१२
	सेक्रेटेरियट	शून्य
	कनाट प्लेस	शून्य
	कन्टोनमेंन्ट	शून्य
	करोल बाग	शून्य
(ख)	तीस हजारी	१३
	बाकी एक्सचेंज	शून्य

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जनवरी, १९५९ से ।

(घ) टेक्निकल कठिनाइयों और अधिक प्राथमिक मांगों के कारण । इन १३ कनेक्शनों को दिये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

शिलांग में हवाई पट्टी

†९१८. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे विमानों के उतरने के लिये शिलांग में एक छोटी नयी हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). जी, हां । शिलांग में लगभग ६०० गज लम्बी और ७० गज चौड़ी एक छोटी हवाई पट्टी बनाने का नेफा प्रशासन का प्रस्ताव है । इस कार्य के लगभग दो महीनों में पूरा हो जाने की आशा है ।

वायु-मार्ग

†९१९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु-मार्गों के 'पूलिंग' के लिये ब्रिटिश ओवरसीज एयर लाइन्स कारपोरेशन के सुविधा से बातचीत समाप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) ऐसी ही साझेदारी बनाने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलवे दुर्घटना

†९२०. श्री प्र० गं० देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ नवम्बर, १९५९ को दक्षिण-पूर्व रेलवे पर मलकेरा स्टेशन के समीप एक रेलवे दुर्घटना हुई ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उसमें घायल व्यक्तियों की क्या संख्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). १८-११-५९ को लगभग १२.४५ बजे जब कि ४१९ अप-गोमो पैसेंजर गाड़ी दक्षिण-पूर्व रेलवे के मलखेरा और मोहुदा स्टेशनों के बीच जा रही थी, गाड़ी का इंजन और उसके साथ के चार डिब्बे पटरी से उतर गये । परिणामस्वरूप १० व्यक्तियों को हल्की चोटें आयीं ।

स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी प्रक्रिया

†अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर पत्र रखे जायें । श्री रायें बहादुर ।

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : श्रीमान् लद्दाख में भारतीय पुलिस के लोगों की गिरफ्तारी के बारे में हमने चीन को जो विरोध-पत्र भेजा था उसके चीन सरकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने के बारे में मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । उसकी अनुमति इस आधार पर नहीं दी गयी कि वह एक लगातार चल रहा मामला है और इस पर चर्चा हो चुकी है । जहां तक मेरी जानकारी है इस सत्र में उस पर चर्चा नहीं हुई है

†अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है और माननीय मंत्रियों ने कई बार उत्तर दिये हैं । गिरफ्तार किये गये भारतीय सिपाहियों को लौटा दिया गया है । इस बारे में बार-बार जानकारी दी जाती रही है । और अभी दो दिन तक इस पर विस्तृत चर्चा भी हो चुकी है । अब क्या हर बार उसी बात को ले कर सभा का कार्य स्थगित किया जायेगा ? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

†श्री हेम बरुआ : मैं सभा की कार्यवाही का स्थगन नहीं चाहता । मैं तो सूचना चाह रहा हूं । मैं चाहता हूं कि देश को इसकी पूरी पूरी जानकारी हो ।

†अध्यक्ष महोदय : यह सभा के नियमों और आचरण के विरुद्ध है । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

यदि प्रधान मंत्री यह सूचना देना भी चाहें, तो मैं कहूंगा कि इससे गलत ढंग का पूर्व दृष्टांत बनता है ।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं तो कहता हूं कि जितने भी स्थगन प्रस्ताव रखे गये हैं, उन सभी में यही एक सब से अजीब किस्म का है । इसे देख कर मुझे ताज्जुब हुआ । मैं चाहता हूं कि आप हमारी रहनुमाई करें कि आगे से ऐसे मामलों में क्या किया जाये । यह मामला तो खैर अब निबट चुका । ऐसे स्थगन प्रस्ताव रोजमर्रा यह जानते हुए भी रखे जाते हैं कि उनकी अनुमति नहीं दी जायेगी । उनका मकसद होता है मुझ से वक्तव्य हासिल करना । वक्तव्य की मांग करने का यह एक दूसरा तरीका बना लिया गया है । मैं सभी अहम बातों की सूचना सभा को देता रहूंगा । लेकिन उसके लिये स्थगन प्रस्ताव रखने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगता । फिर आप जैसा निर्णय करें ।

†श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अखबारों में समाचार आया है कि चीन ने हमारे विरोध-पत्र को ठुकरा दिया है । इसकी सूचना संसद् को मिलनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री सूचना देने पर आपत्ति नहीं करते । उनका तो कहना है कि सूचना मांगने का तरीका यह नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव रखे जायें । उसके कई दूसरे तरीके हैं ।

†श्री वाजपेयी: मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी है ।

†अध्यक्ष महोदय: उसका अनुमति देना या न देना मेरा काम है । मैं उसका महत्व देखूंगा ।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति इसलिय नहीं दे रहा हूं कि अभी थोड़े दिन हुए पूरी तौर से वाद-विवाद हो चुकने के बाद यदि कोई सदस्य उस विषय के सम्बन्ध में कोई सूचना चाहे, तो उसका तरीका यह नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव रख दिया जाये । मैं सभा के नेता से भी अपील करता हूं कि वह मेरी सहायता करें । मैं बार बार कह चुका हूं कि यदि मैं किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता, तो मैं उसको यहां उठाने नहीं दूंगा । फिर भी माननीय सदस्य बार बार खड़े हो जाते हैं । यदि यही जारी रहा तो मैं सभा के नेता से अनुरोध करूंगा कि वह सदस्य को एक सप्ताह के लिए सभा में आने की अनुमति न देने के लिये कहें । अभी तो जो सदस्य इस निदेश का उल्लंघन करते हैं मैं उनको एक दिन के लिये सभा म आने की अनुमति नहीं देता हूं । लेकिन आइंदा एक हफ्ते के लिये उन्हें नहीं आने दिया जायेगा ।

माननीय सदस्यों को यह निश्चित तौर पर मालूम होना चाहिये कि यदि मैं किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति न दूं तो वे मेरे पास आकर या मुझे लिख कर उसका स्पष्टीकरण मांग सकते हैं । मैं उस पर विचार करूंगा । कुछ स्थगन प्रस्तावों को तो मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना के रूप में मान कर संबंधित माननीय मंत्री से कह कर उसके लिये एक तिथि निश्चित कर देता हूं । कुछ दूसरों के मामलों मे, मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये कह देता हूं । और कभी कभी विषय की अविलम्बनीयता या महत्व को देखते हुए, मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति भी द देता हूं । फिर भी माननीय सदस्य बार बार खड़े हो कर वही प्रश्न बार बार उठाते हैं । वे इस प्रकार, बार बार मेरे निर्देश का उल्लंघन करते हैं । अब मुझे सभा के नेता की सहायता प्राप्त हो गई है । मैं अब ऐसे सदस्यों को यदि पूरे सत्र के लिये नहीं तो एक सप्ताह के लिये सभा की बैठक में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दूंगा । इस प्रकार की अवज्ञा सहन नहीं की जायेगी । (अन्तर्बाधा) मैं अब इसमें और कुछ नहीं सुनूंगा ।

सभा-पटल पर पत्र रखे जाये । श्री राज बहादुर ।

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मैं इसके विरोध में सभा से बाहर जाता हूं ।

(इसके पश्चात्, राजा महेन्द्र प्रताप सभा से उठ कर बाहर चले गये)

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली मोटरगाड़ी नियमों में संशोधन

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९, की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिल्ली गजेट में प्रकाशित दिनांक २३ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या एफ १२(८०)/५८-एम टी/होम की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी—१७४४/५९]

गन्ना (नियंत्रण) आदेश में संशोधन

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी—१७४५/५९]

राज्य सभा से संदेश

†सचिव : (१) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १७ नवम्बर, १९५९ को पारित शस्त्र विधेयक १९५९ को राज्य सभा ने अपनी ३० नवम्बर, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक-सभा द्वारा २४ नवम्बर, १९५९ को पारित हज समिति विधेयक, १९५९ को राज्य सभा ने अपनी १ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में भूमि का अर्जन

†श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"वृहत दिल्ली योजना की पूर्ति के लिए लगभग बैंतीस हजार एकड़ भूमि का अर्जन ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

इस सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हाल में ही माननीय मंत्री महोदय ने सभा को बताया था कि निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री इस प्रस्ताव का उत्तर देंगे। परन्तु आज के पत्रों से पता लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री इसका उत्तर देंगे। मैं जानता चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, दिल्ली प्रशासन के बारे में वास्तव में कभी कभी यह कठिनाई आती है कि कौन सा विषय किस मंत्री से सम्बन्ध रखता है। अभी कुछ दिन हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि अमुक विषय का भार उन पर नहीं है। मैं दिल्ली प्रशासन के बारे में जानना चाहता हूं कि कौनसा मंत्रालय किस चीज के लिए जिम्मेदार है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** आपने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत हूं। काम का विभाजन होने के कारण यह कठिनाई आ जाती है। नगर आयोजन का प्रश्न ही लीजिये। इस के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है परन्तु यदि भवन आदि के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आ जाता है। ऐसे मामलों में सन्देह हो सकता है परन्तु इस प्रकार के सन्देह को आसानी से सुलझाया जा सकता है। यह मामला निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय का है परन्तु अन्य सम्बन्धित मंत्रालय निर्माण मंत्रालय, और गृह-कार्य मंत्रालय हैं और कभी-कभी प्रधान मंत्री तक इससे सम्बन्धित हो सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने हाल में ही यह सुझाव दिया था कि माननीय मंत्रियों की सुविधाओं को देखते हुए और प्रधान मंत्री के आदेश के अधीन सभी मंत्रालयों के कम से कम एक उपमंत्री महोदय को यहां प्रश्न काल में उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि मंत्रालय अलग अलग होते हुए भी समस्त मंत्रिमंडल ही इस सभा के प्रति जिम्मेदार माना जाता है। किसी प्रश्न के पूछे जाने के बाद यह कहना कि यह बात उस मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है मैं ठीक नहीं समझता हूं। मैं इसके लिए बाध्य तो नहीं करता लेकिन मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस व्यवस्था की ओर ध्यान दें और देखें कि ऐसा किया जाना सम्भव है या नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। सामान्यतः प्रश्न काल में सभी मंत्रालयों के एक मंत्री अथवा उपमंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए। परन्तु इस अवस्था पर इस प्रकार का मामला मंत्रिमंडल से सम्बन्धित नहीं होता है। बाद में सम्भव है कि यह मामला मंत्रिमंडल के सामने आए परन्तु इस समय यह मंत्रालय से ही सम्बन्धित रहता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वक्तव्य कितना लम्बा है।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** केवल पांच पृष्ठ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसको सभा पटल पर रख दिया जाये। मैं इसका परिचालन कर दूंगा।

†**श्री करमरकर :** मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल विनियोग (संख्या २) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ प्रकार की चीनी पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ प्रकार की चीनी पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश के बारे में विवरण

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, ७१(१) के अन्तर्गत अपेक्षित चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश, १९५९ द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

मोटर गाडी (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राज बहादुर :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

विधि व्यवसायी वधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा में अब २ दिसम्बर, १९५९ के श्री अ० कु० सेन द्वारा प्रस्तुत निम्न लिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :

"कि विधि व्यवसायियों सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने तथा विधि व्यवसायी परिषद (बार काउंसिल) तथा एक अखिल भारतीय विधि व्यवसायी संघ (आल इंडिया बार) स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जायें जिसमें ३० सदस्य अर्थात् श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्, श्री तिरुमल राव, श्री लीलाधर कटकी, श्री कैलाशपति सिन्हा, श्री मुहम्मद ताहिर, श्री नरेन्द्र भाई नथवानी, श्री कृ० गु० देशमुख, श्री गा राव, श्री तैम, श्री राधा चरण शर्मा, श्री थानुलिंगम नादर, श्री गणपति, श्री आचार, श्रीहेम राज, पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, श्री रघुवीर सहाय, श्री राधा मोहन सिंह, श्री परेश नाथ कयाल, श्री गणपति राम, श्री हजरतवीस, श्री साधन गुप्त, श्री नारायणन् कुट्टी मेनन, श्री शिवराज, श्री खुशवक्त राय, श्री द० रा० चावन, श्री राम गरीब, श्री ब्रजराज सिंह, डा० कृष्णस्वामी तथा श्री अशोक कु० सेन इस सभा के हों, और १५ सदस्य राज्य सभा के हों,

"कि समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी,

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बताये ।"

स्थगन प्रस्तावों संबंधी प्रक्रिया—जारी

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं बात जानना चाहता हूं । स्थगन प्रस्तावों को अनुमति देने के बारे में एक बैठक बुलाने के बारे में एक बार आपने कहा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** एक बार श्री रेणु चक्रवर्ती ने इस मामले को उठाया था और कहा था कि वह बताना चाहती हैं कि कितने मामलों में मैं स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं देता रहा हूं। मैंने उस पर माननीय सदस्यों से अभ्यावेदन देने को कहा था। मुझे एक भी अभ्यावेदन नहीं मिला है।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैंने एक विस्तृत अभ्यावेदन भेजा था जिसका आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : उस समय आपने कहा था कि आप एक और बैठक बुलायेंगे परन्तु अब तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मने कहा था कि बैठक बुलाने से पहले सदस्य अभ्यावेदन दें। जब तक कुछ सुझाव नहीं दिये जायेंगे तब तक अन्य माननीय सदस्यों को उस बारे में क्या जानकारी हो सकती है।

जब मैं सभा में आने को होता हूं तब मुझे स्थगन प्रस्ताव मिलते हैं। मैं उनको अगले दिन के लिये लम्बित नहीं करना चाहता; पहली प्रथाओं पूर्व दृष्टान्तों को देख कर मैंने कुछ बातें और आधार उनमें से निकाले हैं, जिनको मैंने छपवा रखा है। उन्हीं के अनुसार मैं स्थगन प्रस्तावों को निबटा देता हूं। परन्तु माननीय सदस्य कुछ आपत्ति उठाना चाहते हैं या अभ्यावेदन करना चाहते हैं हम इस मामले को अब भी तय कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य इस महीने की १५ तारीख से पहले अभ्यावेदन दे दें तो मैं दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों की एक बैठक बुला सकता हूं और हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

यदि माननीय श्री महन्ती ने कोई अभ्यावेदन भेजा है तो मैं निश्चित रूप से उसे देखूंगा। माननीय सदस्य शीघ्र अभ्यावेदन दे दें जिससे दल के नेताओं की बैठक बुलाई जा सके और मामला निबटाया जा सके।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : तब तक आप अपना फ़ैसला रोके रखें।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं, मेरा फ़ैसला हो चुका है; मैंने कोई ग़लत फैसला नहीं दिया है। इस तरह से हर एक विषय को स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं उठाया जा सकता।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** हम आपके सभी आदेश मानते हैं परन्तु पहले से ही कठोर चेतावनी देना मैं उचित नहीं समझता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं पहले भी कह चुका हूं कि माननीय सदस्य यदि मामले को महत्वपूर्ण समझते हैं तो स्थगन प्रस्ताव पर अपने दल के नेता के हस्ताक्षर करा के भेजें। उस दशा में उसे सभा के समक्ष रख दूंगा। अन्यथा यह मेरे विवेक पर निर्भर करता है कि स्थगन प्रस्ताव को यहां उठाने दें या नहीं।

विधि व्यवसायी विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब विधि व्यवसायी विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार होगा। श्री मूलचन्द दुबे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : विधि आयोग ने ठीक ही कहा है कि विधि व्यवसाय का स्तर बहुत गिर गया है तथा इस स्तर को सुधारने के लिये उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। उन्हीं सिफारिशों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूलचन्द दूबे]

को लागू करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हाल के कुछ वर्षों में विधि शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है परन्तु हमें यह भी मानना पड़ेगा कि पहले की शिक्षा के ही कारण हमें विद्वान् न्यायवादी मिले ।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन पीठासीन हुए]

इसलिये यह कहना कि इस स्तर की गिरावट के लिये विधि शिक्षा जिम्मेदार है ठीक नहीं है । इसका कारण तो कुछ और मालूम होता है हमें उस कारण का पता लगाना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि केवल विधि पढ़ लेना विधि विशेषज्ञ नहीं बना देता है । विधि में विशेषता हासिल करने के लिये उसका गहन अध्ययन आवश्यक है । मेरे विचार से विधि के गहन अध्ययन का अभाव ही विधि व्यवसाय की गिरावट का कारण है ।

मैं ने कल कहा था कि आज वकीलों को सरकारी पदाधिकारियों के सामने प्रस्तुत होने से रोका जाता है मैं समझता हूं कि यह सरासर अन्याय है क्योंकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये वकील को सरकारी पदाधिकारियों के सामने पैरवी करने का अधिकार दिया जाना चाहिये ।

मेरी दूसरी बात यह है कि मैं इसके पक्ष में हूं कि कनिष्ठ तथा वरिष्ठ एडवोकेट बनाये जायें क्योंकि इससे काम का विभाजन हो जाता है और काम शीघ्रता से पूरा हो जाता है ।

विधेयक में एडवोकेट बनने के लिये ५०० रुपये की फीस रखी गई है । यह ठीक है कि यह रुपया विधि व्यवसायी परिषद् को जाता है लेकिन फिर भी विधेयक में स्टाम्प अधिनियम को संशोधित करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है ताकि एडवोकेटों के पंजीयन के लिये निर्धारित ५०० या ७५० रुपये में कमी हो सके । अब तो यदि एडवोकेट के लिये कोई व्यक्ति पंजीयन कराना चाहे तो उसे परिषद् को ही ५०० रुपये नहीं देने पड़ते बल्कि ५०० रुपये स्टाम्प अधिनियम के अधीन सरकार को भी देने पड़ते हैं । सरकार को इस अधिनियम में संशोधन करके इसे समाप्त कर देना चाहिये और परिषद् को दिये जाने वाले रुपये को घटा कर १२५ रुपये कर देने चाहियें ।

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार रक्षित अनुसूचित जातियां) : विधेयक की मुख्य बातें विधेयक के उद्देश्य तथा कारण के विवरण में दी गयी हैं । मैं अन्य किसी और बात के सम्बन्ध में कुछ न कह कर केवल एकीकृत विधि व्यवसायी संघ की स्थापना के बारे में कुछ बताता हूं । कलकत्ता उच्च न्यायालय में ब्रिटेन में पढ़े हुए एडवोकेटों तथा भारत में पढ़े हुए एडवोकेटों के लिये अलग अलग कमरे हैं तथा ब्रिटेन के पढ़े हुए एडवोकेट भारत में पढ़े हुए एडवोकेटों को अपने कमरे में घुसने नहीं देते हैं । इस प्रकार की प्रथा अंग्रेजों के समय थी और इस प्रथा को अब हटाया जाना चाहिये तथा सभी एडवोकेटों के एक समान समझा जाना चाहिये । मेरा सुझाव है कि संयुक्त समिति में इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये और कोई उचित संशोधन विधेयक में रखा जाना चाहिये जिससे इस प्रकार की अस्पृश्यता के समान की प्रथा का अन्त हो जाये ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

माननीय विधि मंत्री के विदेश के दौरे के बारे में विचार सुनने के बाद हम यह आशा करते थे कि वह यहां भी कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि सारे एडवोकटों के लिये न्यूनतम की व्यवस्था हो

†मूल अंग्रेजी में

सके। जैसा उन्होंने हमें एक दिन बताया था, यह पद्धति पूर्वी यूरोप के लोकतन्त्रात्मक देशों में लागू है। परन्तु मुझे खेद है कि विधेयक में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। मेरी संयुक्त समिति से प्रार्थना है कि विधेयक में इस प्रकार का संशोधन कर दें कि सभी एडवोकटों को जीवन-यापन के लिये कम से कम आय मिल ही जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि महान्यायवादी, महा-अभ्यर्थी तथा महाधिवक्ता जिस दिन से इन पदों पर नियुक्त किये जाते हैं उनकी उसी दिन से फीस दुगनी, चौगुनी हो जाती है। मेरा निवेदन है कि इस पद पर नियुक्ति किये जाने के पश्चात् इन पदाधिकारियों को केवल सरकारी कार्यों के लिये ही निश्चित कर देना चाहिये और सरकार को प्रतिबन्ध लगाना चाहिये जिससे यह सरकारी कर्मचारी गैर सरकारी कार्य न कर सकें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री संयुक्त समिति में इस इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत कर देंगे।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से महान्यायवादी तथा महाअभ्यर्थी जाकर मिल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी उपबन्ध किया जाना चाहिये कि इन लोगों को भी उन्हीं नियमों के अनुसार इनसे मिलने की सुविधा होनी चाहिये जिस पर अन्य एडवोकेट मिलते हों। कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

दोहरी पद्धति के बारे में मेरा कहना यह है कि आज भी कलकत्ता उच्च न्यायालय में ब्रिटेन से पढ़ कर आये एडवोकेटों के लिये अलग कमरा है तथा भारत में पढ़े हुए एडवोकेटों का दूसरा कमरा है। इसके अतिरिक्त आज भी न्यायालयों में न्यायाधीशों को 'योर लार्ड शिप' कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग बन्द होना चाहिये यह नियम है कि उच्चतम न्यायालय में दी जाने वाली सभी दरख्वास्तें वगैरा अंग्रेजी में होनी चाहियें यह उनका अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिये। मैं पूछता हूं कि यह प्रक्रिया क्यों चल रही है ? क्या वहां अनुवादक नियुक्त नहीं किये जा सकते ? मैं चाहता हूं कि परिषद् में इस बारे में प्रक्रिया नियम बनाने का विधेयक में उपबन्ध किया जाना चाहिये।

इस विधेयक के कुछ उपबन्धों के अनुसार कुछ एडवोकेटों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार इस परिषद् को दिया जा रहा है। मेरे विचार से ऐसा उपबन्ध न किया जाना चाहिये क्योंकि इससे कोई भी न्यायाधीश किसी भी एडवोकेट की भर्त्सना कर सकता है। मैं चाहता हूं कि न्यायाधीश के द्वारा की गई इस प्रकार की कार्यवाही पर चर्चा करने का अधिकार भी परिषद् को दिया जाना चाहिये।

विधेयक में कनिष्ठ तथा वरिष्ठ एडवोकेटों की विभाजित करने का उपबन्ध। मैं चाहता हूं कि केवल आयु के आधार पर किसी एडवोकेट को वरिष्ठ नहीं बनाया जाना चाहिये। हमें उसकी योग्यता के आधार पर उसको वरिष्ठ बनाना चाहिये क्योंकि बहुत से कम आयु के एडवोकेट अधिक आयु के एडवोकेटों से अधिक योग्य हैं। मैं कनिष्ठ तथा वरिष्ठ एडवोकेट बनाने का पूर्णतः विरोधी हूं।

अन्त में यह कहना चाहता हूं कि वकीलों का एक अध्ययन मण्डल बनाया जाना चाहिये। दूसरे सरकारी विधि-पदाधिकारियों को गैर सरकारी काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। तीसरे सभी एडवोकेटों को समान समझा जाना चाहिये तथा आय का विभाजन ऐसा होना चाहिये जिससे सभी एडवोकेटों के जीवन यापन के लिये उचित व्यवस्था हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं इस विधेयक के एक-दो पहलूओं को ही लेता हूं । मैं सब से पहले इसके संवैधानिक पहलू को लेता हूं । संविधान के अनुच्छेद १९ में कहा गया है कि नागरिकों को अपनी कोई "वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का" अधिकार है । फिर, इस अनुच्छेद के उप-खण्ड (६) में उप-खण्ड (छ) पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वह वर्तमान विधि या राज्य द्वारा प्रवृत्त की जाने वाली किसी भी विधि में रुकावट न डालती हो ।

प्रत्येक विधि-जीवी पर कुछ नियम लागू होते हैं, और उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है । इस विधेयक के अध्याय ५ में यह प्रक्रिया दी गई है । वृत्तिक दुराचरण की कोई भी शिकायत आने पर विधि व्यवसायी-परिषद उसके मामले को अनुशासन समिति को सौंप देगी । लेकिन उसमें वृत्तिक दुराचरण की कोई परिभाषा नहीं दी गई है । यह निर्णय अखिल भारतीय विधि व्यवसायी परिषद पर छोड़ दिया गया है ।

इस विधेयक में वृत्तिक दुराचरण की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है और न यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विधि-जीवी को किन दशाओं में स्थायी या अस्थायी तौर पर अपनी वृत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा । १९२६ के अधिनियम में भी वृत्तिक दुराचरण की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई थी, फिर भी अनुशासन की कार्यवाही के बारे में अन्तिम निर्णय करने की शक्ति उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को दी गई थी । लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद १९ का उल्लंघन करती है, क्योंकि इस व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि विधि-जीवी को उसकी वृत्ति करने के अधिकार से वंचित करने की दशायें स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जानी चाहिए । विधि-व्यवसायी परिषद को इस प्रकार मनमानी शक्ति देना संविधान की शक्ति से परे है ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान विधेयक के खण्ड ७(ख) की ओर आकर्षित करता हूं । उसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय विधि व्यवसायी परिषद (क) विधि-जीवियों की एक सामान्य सूची रखेगा; और (ख) विधि-जीवियों के लिए वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार का मानदण्ड निर्धारित करेगा ।

इस पूरे अधिनियम की योजना यही है कि राज्य-सरकार इस सम्मान पद वत्ति के लिए कोई विधान नहीं बनाती । आचरण का मानदण्ड निर्धारित करने का दायित्व इस वृत्ति के प्रतिनिधियों को ही सौंप दिया गया है । माननीय सदस्य ने जिस खण्ड का उल्लेख किया है उसमें सिर्फ यही निश्चित किया गया है कि अनुशासन की कार्यवाही के मामलों का फ़सला कौन करेगा । खण्ड ६ में दिया गया है कि इसके लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण अखिल भारतीय विधि व्यवसायी परिषद करेगी । अधिनियम की योजना यही है कि वृत्ति करने वाले स्वयं ही अपने लिए विधान बनायेंगे, अपना नियंत्रण करेंगे और अपना शासन स्वयं करेंगे ।

†**श्री सूपकार** : मैं भी ठीक यही कह रहा था । लेकिन इसे संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना कहा जा सकता है । आशा है प्रवर समिति इस पहलू पर पूरी तौर से विचार करेगी ।

दूसरी बात यह कि इस विधेयक का उद्देश्य यह बताया गया है कि विधि-जीवियों की वृत्ति में प्रवेश करने वालों के लिए एक समान अर्हतायें रखी जायें और अखिल भारतीय विधि-व्यवसायी परिषद विधि-जीवियों की एक सामान्य सूची तैयार करे । लेकिन हो यह रहा है कि वरिष्ठता के आधार पर विधि-जीवियों में वर्ग-भेद पैदा किया जा रहा है । और यह भी अस्पष्ट छोड़ दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है कि कौन वरिष्ठ विधि-जीवी माना जायेगा और कौन नहीं । इस विधेयक के खण्ड १५ के उपखण्ड (२) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्चन्यायालय यदि उसे योग्य समझे तो वरिष्ठ विधि-जीवी बना सकता है ।

विधि-जीवियों में ऐसा कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए, और यदि प्रवर समिति इसे आवश्यक ही समझे, तो उसकी एक कसौटी स्पष्ट रूप से सामने रखी जानी चाहिए ।

इस विधेयक के खण्ड २२ में नये विधि जीवियों के प्रवेश के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं । एक शर्त यह भी है कि लॉ की डिग्री लेने के बाद उसे प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा और उसके अन्त में उसकी एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी । यदि उसमें कोई फेल हो जाये, तो वह कहीं का नहीं रहेगा ।

अच्छा तो यह हो कि इस परीक्षा के बजाय, विश्वविद्यालय ही अपने पाठ्यक्रमों का मानदण्ड और ऊंचा कर दें । तब फिर प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के बाद की यह परीक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी । आशा है कि संयुक्त समिति इन उपखण्डों को हटाने की वांछनीयता के बारे में विचार करेगी ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : एकीकृत विधि-व्यवसायी संघ की मांग काफ़ी दिनों से उठ रही थी । यह विधेयक उसे पूरा कर देगा । यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्रीय विधि-व्यवसायी संघ की आधार-शिला रख देगा । देश के भविष्य के प्रति विधि-जीवियों का दायित्व काफी बड़ा है । इसलिए यह बड़ा ही वांछनीय कदम है । प्रवर समिति इसकी व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार भी कर देगी ।

मैं तो समझता हूं कि वरिष्ठ और कनिष्ठ विधि-जीवियों में विभेद रखना अत्यन्त आवश्यक है । वरिष्ठ विधि-जीवियों को मुवक्किलों, दफ्तरों, शपथ-पत्रों और पत्र-व्यवहार से छुट्टी मिल जाती है । यह बड़ा जरूरी है क्योंकि तब वे विधि सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे और देश के प्रति अपना कत्तव्य समझेंगे । वे अपने कनिष्ठ विधि-जीवियों को प्रशिक्षित कर सकेंगे और भारत में विधि-व्यवसाय का मानदण्ड ऊंचा उठा सकेंगे ।

इस एकीकृत विधि-व्यवसायी संघ से लाभ यह होगा कि देश के सभी नागरिकों को हर कहीं समान रूप से विधि के बारे में विशेषज्ञ राय मिल सकेगी । अभी यह नहीं हो पाता ।

वास्तव में, हमारे देश में विधि सम्बन्धी शिक्षा बहुत ही कम है और उसका मानदण्ड बड़ा नीचा है । कई विधि-कालेजों में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही अपना कुछ ही समय देने वाले होते हैं । उनका व्यवसाय कोई दूसरा होता है । ये शिक्षक भी विशेषज्ञता-प्राप्त विधि-जीवी नहीं होते । इंगलण्ड और अमरीका में इसका बिलकुल ही उल्टा है । इसीलिए विधि आयोग ने विधि सम्बन्धी शिक्षा का मानदण्ड ऊंचा करने पर जोर दिया है । हमारे यहां विधि सम्बन्धी विषयों पर अच्छे मौलिक ग्रन्थ और सैद्धान्तिक निबन्ध भी नहीं मिलते । इसीलिये, विधि सम्बन्धी शिक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अखिल भारतीय निकाय बनाना अविलम्बनीय है ।

विधि आयोग ने बताया है कि लगता यह है कि हमारे यहां के नवयुवक तभी विधि-व्यवसाय की ओर आते हैं जब उन्हें कहीं कोई और रोजगार नहीं मिल पाता । इसलिए इस विधेयक की यह व्यवस्था बड़ी उपयोगी होगी कि लॉ की डिग्री लेने के बाद इस व्यवसाय में प्रवेश के इच्छुक लोगों को

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा और उसकी परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी । यह पाठ्यक्रम अखिल भारतीय विधि व्यवसायी संघ द्वारा विहित किया जायेगा । इससे विधि-सम्बन्धी शिक्षा का मानदण्ड ऊंचा करने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

लेकिन इस विधेयक द्वारा जनता के कष्ट दूर नहीं होंगे, यदि कोर्ट-फीस और मुकदमेबाजी के खर्च की मौजूदा दरें ही क़ायम रखी जायेंगी । इनको घटाये बिना इस विधेयक का पूरा मतलब ही खत्म हो जायेगा । विधि आयोग ने भी इसका उल्लेख किया है । आयोग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों या अन्य वैधानिक अधिकारों को पूरा करने के दौरान में घायल हो जाये तो वह एक भारी फीस अदा करने के बाद ही न्यायालय की शरण ले सकता है । यानी न्याय एक बड़ी महंगी चीज बना दी गई है । मद्रास में यह दरें सब से ऊंची हैं । वहां यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था को ५ या ७ लाख रुपये की सम्पत्ति का अपना कोई मुकदमा लड़ना हो, तो उसे कोर्ट-फीस और स्टाम्पों के रूप में ३७,५०० या ५२,५०० रुपये पहले अदा करने पड़ते हैं । अन्य राज्य भी धीरे-धीरे मद्रास की दरों तक ही पहुंचते जा रहे हैं । राज्य सरकारें तो इससे ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने की बात ही सोचती हैं । यह बड़े शर्म की बात है कि राज्य सरकारें सामाजिक न्याय के प्रशासन से इतना अधिक रुपया बना रही है। हालांकि इससे विधेयक का सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ।

हमें इस विधान से बड़ी खुशी है, लेकिन इसके बाद इसी तरह के और भी विधान सभा में आते रहने चाहिए । भारत में मुकदमेबाजी की लागत कम करने, या उसे विनियमित करने के लिए भी एक विधेयक रखा जाना चाहिए । सारे देश में कोर्ट-फीस भी एक-समान होनी चाहिए । गरीब जनता वकीलों को दिये जाने वाले मेहनताने के अतिरिक्त इतनी अधिक कोर्ट-फीस—साढ़े सात प्रतिशत दर से—अदा नहीं कर सकती । इस में सुधार की बड़ी आवश्यकता है ।

हर राज्य में कनिष्ठ विधि-जीवियों की भी एक तालिका होनी चाहिए और उनको भी केन्द्रीय सरकार की ओर से मुकदमे लड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए । आज तो यह होता है कि केन्द्रीय सरकार मनमाने ढंग से कुछ विधि-जीवियों को संरक्षण दे देती है । यह ग़लत तरीका है ।

विधि जीवियों की एक सामान्य सूची तैयार हो चुकने के बाद, यह भी आवश्यक होगा कि उनको एक संविहित प्रतिष्ठा दी जाये । फिर उनकी वरिष्ठता उसी तिथि से मानी जानी चाहिए जिसको कि उन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने विधि-जीवियों की श्रेणियां रखने का विरोध किया है । मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश में इन श्रेणियों के प्रति काफ़ी विरोध की भावना मौजूद है । यह सही है कि उच्चतम न्यायालय का विधि-जीवी देश में कहीं भी मुकदमे लड़ सकता है, लेकिन दूसरे नगरों की जनता में वह इतना लोकप्रिय नहीं होता और उसे वहां के मुकदमे नहीं मिलते । मुझे अपने देश क विधि-व्यवसायी संघ की महान परम्पराओं पर बड़ा गर्व है । उसने सर तेज बहादुर सप्रू जैसे लोग पैदा किये हैं ।

†**श्री हजरनवीस :** सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर भी उनमें से एक हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : आप उनका भी नाम ले सकते हैं । मुझे उन पर गर्व है । मैं विदेशों की शिक्षा को अपने देश की शिक्षा के मुकाबले कोई बहुत ऊंचे दर्जे की नहीं मानता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन हां, हमारे यहां की विधि-सम्बन्धी शिक्षा उतने ऊंचे दर्जे की और उतनी व्यापक नहीं है। उसमें सुधार करना अत्यावश्यक है। इसीलिए लॉ कालेजों में ऐसे शिक्षक और ऐसे विद्यार्थी नहीं रखने चाहिये जो अपना कुछ ही समय उसके लिए देते हैं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मि० चेयरमैन, सर, मौजूदा लीगल प्रैक्टीशनर्ज बिल विधि-व्यवसायी विधेयक) के ज़रिये, जो कि सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया गया है, आल इंडिया बार कौंसिल (अखिल भारतीय विधि व्यवसायी परिषद्) और स्टेट कौंसिल्ज़ सैट-अप की जा रही है। यह बहुत खुशी की बात है। जैसा कि मुझ से पहले बहुत से आनरेबल मेम्बर्ज ने चर्चा की है, इस की बहुत ज्यादा ज़रूरत थी। इस के लिए आल इंडिया बार कमेटी भी मुकर्रर की गई थी। उस ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात के लिए ज़ोर दिया था। पिछले दिनों ला कमिशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस में भी इस की ज़रूरत को मसूस किया गया था। इस बिल के ज़रिये जो इन कौंसिल्ज़ को सैट-अप किया जा रहा है, उस के बारे में मैं दो तीन बात हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

इस बिल को देखने से यह पता लगता है कि आल इंडिया बार कौंसिल और स्टेट कौंसिल्ज़ को सैट अप करने का सब से बड़ा मकसद यह है कि तमाम देश में एडवोकेट्स की एडमिशन (प्रवेश) सिस्टम को यूनिफ़ार्म (एक रूप) किया जाय, जिस से कि बार का स्टैंडर्ड (मानदण्ड) ऊंचा हो। यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस के बारे में मेरी तजवीज़ यह है कि जब तक हम तमाम देश में लीगल एजूकेशन (विधि सम्बंधी शिक्षा) के स्टैंडर्ड को भी उस के साथ साथ यूनिफ़ार्म और ऊंचा नहीं करेंगे, हम इस में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मेरी राय यह है कि उस के लिए लीगल एजूकेशन के स्टैंडर्ड को भी तमाम देश में यूनिफ़ार्म करना निहायत ज़रूरी है। आज हम क्या देखते हैं कि बहुत से ऐसे ला कालेज हैं, जिन में तीन साल का कोर्स है, और बहुत से ऐसे कालेज हैं, जिन में दो साल का कोर्स है। यही नहीं, कई कालेज ऐसे हैं, जहां कि ईवनिंग क्लासिज़ लगती हैं। इस के साथ साथ बहुत से कालेज ऐसे हैं, जहां एम० ए० के साथ ला की एजूकेशन की भी इजाज़त है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी इन तमाम बातों की तरफ़ पूरा ध्यान देगी।

बिल की क्लाज़ ६ में कहा गया है कि आल इंडिया बार कौंसिल के फ़ंक्शन्ज़ (कृत्यों) में से एक फ़ंक्शन यह भी है कि वह विश्वविद्यालयों में विधि सम्बंधी शिक्षा का मानदण्ड विहित करे।

इस बारे में मेरी अपील यही है कि सब से पहले यह कोशिश करनी चाहिए कि जिस से तमाम देश में लीगल एजूकेशन का एक यूनिफ़ार्म स्टैंडर्ड हो, वर्ना एडवोकेट्स के लिए जो यूनिफ़ार्म मैथड बनाया जा रहा है, वह कामयाब नहीं हो सकेगा—वह फ़ेल हो जायगा।

दूसरी बात जो मैं हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं—और मुझे पूरा विश्वास है कि सिलेक्ट कमेटी इस बात पर भी ग़ौर करेगी—वह यह है कि ला की एजूकेशन के बाद दूसरा सवाल हमारे जजिज़ (न्यायाधीश) वगैरह की एपायंटमेंट (नियुक्ति) का है। ला कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात का ज़िक्र किया गया है। मैं यह बात खास तौर पर इस लिए कह रहा हूं कि बिल में जो फ़ंक्शनज़ दिए गए हैं, उन में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि स्वयं वह किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी तरीके से हो, इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जजिज़ वगैरह के एपायंटमेंट में आल इंडिया बार कौंसिल की राय ज़रूर ली जाये। यह बहुत ज़रूरी

है, क्योंकि एक देश के इन्तज़ाम को ठीक तरह से चलाने के लिए, वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कामयाबी से चलाने के लिए एक मज़बूत इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम का होना निहायत ज़रूरी है और कोई जुडिशल सिस्टम मज़बूत और इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, जब तक कि उस की बार को कान्फ़िडेंस में नहीं लिया जायेगा, खास तौर पर जजिज़ वगैरह की एपायंटमेंट के लिए । मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात की तरफ़ भी ध्यान दिया जायेगा ।

हमारे देश में आज जो लीगल सिस्टम है, वह बहुत मंहगा है । ग़रीब आदमियों को इन्साफ हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है । मुझे पूरा विश्वास है कि बार कौंसिल के सैट अप होने (बनने) से इस बारे मे भी ज़रूर मदद मिलेगी और इस तरफ़ भी ध्यान दिया जायेगा, ताकि ग़रीब लोगों को फ्री लीगल एड (वैधानिक सहायता) मिल सके और उन को अदालतों में इन्साफ मिल सके ।

मैं ये तमाम बात इस लिए कह रहा हूं कि बार एक आटोनोमस बाडी हो । इस रिपोर्ट में इस का ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि उस के फ़ंक्शन्ज़ वाइड (व्यापक) होने चाहिए, क्योंकि जैसा कि ला कमीशन की रिपोर्ट में सफ़ा ५८० पर कहा गया है कि एकीकृत विधि व्यवसायी संघ के जरिये प्रादेशिक और साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को मिटाया जा सकता है । इस लिए आप खुद अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि बार कौंसिल की कितनी ज्यादा अहमियत है । उस की अहमियत इस लिए है कि वह देश में एक अच्छा मज़बत एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने में मदद देती है । उस की इस लिए भी ज़रूरत है कि वह देश में सैक्शनल, रिजनल और कम्यूनल ट्रेंड्ज़ का मुकाबला करती है और उन को खत्म करने में मदद देती है । लेकिन ये तमाम बात तब ही हो सकती हैं, जब कि बार कौंसिल को ज्यादा पावर्ज़ दी जायेगी, उन को ज्यादा अख्तियार दिए जायगे और उन के फ़ंक्शन्ज़ को और ज्यादा बढ़ाया जायगा । यह बात मैं ने इस लिए कही है कि इस बिल में बार कौंसिल्ज़ के जो फ़ंक्शन्ज़ बतलाए गए हैं, उन में से बहुत से वेग हैं और उन से हम अन्दाज़ा नहीं लगा सकते कि उन की पावर कितनी होगी । मुझ से पहले मेरे दोस्त श्री सूपकार ने भी ध्यान दिलाया है । मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरफ़ भी पूरा ध्यान दिया जायगा और इन कौंसिल्ज़ के फ़ंक्शन्ज़ और पावर्ज़ को और ज्यादा बढ़ाया जायेगा, ताकि वे इन तमाम कामों में पूरी मदद दे सकें ।

इस एक्ट में जो पांच सौ रुपए की फ़ीस रखी गई है, वह बहुत ज्यादा है । मुझे से पहले और भी कई दोस्तों ने इस तरफ ध्यान दिलाया है । मैं समझता हूं कि इस हाउस की यह यूनैनिमस (सर्वसम्मत) राय है कि इस को रेड्यूस--कम--किया जाय । अगर ज्यादा नहीं, तो कम से कम इस को आधा ज़रूर किया जायें । आज हम देखते हैं कि जितनी डिसपैरिटी आफ़ इनकम इस लीगल प्रोफ़ेशन में है, शायद और किसी प्रोफेशन में नहीं है । इस तरफ़ भी मेरे और दोस्तों ने ध्यान दिलाया है । आप को ऐसे बहुत से एडवोकेट्स नज़र आयेंगे, जिन की आमदनी तीस, चालीस हज़ार रुपए से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा तादाद ऐसे एडवोकेट्स की है, जिन को बहुत कम काम मिलता है और जो बेकार हैं ।

इन तमाम बातों की तरफ़ हमें ध्यान देना चाहिए । मुझे पूरा विश्वास है कि फ़ीस को भी कम किया जायेगा और इस किस्म का इन्तज़ाम किया जायेगा कि जिन जूनियर एडवोकेट्स को काम नहीं मिलता है, उन को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके । इस के बारे में मैं दो तीन तजवीज़ें हाउस के सामने रखना चाहता हूं । एक तरीका यह हो सकता है कि, जैसा कि

मेरे दोस्त मि० नायर ने कहा है, जो सरकारी वकील किए जाते हैं, उन में उन की सर्विसिज़ को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज़ (उपयोग) किया जाये। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरफ़ पूरी कोशिश की जायेगी। आज सीनियर और जूनियर एडवोकेट्स के दरमियान बड़ी डिस्टिंक्शन है। सीनियर एडवोकेट्स के लिए यह लाज़िमी होना चाहिए कि वह कम से कम दो एडवोकेट्स को ज़रूर अपने साथ रखे, उन को काम दे, ट्रेनिंग दे, जिस से उन को आसानी से काम मिल सके। मैं आशा करता हूं कि ज्वायंट सिलैक्ट कमेटी इन तमाम तजवीज़ों पर अच्छी तरह से गौर कर लेगी और जहां तक आल-इंडिया बार काउंसिल बनाये जाने का ताल्लुक है, जो कि सैट-अप की जा रही है, जहां तक उसके फंकशंस का ताल्लुक है, उनको और उसकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाया जाए, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है।

एक आखिरी बात मैं टाउटिज्म (दलाल प्रथा) के बारे में कहना चाहता हूं। इसका ज़िक्र ला-कमिशन की रिपोर्ट में भी किया गया है। यह ठीक है और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि यह लीगल प्रोफैशन के अन्दर एक इविल (बुराई) है और इस इविल का खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट में यही कहा गया है।

लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे केस भी देखने में आते हैं जिन में कि एडवोकेट्स को खामखाह बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उनके खिलाफ़ मैलिशश, झूठी एप्लीकेशंस दी जाती हैं। इस बारे में मेरी यह अपील है कि सी० पी० सी० का जो सैक्शन ३५ (ए) है उसके अन्दर यह है कि जो किसी के खिलाफ मैलिशस प्रापेगंडा (बुरी नीयत से प्रचार) या कोई इस किस्म का काम करता है, उससे कम्पेसेटरी एलाउंस लिया जा सकता है, उसी तरह से इस किस्म की बात एडवोकेट्स के बारे में भी होनी चाहिए। अगर एक तरफ हम चाहते हैं कि टाउटिज्म को खत्म करें तो दूसरी तरफ यह देखना भी जरूरी है कि जो बार के खिलाफ, जो एडवोकेट्स के खिलाफ मैलिशस प्रापेगंडा किया जाता है, उसको भी रोका जाए। इसका कारण यह भी है, जैसा मैंने पहले कहा है, कि यह जो बार है, यह एक ऐसी संस्था है जो कि देश के अन्दर एक अच्छा डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने में मदद देती है और जब उससे इस बारे में राय मश्विरा किया जाता है और उससे एक्सपैक्ट (आशा) किया जाता है कि वह राय दे कि किस तरह से ज्यूडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए, तो अगर उसके खिलाफ़ इस किस्म का मैलिशस प्रापेगंडा करने की इजाज़त दे दी जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह अपने काम को किस तरह से पूरा कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि सिलैक्ट कमेटी इस पर भी अच्छी तरह से विचार करेगी और इस बिल को इस तरह से एमेंड करेगी जिससे कि एडवोकेट्स के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ जो मैलिशस प्रापेगंडा किया जाता है, उसको रोका जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं और चाहता हूं कि इसको ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाए।

†**श्री बी० बं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मुझे इस विधेयक से कोई बहुत बड़ी-बड़ी आशायें नहीं हैं। जिन मित्रों को होंगी, उनको एक-दो वर्ष बाद इससे बड़ी निराशा होगी। यह एक साधारण सा विधेयक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

[श्री दी० चं० शर्मा]

साथ ही, मैं यह भी महसूस करता हूं कि इस विधान में विधि सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनों का पूरा पूरा, पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है । उनकी सिफारिशों से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया गया है।

यह विधेयक भली कामनाओं, भली आशाओं और अस्पष्ट शब्दावलियों का पिटारा बना दिया गया है । कई बड़ी महत्वपूर्ण चीजों की भी इसमें कोई परिभाषा नहीं की गई है। यह काम शायद समिति के लिये छोड़ दिया गया है। यह विधि-जीवियों के लिये एक उपदेश से ज्यादा कुछ नहीं है। यह विधेयक विधि-जीवियों के व्यवसाय की यथार्थ परिस्थितियों को सामने रखकर नहीं बनाया गया है।

यह दावा बिलकुल ही निराधार है कि यह विधेयक देश को एक कर देगा और अलगाव के सम्मानों को खत्म कर देगा। बल्कि इस विधेयक द्वारा विधि-व्यवसायियों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जायेगा। उन्हें न काम करने की स्वतंत्रता रहेगी और न स्वतंत्र रूप से सोचने की। स्वतंत्र भारत के लिये विधि-जीवियों ने काफी संघर्ष किया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में उसकी स्वतंत्रता छीन ली जायेगी।

व्यवस्था की जा रही है कि अखिल भारतीय विधि-व्यवसायी परिषद् उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और महाधिवक्ता के संरक्षण में काम करेगी। फिर विधि-जीवियों की स्वायत्तता कहां रह जायेगी? मैं तो चाहूंगा कि परिषद् में सिर्फ विधि-जीवी व्यवसाय के प्रतिनिधि ही रहें। विधि-व्यवसायी अपने हितों की स्वयं देखभाल कर सकते हैं। इस प्रकार स्वायत्तता का मजाक बनाया जा रहा है। माननीय मंत्री को इस पर गौर करना चाहिये।

और यदि आप विधि-व्यवसायी संघ में न्यायाधीशों और विधि-जीवियों को रखना चाहते हैं, तो फिर उसमें उन शिक्षा विदों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिये, जो इन लोगों को विधि की शिक्षा देते हैं।

हमें स्वतंत्र भारत में हर निकाय और हर संस्था की उपयोगिता की कसौटी यह बनानी चाहिये कि उससे जनता की कितनी सेवा होती है। हमें इस परिषद् को इसी कसौटी पर कस कर देखना चाहिये।

इस विधेयक में विधि-व्यवसाय के व्यवसायिक आचरण के मानदण्ड क्यों नहीं निश्चित किये गये? इन बातों को अस्पष्ट नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इनकी परिभाषा की जानी चाहिये थी। क्या इस देश के विधि-जीवियों ने पिछले करीब डेढ़ सौ साल में किसी भी तरह की कोई आचरण संहिता सीमा का आधार ही नहीं बनाया।

विधि-व्यवसाय की सब से बड़ी बीमारी दलाल-प्रथा है । अभी तक इसका कोई अचक इलाज नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि विधि सम्बन्धी शिक्षा कर सारा दायित्व अखिल भारतीय विधि-व्यवसायी परिषद् को दिया जाना चाहिये। विभिन्न राज्यों में विधि सम्बन्धी शिक्षा के विभिन्न मानदण्ड प्रचलित हैं। हमें उनमें एकरूपता लानी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि विधि सम्बन्धी शिक्षा की समस्या पर विचार करने के लिये एक आयोग या समिति नियुक्त की जानी चाहिये। यह अविलम्बनीय है।

यह बड़ी अच्छी चीज है कि अखिल भारतीय विधि-व्यवसायी परिषद् को केवल व्यावसायिक निकाय ही नहीं बनाया गया है, लेकिन साथ उसे गरीबों को निःशुल्क वैधानिक सहायता पहुंचाने का काम भी सौंपा जाना चाहिये। उसे यह कोशिश करनी चाहिये कि आम जनता विधि-व्यवसाय को सिर्फ पैसे कमाने का धंधा न समझे। आज जनता यही सोचती है।

अखिल भारतीय विधि-व्यवसायी परिषद् की एक स्थायी समिति भी होनी चाहिये, जो विभिन्न राज्यों में पैदा होने वाली समस्याओं पर विचार करे। ऐसी एक राज्य स्थायी समिति अलग से बनाई जानी चाहिये।

मैं इस बात से सहमत हूं कि विधि-जीवियों को वरिष्ठ और कनिष्ठ विधि-जीवियों में विभाजित करना लोकतांत्रिकता के अनुरूप नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री स्वयं ही केवल वरिष्ठता को पदोन्नति का एक गलत आधार मानते हैं। यह तो उनमें एक प्रकार का जाति-भेद पैदा करना होगा, जो आगे चलकर हानिकारक होगा।

इस विधेयक में 'व्यावसायिक आचरण' और 'अनुशासन समिति' जैसे शब्दों की स्पष्ट परिभाषायें होनी चाहिये थीं। आशा है कि संयुक्त समिति इस विधेयक पर काफी गौर से विचार करेगी और इसमें काफी सुधार करेगी। तभी इससे विधि-जीवियों को कोई लाभ पहुंच सकता है।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदय, किसी नए लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए, इंटेलिजेंट (बुद्धिमत्तापूर्ण) और कांशस (चेतनाशील) बार की आवश्यकता होती है। हमारे देश में लीगल प्रोफेशन को व्यवस्थित रूप देने के लिए जो बिल सदन के सामने पेश किया गया है और जिसको सिलैक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव किया गया है, उसमें से दो एक बातें निकलती हैं।

पहली बात तो यह है कि बार के यूनिफिकेशन का जो प्रश्न है वह प्रश्न हल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन एडवोकेटशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए इस बिल के यहां से पास होने के बाद और फिर सिलैक्ट कमेटी से वापस आने के बाद पास होने के बाद तय हो जाएगी। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इनके साथ साथ लीगल सिस्टम को ठीक तरह से व्यवस्थित करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता थी, उनको इस विधेयक में नहीं रखा गया है, उनकी इस विधेयक में कमी दिखाई पड़ रही है और मैं सिलैक्ट कमेटी का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इन पर विचार करेगी और इनकी व्यवस्था भी इस बिल में कर देगी।

पहली बात तो मैं एटार्नी जनरल, सालिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल की प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में कहना चाहता हूं। इस प्राइवेट प्रेक्टिस पर कोई भी किसी भी प्रकार की बन्दिश इस विधेयक द्वारा नहीं लगाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि एटार्नी जनरल, सालिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल की एक खास पोजिशन है और उस खास पोजिशन के होते हुए जब वे प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए एनगेज किए जाते हैं तो उससे एक बहुत बड़ी दिक्कत लीगल प्रोफेशन के सामने आ खड़ी हो जाती है। इसका मुझे खुद का तजुर्बा है। उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम है। वहां के एडवोकेट जनरल कितने ही परसनल (निजी) मामलों में चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के लिये

[श्री प्र० ना० सिंह]

एपीयर हुए हैं। यही बात दूसरे सूबों में भी होती होगी, ऐसा मैं समझता हूं। जैसा में अपने सूबे में देखता हूं इलैक्शन पेटिशन (निर्वाचन याचिका) स ले करके और इलैक्शन कमिशन में डिसक्वालिफिकेशन आफ दी मैम्बरशिप आफ दी होम मिनिस्टर आफ यू०पी० सभी में एडवोकेट जनरल जो हैं, वह एपीयर हो रहे हैं। इस वास्ते जब हम इस लीगल प्रोफेशन को अच्छा बनाने जा रहे हैं, तो फिर जो ला-आफिसर्स हमारे हैं, एटार्नी जनरल, सालिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल, उनको गवर्नमेंट के कार्यों को छोड़ करके प्राइवेट प्रेक्टिस करने की छूट देना किसी तरह से भी उचित नहीं होगा। उनकी जो भी तनख्वाह आप तय करें और उसके लिए जो भी आधार रखें लेकिन यह आप अवश्य कह दें कि उनको प्राइवेट प्रेक्टिस करने का, प्राइवेट मामलों में एपीयर होने का अधिकार नहीं होगा। इसको करने के ो कारण हैं। एक तो यह है कि वे लोग निजी फायदा उठाते हैं और दूसरा यह कि लीगल प्रोफेशन में उनको आपने बहुत ही एमीनेंस (प्रमुखता) दे रखी है जिसके कारण उनका प्राइवेट केसिस में आना ठीक नहीं है। प्री-आडियेंस (पहले से सुनवाई) का हक़ पहले आपने एटार्नी-जनरल को, फिर सालिसिटर जनरल को और उसके बाद एडवोकेट जनरल को दिया है, जो कि उनकी पोजीशन को एक सुप्रीम पोजीशन बना देता है और फिर भी जब उनको आप प्राइवेट प्रेक्टिस करने का अधिकार देते हैं तो ऐसी हालत में जो दूसरे प्रेक्टिशनर्स हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो अच्छे और ब्रिलियेंट (प्रतिभाशील) एडवोकेट्स हैं उनके सामने आप एक दिक्कत की स्थिति पैदा कर देते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि लीगल प्रोफैशन को ठीक तरह से आगे ले जाने के लिये यह आवश्यक है कि बार के जो ला-आफिसर्स हैं, उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस पर बैन (प्रतिबन्ध) लगाना चाहिये और मैं सिलैक्ट कमेटी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर गौर करे और इसमें कोई न कोई इस तरह की प्राविज़न जोड़े जिससे इस पर बन्दिश लगाई जा सके। चूंकि उनके लिये प्री-आडियेंस की बात इसमे कह दी गई है, इस वास्ते जब यह बिल सिलैक्ट कमेटी के सामने जाएगा तो उसको इस बात का मौका मिलेगा कि वह देखे कि उन पर किसी तरह की बन्दिश लगाने की जरूरत है या नहीं।

दूसरी बात मैं सीनियर एडवोकेट्स और जूनियर एडवोकेट्स के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि सीनियर एडवोकेट्स और अदर एडवोकेट्स हों और उनमें काम का एलोकेशन हो जाये और पता लग जाये कि सीनियर एडवोकेट्स कौन कौन से काम करेंगे और अदर एडवोकेट्स कौन कौन से काम करेंगे। लेकिन अगर आप सीनियर एडवोकेट्स को केवल सिलैक्शन के आधार पर ही रखना चाहते हैं तो, मैं यह मानते हुए भी कि जो न्यायमूर्ति लोग होंगे, जो जज लोग होंगे, जो कि अपनी तरफ से इंटेंशनली (जान बूझ कर) कोई गलती नहीं करेंगे, फिर भी हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो जाये चूंकि वे भी मनुष्य हैं, कोई देवता नहीं हैं, एरर आफ जजमेंट (समझने में गलती) हो सकती है, यह ीक नहीं होगा। सैक्शन १५ के सब-सैक्शन २ में यह कहा गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय की राय हो तो विधि-जीवी को, उसकी सहमति से, वरिष्ट अधिकारी की प्रतिष्ठा दी जा सकती है।

जब आप यह कहते हैं कि उसकी कंसेंट (सहमति) के बिना उसको सीनियर एडवोकेट नहीं बनाया जाएगा और जब आप उसको उसकी कंसेंट के साथ ही सीनियर एडवोकेट बनाना चाहते हैं और एडवोके्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि कौन सीनियर एडवोकेट बनना चाहते हैं और कौन अदर एडवोकेट होना चाहते हैं तो आप क्यों कोई इस तरह की बात करना चाहते हैं जिससे कि बाद में कोई कमी निकले या कोई गलती हो जाये और कुछ लोगों के साथ ज्यादती हो जा। जब आप उनकी कंसेंट के साथ उनको सीनियर एडवोकेट बनाते हैं तो ऐसी हालत में आप उनके ऊपर ही छोड़ दें कि कौन अपने आप को सीनियर एडवोकेट एनरोल (दर्ज) कराना चाहता है और कौन अपने को अदर-

एडवोकेट के रूप में रखना चाहता है। जो **सीनियर एडवोकेट्स** होंगे वे एक टाइप का काम करेंगे और **अदर टाइप आफ एडवोकेट्स** दूसरी तरह का काम करगे। लेकिन आप यह बन्दिश जरूर लगा दें और सेलेक्ट कमेटी इस पर गौर करे, कि दोनों तरह के एडवोकेट्स **सीनीयर एडवोकेट्स ऐंड अदर टाइप आफ एडवोकेट्स** किसी न किसी एडवोकेट्स की तरह से अपने को रजिस्टर जरूर करायें। उनके लिये अपना किसी शक्ल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यदि आप इसको केवल जजेज की कंसेंट के ऊपर छोड़ देते हैं तो इस का महत्व नहीं रह सकता। इसलिये मुझे कहना है कि आप दोनों तरह के एडवोकेट्स को रक्खे। **सीनियर एडनोकट्स एण्ड अदर टाइप आफ एडवोकेट्स** दोनों रहें और जो भी जिस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हो उसमें कराने का हक दें। आप **सीनियर एडवोकेट्स ऐंड अदर टाइप आफ एडवोकेट्स** दोनों के कामों का अलोकेशन कर दें। इससे सारा मसला हल हो जायेगा।

दूसरी बात मैं जस्टिस के सिलसिले में कहना चाहता हूं। जस्टिस अर्थात् न्याय का सिलसिला आज हमारे देश में बहुत खर्चीला होता जा रहा है और आप उस न्याय को ठीक तरह से दे सकें और एडवोकेट्स के द्वारा उसके मिलने में सहायता मिल सके, ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं दिखाई देती है। आज जो **लीगल प्रैक्टिशनर्स** हैं उनमें से कोई ४ हजार रु० फीस मांगता है कोई५ हजार और कोई ७ हजार। सुप्रीम कोर्ट में गरीब लोगों का आना मुश्किल हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम समाजवादी राज्य की कल्पना रखते हैं, हमने समाजवादी राज्य का आधार मानने का निर्णय किया है, तो हम सभी को सोशल जस्टिस दे सकें, सामाजिक न्याय दे सकें, इसके लिये आप को ऐसा आधार बनाना पड़ेगा जिसमें न्याय का दरवाजा सभी के लिये सुलभ हो सके और अच्छे से अच्छा एडवोकेट सबके लिये मिल सके। जिस तरह से सोशलिस्ट स्टेट में सरकारी नौकरों की सैलरीज (वेतनों) पर ध्यान गया उसी तरह से वकीलों की आमदनी के ऊपर भी ध्यान जाना चाहिये, उनकी इनकम पर भी कोई न कोई बन्दिश लगानी होगी। न्याय को सुलभ करने के लिये ५०० रु० या १ हजार रु० की, जो भी मैक्सिमम लिमिट (अधिकतम सीमा) आप उचित समझें, की बन्दिश लगानी चाहिये। ज्वाइण्ट कमिटी को सीनियर एडवोकेट्स और जूनियर एडवोकेट्स के लिये भी यह फिक्स (निश्चित) करना चाहिये कि किसी खास केस में क्या मैक्सिमम रेम्यूनरेशन (पारिश्रमिक) हो सकता है। हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे देश में न्याय दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है। एक तरफ सरकार को रेवेन्यू की जरूरत है क्योंकि पंचसाला योजनायें चलानी हैं इसलिये इन पंचशाला योजनाओं के नाम में आप चाहे जो कुछ करें, हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन दूसरी तरफ आप अपने कोर्ट्स के एक्सपेंसेज (खर्च) को नहीं देखते। वह दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, एडवोकेट्स या जो लीगल प्रोफेशन के लोग हैं उनके रेम्यूनरेशन बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि जो साधारण मनुष्य हैं, जो आम और से एक ऐवरेज आदमी है उसे न्याय मिलना सरल नहीं रह गया है। इसके सम्बन्ध में ज्वायेंट (सिलैक्ट) कमेटी को विचार करना चाहिये कि किसी सीनियर एडवोकेट का और किसी जूनियर एडवोकेट का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन क्या हो सकता है। यह फिक्स हो जाना चाहिये क्योंकि बिना इसके फिक्स किये हुये हम देखते हैं कि आज मनमाने तरीके से एक रोज को हिअरिंग (सुनवाई) के लिये या एक छोटी सी ऐप्लिकेशन के लिये एक एक घण्टे के लिये खड़े होने के लिये, मामूली से मामूली काम के लिये ऊंचे से ऊंचे रेम्यूनरेशन चार्ज किये जा रहे हैं।

साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि जिस वक्त आप बार कौंसिल्स पर लीगल प्रोफेशन की दूसरी जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, आप को आल इण्डिया बार कौंसिल और स्टेट बार कौंसिल्स पर यह जिम्मेदारी भी डालनी चाहिये कि जिन लोगों के पास साधन नहीं हैं अपने लिये लीगल एड लेने के, और उनके लिये लीगल एड लेना जरूरी है, तो उसके लिये उन कौंसिल्स को कुछ न कुछ प्रबन्ध करना

[श्री प्र० ना० सिंह]

चाहिये । बार कौंसिल के सामने इस का कोई न कोई प्राविजन होना चाहिये । इसके लिये चाहे गवर्नमेंट खुद ही अपनी तरफ से कुछ रुपया ऐलोकेट कर दे या फण्ड के रूप में दे दे जिसमें कि आल इण्डिया बार कौंसिल और स्टेट बार कौंसिल्स इस बात की कोशिश कर सकें कि जो साधनविहीन लोग हैं उन को लीगल एड पहुंचने का कोई रास्ता निकल आये । मैं ज्वायेंट कमेटी के सामने और मन्त्री जी के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर प्रश्न है क्योंकि देश के हर एक आदमी को जस्टिस मिलनी चाहिये । आज देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन को दोनों वक्त भर पेट भोजन नहीं मिलता है। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मुफस्सिल कोर्ट्स की बात कर रहा हूं जहां पर दो-दो, चार-चार बीघे जमीनें वाले किसानों को जबर्दस्ती बेदखल किया जा रहा है, उनकी अपनी जमीनों से निकाला जा रहा है । जब उनके लिये खाने का ठिकाना नहीं है, तो वह कैसे इतना खर्च करके अपने लिये जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं । अगर आप को हर आदमी तक ठीक तरह से जस्टिस को पहुंचाना है तो कोई न कोई व्यवस्था आल इण्डिया बार कौंसिल के सामने और स्टेट बार कौंसिल्स के सामने होनी चाहिये जिसमें कि न्याय के हासिल करने में बार कौंसिल्स के द्वारा साधनविहीन लोगों को मदद कराई जा सके ।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में एडवोकेट्स के एन्रोलमेंट के लिये ५०० रु० फीस रक्खी गई है । यह ५०० रु० की फीस शायद यह समझ कर रक्खी गई है कि सब एडवोकेट्स ५०० रु० देने के लायक हैं । मैं समझता हूं कि अपनी जगह पर यह ठीक बात नहीं है । ज्वाइंट कमेटी इस बात पर विचार करे कि गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को कर्जे की व्यवस्था हो । अगर कोई एडवोकेट कर्जा लेना चाहे तो गवर्नमेंट उसको यह पया दे दे और बाद में उनसे वसूल कर ले । आप देखेंगे कि आज देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो किसी तरह से पढ़ रहे हैं, ला ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, उनकी इच्छा है कि वे स्वतन्त्र पेशे में लगें, इस देश की राजनीति में, इस देश के सामाजिक आन्दोलन में, आर्थिक आन्दोलन में, इस देश के दूसरे मामलों में भाग ले सकें, लेकिन गरीबी के कारण पिछड़े रहे हैं । आज वे लोग आगे आना चाहते हैं । यदि आप इसके लिये ५०० ० फीस रक्खेंगे तो बहुत सम्भव है कि बड़े घरों से आने वाले लोग इस को दे सकें, लेकिन जो एक हरिजन घर से आते हैं, पिछड़ी जातियों के घर से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, दो चार या दस बीघा जमीनें रखने वाले किसान के घर से आते हैं, उनके लिये ५०० रु० देना कठिन होगा । अगर इसके लिये आप २७ या ३७ रु० रखते तो शायद इतना जमा करना उनके लिये सम्भव हो जाता पर ५०० रु० जमा करना उसके लिये मुश्किल है । यहां पर मैं आज जो कह रहा हूं उस पर ज्वायेंट कमेटी को विचार करना चाहिये । आज लीगल प्रोफेशन के लिये आप को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि उसमें कोई न कोई इस तरह की व्यवस्था हो जिससे इस प्रोफेशन में आने वाले को शुरू में कुछ सहायता हो सके भले ही बाद में वह उससे वसूल कर ली जाय, जिसमें कि वह लाइब्रेरी आदि ठीक कर सके और एडवोकेट को जो पया देना होता है फीस के रूप में उसे भी जमा कर सके और अपने प्रोफेशन में अपने को इस्टैब्लिश (जमने) करने की कोशिश कर सके ।

आज देश में ला ग्रेजुएट्स की जो पढ़ाई लिखाई चल रही है उसमें भी दिन ब दिन स्तर गिरता जा रहा है । इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारा लीगल प्रोफेशन उन्नति की तरफ नहीं जा रहा है, जो लोकतन्त्रात्मक ढांचे में उसकी स्थिति होनी चाहिये उसकी ओर वह नहीं जा रहा है । ऐसी हालत में जो लीगल प्रोफेशन की पढ़ाई लिखाई है उसकी ओर भी ज्वायेंट कमेटी का ध्यान जाना चाहिये । जब हम लीगल प्रैक्टिशनर्स ऐक्ट पास करने जा रहे हैं तो यह बात सामने होनी चाहिये कि हम अपने लीगल प्रोफेशन को अधिक से अधिक ऐसा बनायें जो हमारी नई कंडिशन्स को सूट करे । इसलिये ला

की पढ़ाई जो है उसके सम्बन्ध में हम इस बात पर गौर करें कि हमारे एडवोकेट्स के अन्दर ऐसी योग्यता आ सके जिसमें वह इस प्रोफेशन को ठीक तरह से चला सकें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्वायेंट कमेटी को यह चाहिये कि लीगल प्रैक्टिशनर्स बिल के सम्बन्ध में कोई आखिरी फैसला करने से पहले कम से कम जो हमारे देश में लीगल प्रोफेशन में लगे हुए लोग हैं उनकी राय ले। अगर उन से राय ली जायेगी तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छी तरह से हम इस कानून को बना सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह जो बिल ज्वायेंट सिलैक्ट कमेटी के सामने जा रहा है यह ध्यान रक्खा जायेगा और हमें यह आशा करनी चाहिये कि जिस सिलसिले को हमारी ला मिनिस्ट्री ने लीगल प्रोफेशन की उन्नति के लिये शुरू किया है, उसके द्वारा इस देश के अन्दर न्याय को पूरी तरह से प्रतिष्ठित करने के लिये सब लोगों से, विशेषकर इस प्रोफेशन के लोगों से जरूर राय ली जायेगी।

†**श्री हजरतवीस :** मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को संयुक्त समिति में भेजने के प्रस्ताव का सर्व सम्मति से समर्थन किया, केवल एक सदस्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

सभा के उन सदस्यों ने जो विधि-व्यवसायी हैं इस विधेयक का समर्थन किया है। इसका कारण यह है कि यद्यपि देश में विधि-व्यवसायिओं की संख्या बहुत अधिक है तथापि वे लोग कई राज्य विधि व्यवसायी संघ और उससे भी छोटी छोटी इकाइयों में बंटे हुए हैं इसीलिये इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि जब हमारे देश में एक प्रकार की ही कानूनी व्यवस्था है, विधि-शिक्षा की रूपरेखा एकसी है और हम सामान्यतः एक ही प्रकार की परम्पराओं का पालन करते हैं तो इस व्यवसाय के सामान्य हितों की रक्षा करने और उसके लिये एकदम माप ंड स्थिर करने के लिये एक संस्था का होना आवश्यक है।

यह भी आवश्यक समझा गया कि यह संस्था इस व्यवसाय के ऊंचे उद्देश्यों और महान् परम्पराओं के अनुरूप ही होनी चाहिये। हम समाज तथा न्यायालयों को न्यायपालन में सहायता देते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने लिये भी कुछ विधियां बनायें और एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो इन विधियों को लागू करने में सहायता देवें। अतः इस संस्था में विधि व्यवसायिओं के प्रतिनिधि लोग चुने जाने चाहियें जिन पर तत्संबंधी नियम बनाने का व्यापक दायित्व दिया जा सके।

श्री दी० च० शर्मा ने कहा है कि हमने जो शक्तियां दी हैं वे अस्पष्ट हैं। यदि हम उनमें कोई सीमा निर्धारित करते तो इस व्यवसाय के अनुयायी लोग यह सोचते कि सरकार उन्हें इस योग्य नहीं समझती कि वे अपना विधान बना सकें।

विधेयक की मुख्य बातें यह हैं। पहिली, हमें वह उद्देश्य प्राप्त हुआ है जो कि बहुत पहिले से हमारा आदर्श रहा है तथापि उसे प्राप्त करना तभी संभव था जब विधि में परिवर्तन किया जाता और एक विधि-व्यवसायी संघ बनाया जाता। इसके सदस्यों को समस्त देश में एक ही प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे और वे सभी न्यायालयों के समक्ष पैरवी कर सकेंगे। राज्यों में राज्य विधि व्यवसायी संघ और राज्य विधि व्यवसायी परिषदें होंगी। अब हमें राज्यवार संस्थायें बनानी हैं तथा उनके नियंत्रण और अवीक्षण के लिये एक केन्द्रीय संस्था बनानी है। इसीलिये व्यवसायिक आचार, व्यवसायिक अनुशासन प्रवेश अर्हतायें और अनुशासनात्मक कार्यों के संबंध में संस्था स्वयं विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरतवीस]

मैं इस स्थिति में केवल एक दो बातें कहूंगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस संबंध में संयुक्त समिति का क्या निर्णय होगा। इस संबंध में हम समिति के सदस्यों की सिफारिश के अनुसार विधेयक में संशोधन करेंगे।

सभा के कुछ सदस्यों ने वकीलों के दो श्रेणियों यथा ज्येष्ठ और कनिष्ठ में विभाजन का स्वागत किया है। कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। तथापि इस प्रस्ताव के विरुद्ध जो आलोचना की गई है वह इस वर्गीकरण को समझ कर नहीं की गई है।

हमने यह पृथा ब्रिटेन के विधि व्यवसायी संघ से ली है वहां यह पृथा है कि जब आप 'सम्राट के वकील' (क्वीन्स कांउन्सल) हो जाते हैं तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो कनिष्ठ वकीलों को करना होता है। वस्तुतः यह एक प्रकार का खतरा है एक होनहार बारिस्टर के लिये इसे स्वीकार करने का निर्णय करना बहुत महत्व रखता है। वह इसके लिये लार्ड चान्सलर से आवेदन करता है और यह पूर्णतः लार्ड चान्सलर की इच्छा पर निर्भर है कि वे इसे स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें।

मुझे एक उदाहरण याद है जब कि किंग्स बैंक के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस मैक कार्डी लेड ने लार्ड चान्सलर से आवेदन किया। उस आवेदन के स्वीकार करने में विलम्ब किया गया उन्होंने आवेदन वापस ले लिया लेकिन थोड़े समय के पश्चात् उन्हें बैंक में ले लिया गया।

हमने उसी पद्धति का अनुकरण किया है और यह उपबन्ध किया है कि न्यायालय इस अधिकार का प्रयोग करेगा। निसंदेह इस बात की संभावना सदैव बनी रहती है कि गलत निर्णय हो जाय। तथापि जब हमने न्यायालयों को इससे भी अधिक महत्व के निर्णय सौंपे हैं यथा व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना चाहिये या नहीं अथवा संविधान के एक विशेष उपबंध का क्या आशय है इत्यादि, इसलिये हमारे पास इनसे अधिक योग्य और कोई प्राधिकारी नहीं हैं जो इस बात का निर्णय करे कि अमुक व्यक्ति को यह पद दिया जाना चाहिये या नहीं। उनको व्यक्ति के संबंध में पूर्ण जानकारी रह सकती है क्योंकि वह सदैव उनके सम्मुख वकालत करता है।

ज्येष्ठ वकील होने के पश्चात् व्यक्ति को कुछ कार्य कनिष्ठ वकीलों के सुपुर्द करना होगा। वह मसविदा तैयार नहीं कर सकता है, वह मुवक्किलों से पूछताछ नहीं कर सकता है। वह बिना कनिष्ठ वकील के न्यायालय में खड़ा नहीं हो सकता है।

सभी सदस्यों ने मुकदमों के बढ़ते हुए व्यय पर खेद प्रकट किया है। इसका भार भी व्यवसाय पर ही पड़ता है, अतः सस्था को सब से पहिला काम यही करना चाहिये कि वह व्यय घटावे। वकीलों के सहयोग के बिना सरकार भी इस कार्य में सफल नहीं हो सकती है।

श्री नायर ने कुछ सुझाव दिये हैं मेरे विचार से यह बात विधेयक की सीमा के बाहर है यह विधेयक मुख्यतः विधि व्यवसायी सघ के प्रवेश का विनियमन करता है तथा वकीलों के शुल्क या मुवक्किलों के साथ उनके संबंधों से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसमें यह बात भी विहित नहीं कर सकते हैं कि महाअधिक्ता को क्या करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि कुछ वकील बहुत अधिक शुल्क लेते हैं। अच्छे वकील बहुत अधिक शुल्क केवल इस कारण लेते हैं कि उनके पास बहुत अधिक काम न आये। बहुत ज्यादा काम हो जाने पर लोग अक्सर अपना शुल्क बढ़ा लेते हैं। यह बात सभी जानते हैं कि कम शुल्क

देने पर भी कोई दूसरा कनिष्ठ वकील इस काम को कर लेगा लेकिन वे अच्छे वकील के ही पास जाना चाहते हैं।

यह कहा गया है कि वकील को एक निश्चित रकम लेकर मुकदमा सुन लेना चाहिये। इसका परिणाम यह होगा कि कुछ लोगों के पास इतने लोग पहुचेंगे कि उनका काम नहीं कर सकेंगे। अधिकांश बड़े वकील रुपये में चौदह आने आयकर देते हैं। इसलिये उन्हें काम करने में कोई विशेष खुशी नहीं होती है। श्री दी० चं० शर्मा को यह ज्ञात होना चाहिये कि इस विषय पर दलगत भेदभाव के बावजूद भी सभी सदस्य सहमत हो गये हैं। वस्तुतः सारी सभा इस विषय पर एक मत है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं सभा से प्रस्ताव के समर्थन की सिफारिश करता हूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि विधि व्यवसायिओं सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने तथा विधि व्यवसायी परिषद् (बार काउंसिल) तथा एक अखिल भारतीय विधि व्यवसायी संघ (आल इंडिया बार) स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य अर्थात् श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्, श्री तिरुमल राव, श्री लीलाधर कटकी, श्री कैलाश पति सिन्हा, श्री मुहम्मद ताहिर, श्री नरेन्द्र भाई नथवानी, श्री कृ० गु० देशमुख, श्री रंगा राव, श्री गोतम, श्री राधा चरण वर्मा, श्री थानुलिंगम् नादर, श्री गणपति, श्री आचार, श्री हेम राज, पंडित मुकुट बिहारीलाल भार्गव, पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय, श्री रघुवीर सहाय, श्री राधा मोहन सिंह, श्री परेश नाथ कयाल, श्री गणपति राम, श्री हजरनवीस, श्री साधन गुप्त, श्री नारायणन् कुट्टि मेनन, श्री शिवराज, श्री खुशवक्त राय, श्री द० रा० चावन, श्री राम गरीब, श्री ब्रजराज सिंह, डा० कृष्णस्वामी तथा श्री अशोक कु० सेन, इस सभा के हों, और १५ सदस्य राज्य सभा के हों,

कि समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी,

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक सभा को बताये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दहेज निषेध विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दहेज लेने या देने को निषिद्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय।"

संयुक्त समिति ने विधेयक के क्रियाकारी अंश में कोई परिवर्तन नहीं किया है। सरकार ने यह निश्चय किया था कि यह विधेयक विभिन्न राज्यों में क्रमशः लागू किया जाय। संयुक्त समिति में खंड १ में संशोधन करके यह सुझाव दिया है कि यह विधेयक सभी राज्यों में एक साथ लागू किया जाय।

खंड २ पर चर्चा के समय समिति में यह कहा गया था कि क्या हमने सभी मामलों में दहेज रोकने के लिये प्रभावशाली व्यवस्था की है। 'प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से' शब्दावली को रखने का कारण यह था कि यदि दहेज तय हो जाता है और वह दुल्हा या किसी व्यक्ति को देने के स्थान में दुल्हिन वालों की ओर से दुल्हिन को दिया जाता है तो यह परिभाषा के अन्तर्गत आयेगा या नहीं। किसी प्रकार की त्रुटि न रखने के लिये समिति ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शब्द रख दिये हैं।

खंड ३ में यह संशोधन किया गया है कि अब अर्थदंड और सजा दोनों दी जा सकती हैं। मूल विधेयक में अर्थदंड अथवा कैद की सजा रखी गई थी।

खंड ६ और खंड ७ की शब्दावली में कुछ परिवर्तन किया गया है। अब प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेटों का भी उल्लेख कर दिया गया है।

पहिले यह प्रस्ताव रखा गया था कि राज्य सरकारें नियम बना कर राज्य विधान सभाओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। समिति ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण भारत के लिये एकरूप नियम बनायेगी।

अब मैं समिति द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लेता हूं। मूल विधेयक में २००० रु० की राशि विहित है। मूल विधेयक में विधेयक की परिभाषा इस प्रकार है कि दहेज का तात्पर्य ऐसी सम्पत्ति अथवा बहुमूल्य प्रतिभूतियों से होगा, जो विवाह के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को अथवा उस पक्ष के किसी व्यक्ति को सगाई अथवा विवाह के प्रयोजन से, विवाह के समय, या उसके पूर्व या पश्चात् दी जायेंगी तथापि उसमें २००० रु० के मूल्य तक के गहने कपड़े इत्यादि के उपहार, शामिल नहीं किये जायेंगे।

इस प्रकार खंड २ की परिभाषा के अधीन २००० रु० के मूल्य तक के कपड़े या गहने देने की अनुमति थी शर्त यह थी कि वे कपड़ों या गहनों के रूप में दिये जायें। संयुक्त समिति ने इसमें यह परिवर्तन किया है कि यदि एक रु० के मूल्य की वस्तु भी विवाह के प्रयोजन के लिये दी जाती है तो उसे अपराध समझा जायेगा और उस व्यक्ति को कैद और अर्थदंड दिया जा सकता है।

यह एक समाज संबंधी विधान है। हम इस संबंध में सभी की इच्छा का अनुकरण करेंगे। मैं आशा करता हूं सभा इस पर दलगत मतभेदों को पृथक रख कर विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक इस महान उद्देश्य को ध्यान में रख कर बनाया गया है कि इससे दहेज प्रथा रूपी अभिशाप का हमारे समाज से अंत हो जायेगा, तथापि विधेयक के उपबन्धों से प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट ज्ञात हो जायेगा कि इस विधेयक के लागू होने से यह बुराई दूर नहीं होगी।

यदि हम सामाजिक बुराइयों के मूल का पता लगाने का प्रयत्न करें तो आपको ज्ञात होगा कि इन सामाजिक बुराइयों की जड़ हमारी आर्थिक दशा में अन्तर्निहित है अतः केवल विधेयक पारित करने और उसे लागू करने से समाज सुधार नहीं हो सकता है यदि हमें समाज सुधार करना है तो हमें चाहिये कि हम समाज की आर्थिक दशाओं में सुधार करें।

संयुक्त समिति ने विधेयक की परिभाषा से २००० रु० की सीमा हटा ली है। इस संबंध में बम्बई के एक सामयिक पत्र ने यह आलोचना की कि इसका परिणाम यह होगा कि यदि कोई स्वसुर अपने दामाद को एक कोट भी देता है तो वह भी कैद में ठोंपा जा सकता है। निसंदेह इसी प्रकार की अनेक जटिल स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। निसंदेह संक्रांतिकाल में जब समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी ही। एक ओर जब हम इस विधेयक की आलोचना कर रहे हैं और इसे अव्यवहारिक कह रहे हैं दूसरी ओर हम कोई व्यवहारिक उपचार भी नहीं सुझा रहे हैं, अतः तब तक हमें इस विधेयक से ही सन्तुष्ट रहना चाहिये। इस बुराई का रोकने के लिये जनता में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। इसके लिये सामाजिक संस्थाओं को राजनैतिक दलों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को इस ओर सक्रिय कार्य करना चाहिये तभी हम इस बुराई को दूर करने में सफल हो सकते हैं।

केरल विधान सभा में जब हमने दहेज प्रथा रोकने के संबंध में एक विधेयक रखा था तो कांग्रेस ने उस पर इस आधार पर आपत्ति उठाई थी कि यह पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप है। आज मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि सारे भारत में दहेज प्रथा पर समान रूप से रोक लगे।

इसी संबंध में, मैं आपका ध्यान अनैतिक पण्य दमन अधिनियम की ओर दिलाता हूं। वैश्या-वृत्ति कानूनन अपराध ठहराने के उपरांत भी आज कलकत्ता व बम्बई में लाखों वैश्यायें हैं। यह हमारे कानून व पुलिस को चुनौती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक सामाजिक दशाओं में और समाज की आर्थिक दशा में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक मात्र विधेयक पारित करने से किसी सुधार की आशा नहीं की जा सकती है।

यदि केन्द्रीय सरकार इस विधेयक को सच्चाई से लाग करना चाहती है तो उसे साथ साथ इसाई उत्तराधिकार विधेयक में भी संशोधन करना चाहिये अन्यथा इस विधेयक का उस समुदाय पर कुप्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार उत्तराधिकार अधिनियम में परिवर्तन नहीं करना चाहती है तो उसे राज्य सरकारों को यह अधिकार देना चाहिये कि वे इन बातों को विचार कर, विधेयक लागू करने का समय निश्चित करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

अब मैं विधेयक के दो महत्वपूर्ण उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहिला यह कि इस विधेयक के अधीन अधिकारों को हस्तक्षेप अधिकार माना जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। हम अब अगला विषय लेंगे।

डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना के बारे में प्रस्ताव

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा परिवहन तथा संचार मंत्री द्वारा डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना के बारे में ११ सिम्बर, १९५९ को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

गत लगभग २०–३० वर्षों से बराबर यह मांग होती रही है कि डाक तथा तार विभाग की कार्य व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था––इस सभा में––कि एक बोर्ड बनाया जायेगा।

स्थिति यह है कि बोर्ड तो पहले भी था और काम कर रहा था पर उसकी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे कुछ अधिक दिये जाने थे। मंत्रालय स्वयं भी यह समझता था कि इस विभाग के कार्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जनता का सीधा सम्पर्क इस विभाग से बहुत पड़ता है और इस विभाग की कार्य क्षमता के संबंध में लोगों की शिकायत रही है कि कार्य कुशलता काफी घट गयी है।

माननीय मंत्री के पहले जो मंत्री इस विभाग के प्रभारी थे, उन्होंने भी ऐसा कहा था कि वे रेलवे बोर्ड जैसा कोई बोर्ड बनाना चाहते हैं। पर माननीय मंत्री ने जिस बोर्ड के बनाने की बात कही है वह रेलवे बोर्ड से बिल्कुल भिन्न है। यहां बोर्ड तो होगा ही पर बीच में सचिवालय के सचिव आदि भी होंगे। ऐसा क्यों है? मैं पूछता हूं कि इस नये बोर्ड का सभापति रेलवे बोर्ड के सभापति की ही भांति क्यों स्वतंत्र नहीं रह सकता ?

मैं नहीं चाहता हूं कि किसी तरह की फजूलखर्ची की जाये, पर जिस प्रकार बोर्ड बनाने की बात कही गयी है, उसमें बोर्ड को कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि नया बोर्ड उसी प्रकार मंत्रालय का एक भाग रहे जैसे कि रेलवे बोर्ड है।

मैं नहीं चाहता कि इस बोर्ड का बजट अलग हो। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि मंत्रालय का एक अंग हो यह बोर्ड और मंत्री तथा बोर्ड के बीच अन्य कोई व्यक्ति न हो। इससे कार्य अच्छी तरह चल सकेगा।

सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना आवश्यक है। डाक तथा तार के महानिदेशक की सत्ता का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मेरा पहला सुझाव यह है कि सचिवालय को समाप्त कर दिया जाये। सचिव, संयुक्त सचिव तथा अन्य पदाधिकारी आदि न हों। इससे बड़ी बचत होगी। दूसरा सुझाव यह है कि डाक को तार व टेलीफोन से अलग कर दिया जाये। दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाये जायें। पहले हमारे यहां काम कम था, तब एक में दोनों थे अब काम बढ़ गया है दोनों के लिए अलग-अलग बोर्ड होने चाहिए।

हमारी व्यवस्था में एक और त्रुटि यह भी है कि हमारे प्रशासकीय अधिकारी टेक्निकल व्यक्तियों पर छाये रहते हैं। टेक्निकल व्यक्तियों को कोई स्वतंत्रता तथा अपनी प्रगति करने का अवसर नहीं मिलता। जब दोनों बोर्ड अलग हो जायेंगे, तो तारबोर्ड का चेयरमैन कोई इंजीनियर या टेक्निकल व्यक्ति भी हो सकेगा। इस दृष्टिकोण से भी अलग-अलग दो बोर्ड बनाना अच्छा व लाभदायक होगा।

इसके अतिरिक्त डाक तथा तार के महाखण्डों के बनाने में भी सुविधा रहेगी यदि दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड बना दिये जायें। अभी तक दोनों की अलग-अलग आय का एक ऐसा मिलाजुला रूप हमारे सामने आता है कि हम वास्तविक स्थिति समझ नहीं पाते। दोनों के लिए अलग-अलग बोर्ड बन जाने पर हमें दोनों के लाभ का ठीक-ठीक पता लग जाया करेगा।

एक बात और है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज सभी विभागों में विकास कार्य हो रहा है। मंत्रालयों की फाइलें प्रायः गृह-कार्य मंत्रालय व वित्त मंत्रालय में फंस जाती हैं: जिसके कारण कई रुकावटें पैदा होती हैं और काम में देरी व कठिनाई पड़ती है। इसी बात के कारण मेरे मंत्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण मंत्रिमंडल को इस बात पर विचार करना चाहिए।

एक और बड़ी कठिनाई आवास के निर्याण की है। मंत्रालयों को इससे बड़ी असुविधा होती है। निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के कारण इस काम में अन्य मंत्रालयों को काफी कठिनाई होती है। वे अपने खर्च को पूरा नहीं कर पाते और धन व्यपगत हो जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस बोर्ड को आवास के संबंध में भी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इससे इस दिशा में भी प्रगति अवश्य होगी।

११ सितम्बर को माननीय मंत्री ने जो अभिलेख सभा पटल पर रखा था, उसमें मंत्रालय के सचिव का उल्लेख किया गया है। मैं पूछता हूं उसकी क्या जरूरत है। क्यों आवश्यक है कि बोर्ड का निर्णय सचिव के पास से होकर मंत्री के पास जाये। मंत्री तथा बोर्ड के बीच सचिव की क्या आवश्यकता है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : इस में कोई हर्ज की बात नहीं है क्योंकि मंत्री सचिव की राय से काम करता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : पर यह एक गलत बात है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। इन शब्दों से तो ऐसा लगता है कि सचिव एक बड़ा महत्वपूर्ण पद अपने पास रख कर सारी योजना को असफल बना देगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बारायन :** माननीय सदस्य मेरी आलोचना करें, सचिव की नहीं क्योंकि वह यहां अपने बचाव के लिए उपस्थित नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह आप की ही आलोचना है ।

जब सब बातें सचिव के पास से होकर मंत्री के पास जायेंगी, तो सचिव उसमें बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट अदा कर सकता है । लगभग १० या १२ वर्ष पूर्व मैं स्वयं सचिव रह चुका हूं । मैं जानता हूं कि सचिव की स्थिति क्या होती है । यदि सचिव कोई तगड़ा व्यक्ति होता है, तो विभाग के प्रधान को उसके हाथ का खिलौना बनना पड़ता है । इसी कारण मैं चाहता हूं कि मंत्री का बोर्ड के साथ सीधा सम्बन्ध रहे यदि मंत्री महोदय बोर्ड को प्रभावी बनाना चाहते हैं ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री ने इस वक्तव्य में कहा था कि संसद की बैठक होने से पूर्व या संसद की बैठक के दिनों में बोर्ड गठित हो जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है । साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के साथ उन्होंने क्या करार किये हैं और इस बोर्ड को क्या-क्या अधिकार होंगे । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन बातों का जवाब अवश्य देंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : इस सभा में और बाहर भी डाक तथा तार बोर्ड बनाये जाने की मांग काफी समय से की जाती रही है । वैसे एक ऐसा बोर्ड है पर अब नया बोर्ड जो बन रहा है, उसको अधिक अधिकार प्राप्त होंगे । नया बोर्ड बनाने का मुख्य कारण प्रशासकीय सुविधा है । प्राय: इस बोर्ड के खर्च के लिए धन उपलब्ध होने में बड़ी कठिनाई व देरी हो जाती थी । इस कठिनाई को दूर करने के लिए व्यवस्था नये बोर्ड में की जायेगी ।

मांग थी कि इस बोर्ड का बजट अलग रखा जाये पर वैसा नहीं किया गया है फिर यह भी मांग थी कि इस बोर्ड को रेलवे बोर्ड की ही भांति अधिकार दिये जायें, पर वैसा भी नहीं किया गया है । क्यों ? यह तो मंत्री ही जानते होंगे ।

यह शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं कहा जा सकता । इस बोर्ड का चेयरमैन डाक तथा तार का निदेशक होगा और उसके सदस्य अन्य विभागों के सचिव आदि होंगे । एक सब से बड़ी कठिनाई यह भी है कि इस बोर्ड के निर्णय को वित्त मंत्रालय का सचिव पलट सकेगा । मैं पूछता हूं कि ऐसा दिखावटी बोर्ड बनाने से क्या लाभ ?

बोर्ड को नीति बनाने का अधिकार है पर मंत्रालय की स्वीकृति के बिना बोर्ड उसे कार्यान्वित नहीं कर सकेगा । वित्तीय मामले में भी बोर्ड को बजट उपबन्धों के अधीन ही धन व्यय करने का अधिकार होगा । इससे अधिक धन व्यय करने के लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति लेनी पड़ेगी । अत: जिस सुविधा के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है, वह सुविधा मिल ही नहीं पायेगी । इस प्रकार यह बोर्ड एक रबर की मोहर के समान रहेगा । बोर्ड के बनाने का मैं स्वागत करता हूं, पर बोर्ड से जो आशायें थीं, वे इस प्रकार पूरी नहीं हो पायेंगी ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया था कि इस बोर्ड को क्या अधिकार दिये जायेंगे । मैं नहीं समझता कि इससे हमारी आशायें

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्ण होंगी । यदि माननीय मंत्री ने सभा को इस बोर्ड की मोटी रूपरेखा भी बता दी होती, तो सभा के सदस्य कुछ उपयोगी सुझाव दे सकते । इस समय जो सुझाव दिये जा रहे हैं वे कितने उपयोगी होंगे, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते ।

आज डाक विभाग के सभी क्षेत्रों में बड़ी गड़बड़ी है । मैं नहीं जानता कि इस गड़बड़ी का क्या कारण है । यदि इस बोर्ड के कारण यह गड़बड़ी दूर हो जाये, तो मैं इस बोर्ड का स्वागत करता हूं ।

हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री हमें बतायें कि यह डाक तथा तार बोर्ड क्या पार्ट अदा करेगा । यह जाने बिना बोर्ड के महत्व तथा भविष्य के बारे में सभा अपना विचार पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकती। फिर भी यदि बोर्ड वर्तमान त्रुटियों को दूर कर सके, तो उसका स्वागत है ।

डाक तथा तार विभाग के सामने बड़ी जिम्मेदारी है । कई बार अनेक स्तरों पर अनेक मंत्रालयों व विभागों का सहयोग न मिलने के कारण सारी स्थिति गड़बड़ हो जाती है । इसका असर सभी स्तरों पर पड़ता है । विकेन्द्रीकरण न होने के कारण प्रत्येक काम में बहुत देरी लगती है और यदा-कदा कुछ नीतियां बिल्कुल भी लागू नहीं हो पातीं ।

मैं माननीय मंत्री के सामने ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिससे पता लगेगा कि उनकी सारी व्यवस्था में नौकरशाही का बोलबाला है । केरल में पिछले १० वर्षों से लगातार वादा किया जा रहा है कि डाक तार विभाग के कर्मचारियों के लिए मकान बनाये जायेंगे, पर अभी तक भी वहां मकान नहीं बनाये गये और न ही कोई उचित उत्तर ही दिया गया कि ऐसा क्यों नहीं किया गया । यह कहना काफी नहीं है कि इस विभाग तथा निर्माण, आवास व संभरण मंत्रालय के बीच उचित व पर्याप्त सहयोग न होने के कारण यह नहीं हो सका ।

ऐसी स्थिति में मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री इन सभी बातों पर विचार करके इस बोर्ड को काफी अधिकार देंगे ताकि इन कठिनाइयों को दूर कर के कुछ अग्रेतर प्रगति की जा सके ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्ष से भी अधिक समय हुआ जब कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने इस सम्बन्ध में घोषणा की थी । माननीय शास्त्री जी ने जो घोषणा की थी, उस के बारे में जो हमारी आशायें थीं, उन के अनुकूल यह बोर्ड नहीं बन रहा है । मैं यहां पर उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं, जिस के बारे में हमारे मित्र श्री माथुर ने अभी यह प्रश्न उठाया कि इस सम्बन्ध में सक्रेटरी या सचिव की क्या पोजीशन रहेगी । इस के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो डायरेक्टर-जेनरल को, जो कि इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, सक्रेटरी की पावर्ज दे दी जायें और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की तरह वह विभाग के एक्स-आफ़िशियो सक्रेटरी हों, या इस डिपार्टमेंट के सक्रेटरी को इस बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाये । यदि इस सम्बन्ध में इस तरह की व्यवस्था की जाये, तो बड़ी सहूलियत होगी ।

इस बोर्ड के एक तो चेयरमैन होंगे और छः सदस्य होंगे । जैसा कि श्री माथुर ने सुझाया है, प्रति वर्ष करोड़ों रुपये भवनों के निर्माण के लिए रख दिये जाते हैं, लेकिन वे लैप्स हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में दो ही रास्ते हो सकते हैं । या तो पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट का एक सैपेरेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो और उस का हैड बोर्ड का एक एक्स-आफ़िशियो मेम्बर हो । दूसरा साल्यूशन यह है कि जिस तरह इस बोर्ड का एक फ़िनांस मेम्बर रखा जा रहा है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो फ़िनांस मिनिस्ट्री के होगा, लेकिन इस बोर्ड का मेम्बर भी होगा, उसी तरह सी० पी० डब्ल्यु० डी०

[श्री भक्त दर्शन]

से एडीशनल चीफ़ इंजीनियर के पद का एक व्यक्ति ले कर इस बोर्ड का मेम्बर बनाया जाये, ताकि सब समस्यायें आमने-सामने बैठ कर हल की जा सकें ।

माथुर साहब ने यह भी कहा कि डाक विभाग के लिए एक अलग बोर्ड बना दिया जाये और तार और टेलीफ़ोन विभागों के लिए अलग-अलग बोर्ड बना दिये जायें । मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि जब पूरे डाक-तार विभाग के लिए बोर्ड नहीं बन पाया है, तो इस विभाग की तीन शाखाओं के लिए बोर्ड बनाना कैसे सम्भव है । फिर ये जो विभाग हैं, हालांकि उन में काफ़ी अन्तर पड़ चुका है और काफ़ी तरक्की हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन का एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है । जो एक्सप्रेस डिलिवरी लैटर्ज़ आते हैं, उन को तार के हरकारों के द्वारा बांटा जाता है । मनी-आर्डर आज तार के द्वारा भेजे जाते हैं । समझ में नहीं आता कि उन का विभाजन किस प्रकार से किया जायेगा । अगर उन के अलग स्वतंत्र बोर्ड बना दिये जाते हैं, तो उन में ऐसी एनार्की फैल जायेगी कि इन्तज़ाम करना मुश्किल हो जायेगा ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक वर्ष पहले मैं ने यह सुझाव रखा था कि जब पी० एण्ड टी० बोर्ड बनने वाला है, तब इस विषय में नये सिरे से विचार किया जाय कि हैडक्वार्टर्ज़ में तो डायरेक्टर-जेनरल आफ़ पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ्स कहलाता है, लेकिन सर्कल्ज़ के हैडज़ पोस्ट-मास्टर जेनरल कहलाते हैं । देखने में इस का मतलब यह निकलता है कि वे पोस्टल साइड को ही देखते हैं, जब कि तथ्य यह है कि तार, टेलीफ़ोन और वायरलैस जैसे विषयों को भी देखते हैं । मैं कई बार पहले भी सुझाव देता रहा हूं कि पोस्ट-मास्टर जेनरल **का पद बदल दिया जाय । जब कि हैडक्वार्टर्ज़ में डायरेक्टर-जनरल** आफ़ पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ्स होता है, तो सर्कल्ज़ में डायरेक्टर आफ़ पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ्स हों और पोस्टल साइड में और टेलीग्राफ्स आदि शाखाओं का काम करने वाले आफ़िसर्ज़ को डिप्टी डायरेक्टर, पोस्ट्स और डिप्टी डायरेक्टर, टेलीग्राफ्स बना दिया जाये । मैं इतना ही कहता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में विचार करेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मेरा विचार यह है कि बोर्ड के कार्य को देखे बिना हमें अपना निर्णय नहीं देना चाहिए; लेकिन मेरा अपना मत यह है कि पहले से चली आ रही व्यवस्था से यह ज्यादा अच्छी रहेगी । डाक तथा तार निदेशालय के अधिकार बहुत कम हैं परन्तु अब मैं देखता हूं कि प्रशासनिक, विकास सम्बन्धी और वित्तीय मामलों में अधिकारों में काफी वृद्धि की जा रही है । यह अच्छी बात ही है । कहा गया है कि इस विभाग का काम पहले से अच्छा नहीं । परन्तु मेरा विचार है कि बोर्ड में योग्य व्यक्ति रहेंगे और वे प्रयत्न करेंगे कि हालात में काफी सुधार हो जाये ।

कहा गया था कि डाक विभाग को तार और टेलीफोन विभाग से अलग कर लिया जाये और इस के लियेबचत की दलील दी गयी है । मेरा विचार है कि डाक-तार और टेलीफोन के लिये एक ही बोर्ड काफी है क्योंकि उपरोक्त तीनों एक ही चीज के विभिन्न अंग हैं । लोग नौकरशाही के विरुद्ध बोलते हैं, मैं पूछता हूं कि क्या नौकरशाही के अलावा कोई और तरीक़ा निकाला गया है । जब कोई और विकल्प नहीं तो फिर इसके बिना कैसे काम चल सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक बात यह भी कही गयी है कि बोर्ड में एक इंजीनियर भी नियुक्त होना चाहिये जो कि इमारतों इत्यादि की देख भाल करे। मेरे विचार में योजना के विकास के अंग में यह बात आ जाती है। मैं यह चाहता हूं कि बोर्ड की स्थिति संविहित होनी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि इस बोर्ड को प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। इससे संसद को बोर्ड के कार्य और उसकी प्रगति के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रहेगी। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इसके लिये नीति का निर्माण मन्त्री महोदय ही करेंगे। हमें आशा करनी चाहिये कि नया प्रयास सफल होगा और हम सब को इसे आशीर्वाद देना चाहिये।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : जो मांग १९२४ से की जा रही थी, आखिर उसे सरकार ने मान लिया। मैं इस बोर्ड का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस विभाग के लिये किसी विकास निधि की व्यवस्था की जा रही है? और क्या रेलवे की तरह राजस्व रक्षित निधि की व्यवस्था करने का भी विचार है? अच्छा होता कि यह बोर्ड भी रेलवे की तरह एक स्वतन्त्र निकाय होता और मन्त्री महोदय इसके अध्यक्ष होते। मैं मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या हमने आवास की समस्या हल करने का प्रयत्न किया है? क्या इस दिशा में १९५५ की स्थिति में कुछ प्रगति हुई है? यदि नहीं, तो इस कार्य को यथा शीघ्र करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ताकि इस मामले में कर्मचारियों के असन्तोष को दूर किया जा सके।

इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि रेलवे बोर्ड की भांति इस बोर्ड को भी डाक तथा तार कर्मचारियों के बच्चों के लिये आवास गृह और स्कूल स्थापित करने चाहियें। आशा है कि मन्त्री महोदय इस बोर्ड को समुचित अधिकार देंगे ताकि लोगों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। मैं बोर्ड के निर्माण का स्वागत करता हूं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : काफी प्रतीक्षा के पश्चात इस बोर्ड का निर्माण हो रहा है। इस अवसर पर मैं मन्त्री महोदय के विचारार्थ कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि नीति का नियन्त्रण और प्रशासन एक ही बोर्ड द्वारा होगा या नीति से प्राविधिक नियन्त्रण को अलग कर दिया जायेगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि प्राविधिक अंगों को पूरा महत्व दिया जाये। वित्तीय संगठन भी अलग होना चाहिये। वित्तीय सलाहकार को स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। बोर्ड में इस प्रकार के सदस्य लिये जाने चाहियें जो कि प्रशासन और प्राविधिक मामलों का काफी अनुभव रखते हों। लेखा और लेखा परीक्षण को भी अलग-अलग रखा जाना चाहिये।

इसके साथ ही संचार मंत्री महोदय द्वारा सभा को यह आश्वासन देना चाहिये कि इस बोर्ड के निर्माण में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जायेगा और बचत और योग्यता का पूरा ध्यान रख कर कार्य चलाया जायेगा। मन्त्री महोदय को यह बताना चाहिये कि रेलवे बोर्ड की तरह वह अपनी अलग सेवा का निर्माण करेंगे अथवा वह केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ही अंग होगी। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरी बातों का उत्तर देंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : इस मामले पर चर्चा बोर्ड के निर्माण के बाद होनी चाहिये थी, क्योंकि अभी बोर्ड का निर्माण सम्भवतः १४, १५ दिसम्बर को होगा, और अभी क्या पता बोर्ड का निर्माण इस दिन हो या न हो। मैं रेलवे बोर्ड का भी पक्षपाती नहीं हूं। मैं तो उसे हमेशा सफेद हाथी का नाम देता हूं। इस प्रकार के स्वतन्त्र बोर्डों के निर्माण से केवल खर्च में ही वृद्धि होती है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

और उसकी तुलना में लाभ बहुत ही कम होता है। मेरा मत तो यह है कि आज के हालात में हमें खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिये। यह शिकायत है कि स्वतन्त्रता के बाद डाक तथा तार विभाग की योग्यता में काफी ह्रास हुआ है। मेरा मन्त्री महोदय से यही निवेदन है कि जब १४ और १५ दिसम्बर को बोर्ड की स्थापना हो जाये तो उन्हें यह देखना चाहिये कि लोगों को सस्ती और योग्य सेवा सन्तोषजनक ढंग से प्राप्त हो सके।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : अभी कुछ कहना कि बोर्ड ठीक ढंग से कार्य करेगा या नहीं समय से पहले होगा। हमें आशा करनी चाहिये कि बोर्ड के विभिन्न सदस्यों को जो भी अधिकार विभिन्न मन्त्रालयों से प्राप्त होंगे उसके द्वारा वे पूरा प्रयत्न करेंगे कि डाक तथा तार विभाग पूरी योग्यता से काम करे और उसका उत्तरोत्तर विकास हो। मन्त्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्हें डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने के मामलों पर विचार करना चाहिये। यह उस सिद्धान्त की ओर एक पग होगा जो कि सरकार ने स्वीकार किया है कि कर्मचारियों का प्रबन्ध में भी भाग होना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : जिस बोर्ड के निर्माण की बात चल रही है, मैं नहीं समझता इससे कुछ लाभ होगा। इस बोर्ड और रेलवे बोर्ड में काफी अन्तर है। रेलवे बोर्ड के पास अपनी निधि है परन्तु इस बोर्ड के अपने वित्तीय साधन कुछ नहीं होंगे। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति से शायद यह कठिनाई हल हो जाये।

इमारती कार्यक्रमों में जो देरी की बात की गयी है वह केवल डाक तथा तार विभाग तक ही सीमित नहीं। प्रत्येक स्थान पर अवस्था यह है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास इतना काम है कि उसको पूरा करना उसके बस के बाहर हो रहा है। अच्छा हो यदि बोर्ड अपनी इमारतों का काम अपने हाथ में ले ले। इससे इस कार्य में काफी प्रगति की आशा की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय को डाकघरों की अवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिये। कलकत्ता में तो डाकघरों की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। आवास की समस्या भी बड़ी गम्भीर है और इसकी ओर इस विभाग को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये।

मेरा मत है कि बोर्ड के कार्य में वित्त मंत्रालय भी काफी हस्तक्षेप करेगा। यह हस्तक्षेप रेलवे बोर्ड में किये जा रहे हस्तक्षेप से कहीं अधिक होगा। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस बोर्ड के निर्माण में क्या खर्चे होंगे, इसका कुछ ब्यौरा भी मन्त्री महोदय को ससद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। केवल बोर्ड के निर्माण से कुछ सुधार की आशा नहीं हो सकती। सारे विभाग का पुनर्गठन करना होगा। मन्त्री महोदय को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि बोर्ड के निर्माण के बाद यह आवश्यक है कि सचिव अथवा संयुक्त सचिव का पद बना रहे। क्या इनके बिना काम नहीं चल सकेगा ?

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरूनेलवेली) : नये नाम से जिस बोर्ड की स्थापना हो रही है, उससे जनता को बहुत सी आशायें हैं। रेलवे के बाद देश में यह विभाग सबसे अधिक महत्व का है। रेलवे से अधिक काम लोगों को इस विभाग से पड़ता है। यात्रा तो सभी नहीं करते, परन्तु पत्र सब लिखते और

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्राप्त करते हैं। एक समय था कि डाकिया सब से अधिक ईमानदार व्यक्ति समझा जाता था परन्तु आज वह बात भी नहीं रही है। चिट्ठियां फाड़ दी जाती हैं और मनीआर्डरों में भी रफेर हो रहे हैं। डाक विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके साथ ही विभाग का काम घाटे में चल रहा है। टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों का व्यवहार भी अपने ग्राहकों से अच्छा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं कर रहे। हमें आशा करनी चाहिये कि नये बोर्ड के निर्माण से सभी दिशाओं में समुचित प्रगति होगी और जनता के लिये योग्य सेवा की व्यवस्था हो सकेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यदि माननीय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी सभा को दे दी होती, तो यह चर्चा अधिक उपयोगी हो ती।

यह बोर्ड डाक तथा तार विभाग को अच्छी तरह चलाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। ध्यान रहे कि कहीं यह बोर्ड अगली तरक्कियों के लिये साधनमात्र ही बन कर न रह जाये। बहुतों का ख्याल है कि जब निगम व बोर्ड आदि बनाये जाते हैं, तो ऐसी घटनायें बहुत होती हैं। अतः माननीय मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे इन बातों के प्रति काफी सावधानी बरतें।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं। सचिव मंत्रालय का केन्द्र होता है। यदि वह रोजाना के काम में दखल देने लगेगा, तो बोर्ड के सदस्य अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पायेंगे। इसका नतीजा बोर्ड के लिये लाभप्रद नहीं होगा।

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मेरा अनुभव यही है कि वे अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जहां तक टेलीफोन पर लाइन मिलने का सवाल है, मुझे तो हमेशा लाइन मिल जाती है। मैं अपने अनुभव से यही कह सकता हूं कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं। कर्मचारियों की निन्दा हमें नहीं करनी चाहिये। एक डाकिया भी अपने फर्ज को अच्छी तरह पूरा करता है। ऐसी स्थिति में उनकी बुराई करना उन्हें हतोत्साहित करना होगा।

डाक तथा तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ की संदस्यता को सरकार ने स्वीकार किया है। अतः मेरा निवेदन है कि बोर्ड में उनका भी एक प्रतिनिधि रखा जाये ताकि यदि कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग न हो तो उनके प्रतिनिधि को उत्तरदायी ठहराया जाये। उनका प्रतिनिधि उनसे मांग करेगा कि वे अच्छा काम करें, लोगों से सहयोग करें और अच्छा नाम कमायें।

कानपुर के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। कानपुर में डाक तार के लिये एक नया भवन बनाने का निर्णय हो गया है। पुराना भवन इतनी खराब अवस्था में है कि किसी भी समय नष्ट हो सकता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री स्वयं इस भवन का निरीक्षण कर लें और नया भवन शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बोर्ड का स्वागत करता हूं। मैं उन कर्मचारियों की ओर से माननीय मन्त्री को आश्वासन देता हूं कि कर्मचारी अपना पूरा सहयोग इस बोर्ड तथा सरकार को देंगे। माननीय मंत्री ध्यान रखें कि कर्मचारियों को भी इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है।

डा० प० सुब्बरायन : मुझे इस चर्चा से बहुत खुशी हुई क्योंकि इस से वे बातें प्रकाश में आ गई जो श्री हरिश्चन्द्र माथुर तथा अन्य सदस्यों के दिमाग में थी। मैं उन्हें सब से पहिले यह बता

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० प० सुब्बरायन]

देना चाहता हूं कि डाक तथा तार बोर्ड को बहुत अधिक स्वायत्तता मिलेगी। सचिव के उल्लेख का तात्पर्य केवल यह बताना था कि नीति सम्बन्धी मामलों में डाक तथा तार बोर्ड के निर्णय सचिव के माध्यम से ही मंत्री के पास जायेंगे। सचिव का कार्य यही होता है और जब तक संचार मंत्रालय में कोई सचिव है उसको यह मालूम होना ही चाहिए कि विभाग की नीति क्या है और सरकार को क्या निर्णय करना है। यदि उसे इसकी जानकारी नहीं होगी तो वह मंत्री को परामर्श नहीं दे सकेगा। उस परामर्श को मानना या न मानना मंत्री पर निर्भर है परन्तु साथ ही मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भारत सरकार के सचिव के पद के महत्व को कम नहीं कर सकते।

रेलवे बोर्ड का कार्य सर्वथा भिन्न प्रकार स होता है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन रेलवे मंत्रालय का सचिव भी होता है। यहां ऐसा नहीं है क्योंकि जैसा मैं ने घोषणा के समय बताया था हम रेलवे की तरह पृथक बजट नहीं रख सकते और डाक तथा तार बजट को सामान्य बजट से अलग नहीं कर सकते। जब तक यह वित्तीय नियंत्रण रहता है हमें उन मामलों में वित्त मंत्रालय तक जाना होगा जिन्हें वित्त मंत्रालय बोर्ड की शक्तियों से परे समझता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे कहने का मतलब यह था कि बोर्ड का चेयरमैन मंत्रालय का सचिव ही क्यों नहीं हो सकता ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : इस समय संचार मंत्रालय से अनेक मामले सम्बन्धित हैं केवल डाक तथा तार ही नहीं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस समय सचिव को वैसा ही रहने दें जैसा कि अभी चल रहा है। यदि नये डाक तथा तार बोर्ड के कार्य संचालन के दौरान हम यह देखेंगे कि सचिव के बिना काम चल सकता है तो उस पर विचार किया जायेगा। परन्तु यह कोई निश्चित आश्वासन नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य इसे वचन समझ कर कल को यह नहीं कह सकते कि आपने वैसा नहीं किया।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हम इसके कारण जानना चाहते हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : उसके बनाये रखने का कारण यही है कि यह कार्य नया है और हम चाहते हैं कि यह प्रणाली तब तक बनी रहे जब तक हमें डाक तथा तार बोर्ड के कार्यकरण का अनुभव न हो जाय।

†**श्री हेम बरुआ** : बजट अलग करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : बजट अलग करना केवल मेरे हाथ में नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार का कार्य सम्मिलित रूप से होता है और निर्णय करना सरकार के हाथ में है। कम से कम वर्तमान स्थिति तो यही है कि डाक तथा तार विभाग का कोई अलग बजट नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि तार तथा दूर संचार की अपेक्षा डाक विभाग घाटे में चल रहा है। परन्तु मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार गत वर्ष डाक विभाग को १३० लाख रुपये का लाभ हुआ; टेलीफोन विभाग को अवश्य ५२३ लाख रुपये का लाभ हुआ जो बहुत अधिक है; दूसरी ओर तार विभाग को ६ लाख रुपये का घाटा हुआ और रेडियो के विभाग को ५.५ लाख

---

†मूल अंग्रेजी में

रुपये का घाटा रहा। इस प्रकार गत वर्ष इस विभाग के संचालन से सरकार को कुल मिलाकर ६४२ लाख रुपये का लाभ हुआ। इस वर्ष इतना लाभ नहीं होगा। इस वर्ष के लाभ का अनुमान लगभग ५ करोड़ रुपये का है। इसलिए मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य की यह बात सही है कि डाक विभाग घाटे पर चल रहा है।

आप देखेंगे कि नये डाक तथा तार बोर्ड की स्वायत्तता इस कारण होगी कि नये नियमों के अन्तर्गत यह ५० लाख रुपये तक की लागत के निर्माण कार्यों की मंजूरी दे सकेगा।

†**श्री अ० चं० गुह** : डाक तथा तार विभाग के महासंचालक अभी कितना खर्च कर सकते हैं?

†**डा० प० सुब्बरायन** : महासंचालक ५ लाख रुपये तक व्यय कर सकते हैं। इससे अधिक के लिए उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब बोर्ड को ५० लाख रुपये तक खर्च करने की शक्ति दी गई है परन्तु साथ ही यह उपबन्ध भी है कि यदि वित्तीय आयुक्त उस व्यय को ठीक नहीं समझता है तो बोर्ड को वह मामला सचिव के माध्यम से संचार मंत्रालय को निर्दिष्ट करना होगा और मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा परन्तु यदि वित्तीय आयुक्त यह समझता है कि उस मामले पर वित्त मंत्री की सहमति ली जानी चाहिए तो वैसा किया जायेगा। इस प्रकार नये बोर्ड को कुछ हद तक स्वायत्तता दी जा रही है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह स्वायत्तता नहीं है वरन् शक्तियों का प्रत्यायोजन मात्र है। इस प्रकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन तो विभागीय प्रधानों को भी किया गया है।

†**डा० प० सुब्बारायन** : यह ठीक है कि यह शक्तियों का प्रत्यायोजन है परन्तु यह प्रत्यायोजन वास्तविक है काल्पनिक नहीं जैसा माननीय सदस्य समझ रहे हैं।

[**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** पीठासीन हुए]

†**श्री हेम बरुआ** : यदि वित्त सदस्य बोर्ड के सामूहिक विचार से सहमत नहीं होता तो बोर्ड की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है।

†**डा० प० सुब्बारायन** : इस अर्थ में वास्तव में यह बात ठीक है क्योंकि वित्त सदस्य वित्त मंत्रालय की ओर से अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखता है; अन्यथा वित्त मंत्रालय की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। सब लोग अपना काम स्वयं चला सकते हैं। इसी कारण वित्त मंत्रालय को यह नियंत्रण शक्ति दी गई है। वह उसका अनुचित प्रयोग नहीं करता है। यदि वह अनुचित प्रयोग करे तो सरकार कैसे चल सकती है? वास्तव में वित्त मंत्रालय प्रहरी का कार्य करता है और उसमें जो लोग होते हैं वे किसी बात में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।

जैसा मैं ने बताया डाक तथा तार विभाग के महासंचालक कुछ मामलों में सीधे मंत्री के पास जा सकेंगे सचिव के माध्यम से नहीं और मंत्री का आदेश अन्तिम होगा। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि यदि मंत्री यह समझता है कि डाक तथा तार बोर्ड का निर्णय सही है तो वह बोर्ड के प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। परन्तु साथ ही माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि इस विभाग के कार्यकरण के सम्बन्ध में संसद् के प्रति केवल मैं ही उत्तरदायी हूं। इसलिए जब तक मुझे बोर्ड के दैनिक कार्य की जानकारी नहीं होगी मैं माननीय सदस्यों को यह नहीं बता सकूंगा कि क्या हो रहा है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** हम मंत्री को नही वरन् सचिव को बीच में से हटाना चाहते हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन :** कुछ मामलों में महासंचालक और मंत्री का सीधा सम्पर्क होगा परन्तु मैं समझता हूं कि नीति सम्बन्धी मामलों में जब तक सचिव विद्यमान है उसे संचार सचिव के माध्यम से ही आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि संचार सचिव बोर्ड के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करेगा। सचिव स्वयं काम जानता है और इस प्रकार की कोई बात नहीं करेगा।

†**सभापति महोदय :** क्या महासंचालक मंत्रालय के सचिव के स्तर का होता है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** वह सचिव के स्तर का नही वरन् अतिरिक्त (संयुक्त) सचिव के स्तर का है। संचार सचिव अभी भी सम्बन्धित विभाग का सचिव ही है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या बोर्ड को नीति निर्धारित की शक्ति प्राप्त है ?

†**सभापति महोदय :** महासंचालक सीधे मंत्री के पास कैसे जा सकता है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** बोर्ड मंत्री के अनुमोदन के अधीनस्थ नीति निर्धारण कर सकता है। इसलिए केवल मंत्री ही बोर्ड और उसकी नीतियों के बीच में आता है, अन्य कोई भी नहीं। जहां तक महासंचालक के मंत्री से मिलने का प्रश्न है कुछ मामलों में वह मंत्री से सीधे मिल सकता है, दूसरों में नहीं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या बोर्ड द्वारा नीति के निर्धारण के पश्चात् उसका मंत्री को अनुमोदनहेतु निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** निस्संदेह, अन्यथा मेरा उत्तरदायित्व क्या रह जाएगा ?

मैं श्री ब्रजराज सिंह और श्री भक्त दर्शन का अत्यन्त कृतज्ञ हूं क्योंकि पहले सज्जन ने मेरे कहने के अनुसार अंग्रेजी में भाषण दिया और दूसरे सज्जन ने अपनी बातों का सारांश मुझे अंग्रेजी में बता दिया। मैं मानता हूं कि सब लोगों का अपनी मातृभाषा में बोलने की इच्छा रखना स्वाभाविक है। परन्तु यदि मैं भी उसके अनुसार तामिल में भाषण देने लगूं तो माननीय सदस्य क्या समझ सकेंगे ? परन्तु मैं वैसा करूंगा नहीं क्योंकि हमारी राजभाषा १९६५ तक अंग्रेजी ही रहेगी। उसके बाद भी वह सहायक भाषा के रूप में बहुत समय तक कायम रहेगी।

मुझे बोर्ड के निर्माण के संबंध में इस चर्चा और माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से बहुत खुशी हुई। मैं समझता हूं कि बोर्ड के ५–६ महीने के कार्यकरण के बाद ही हम उसके असर को जान सकेंगे।

टेलीफोन आपरेटरों के संबंध में अनेक शिकायतें की गई हैं कि वे काम ठीक नहीं करते। मुझे भी इसका व्यक्तिगत अनुभव है। मैं यह नहीं बताता हूं कि मैं मंत्री हूं वरन् केवल नम्बर बता देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मंत्री कह देने पर उनका व्यवहार ऐसा नहीं होगा। मैंने संबंधित अधिकारियों से प्रणाली में शीघ्रता लाने के लिए कहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अधिकारीगण भी इसका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि टेली-

---

†मूल अंग्रेजी में

फोन सेवा में सुधार हो विशेषकर जबकि उससे हमें लाभ हो रहा है। मैं समझता हूं कि लाभकारी सेवा होने के कारण हमें उन लोगों को संतुष्ट रखना चाहिए जिनसे हमारी आमदनी होती है ताकि उसमें दिन प्रति दिन वृद्धि होती रहे। मुझे आशा है कि टेलीफोन आपरेटर भविष्य में अधिक शिष्ठता से कार्य करेंगे। साथ ही हमें भी यह समझना चाहिए कि उनका कार्य किस प्रकार का है। रात के समय जागकर काम करना वास्तव में कठिन है। इसलिए हमें भी तनिक धैर्य रखना चाहिए।

जैसा मैं कह चुका हूं बोर्ड के कार्यकरण के प्रारम्भ होने के बाद ही हमें यह मालूम हो सकेगा कि वह कैसा रहता है। यदि किन्हीं सुधारों की आवश्यकता होगी तो श्री माथुर जैसे माननीय सदस्य चुप नहीं रहेंगे। वे अवश्य ही कोई संकल्प प्रस्तुत करेंगे और हम सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। मैं आशा करता हूं कि बोर्ड इस प्रकार कार्य करेगा जिससे जनता संतुष्ट हो सके।

जहां तक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के लिए जाने का प्रश्न है मैं समझता हूं कि अभी उसके लिए उपयुक्त समय नहीं आया है। अभी उन लोगों को उतना प्रविधिक ज्ञान नहीं है जितना बोर्ड के कार्य के लिए आवश्यक है। इसलिए अभी उन्हें सम्मिलित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैं श्री शर्मा को नए बोर्ड का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

†**श्री भक्त दर्शन :** माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि इस बोर्ड की स्थापना से विभाग के निर्माण कार्यक्रम में क्या सहायता मिलेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** जैसा कि मैं कह चुका हूं इस मामले की चर्चा करके ही निष्कर्ष निकालने होंगे। मैंने इस विषय का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि उसका संबंध निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से है। यदि श्री भक्त दर्शन ने पहले सूचना दी होती तो मैं अपने सहयोगी निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री से उपस्थित रहने के लिए कह देता। मैं अभी उसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैंने यह विषय इसलिए उठाया था कि माननीय मंत्री को डाक तथा बोर्ड की स्थापना के संबंध में सभा के माननीय सदस्यों के विचार मालूम हो जायें और वह उनसे लाभ उठा सकें। मैं आशा करता हूं कि जो विचार यहां वयक्त किए गए हैं उनके आधार पर माननीय मंत्री अपने निर्णय का पुनरीक्षण करेंगे। मेरा विचार है कि सचिवालय का कायम रखना ठीक नहीं है तथा वह प्रगति के मार्ग में बाधक होगा। माननीय मित्र सचिवालय को कायम रखने के पक्ष में एक भी तर्क नहीं दे सके हैं। संभवतः वह वैसा करने में डरते हैं, मेरा निवेदन है कि जब हम गतिशीलता की बात करते हैं तो हमें कुछ साहस का संचय भी करना चाहिए।

मेरे विचार से इस बोर्ड से कोई लाभ नहीं होगा। बोर्ड का सभापति डाक तथा तार का महा-संचालक होगा। वह विभागीय प्रधान भी रहेगा और बोर्ड का सभापति भी। इस प्रकार की स्थिति से कोई भी लाभ नहीं हो सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

जहां तक डाक तथा तार के पृथक्करण का प्रश्न है श्री भक्त दर्शन ने कहा कि दोनों एक शरीर के अंग हैं। मेरा निवेदन है कि यह बात ठीक नहीं है। वे एक शरीर के अंग इसलिए मालूम होते हैं कि बहुत समय से एक विभाग में संयुक्त हैं। माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि ब्रिटेन को छोड़कर संसार के समस्त देशों में वे पृथक-पृथक विभाग हैं। यदि आप प्रौद्योगिक प्रगति चाहते हैं तो उन विभागों का अलग किया जाना बहुत आवश्यक है। खेद है कि माननीय मंत्री ने इस विषय का उल्लेख तक नहीं किया।

जहां तक सचिवालय का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि जीवन बीमा निगम का मामला इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सचिव किस प्रकार अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। जब सचिव बोर्ड के दैनिक कार्य को देखेगा तो फिर बोर्ड की स्वायत्तता क्या रह जाएगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसके संबंध में पुनर्विचार करें।

माननीय मंत्री ने हाल ही में अपने विभाग का कार्य-भार ग्रहण किया है। मेरा विचार है कि इस विषय में पर्याप्त विचार नहीं हुआ है और जल्दबाजी में यह निर्णय किया गया है। यह विषय ऐसा है जिस पर कैबिनेट द्वारा विचार किया जाना चाहिए। ब्रिटेन में पोस्ट मास्टर जनरल कैबिनेट के स्तर का होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भी उसका मंत्री से सीधा सम्पर्क हो और किसी अन्य व्यक्ति को बीच में नहीं आना चाहिए।

माननीय मंत्री किसी भी प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दे सके हैं। न तो वह अन्य मंत्रालयों के साथ अपना संबंध बता सके और न निर्माण कार्यक्रम पर प्रकाश डाल सके। उन्हें तैयार होकर आना चाहिए था ताकि सब बातें बता सकते। ऐसी स्थिति में तो मेरा और कुछ कहना निरर्थक ही होगा।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा परिवहन तथा संचार मंत्री द्वारा डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना के बारे में ११ सितम्बर, १९५९ को सभा में दिए गए वक्तव्य पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, ४ दिसम्बर, १९५९/१३ अग्रहायण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[गुरुवार, ३ दिसम्बर, १९५९
१२ अग्रहायण, १८८१ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	१४८७-१५११
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४४	वातानुकूलित श्रेणी का रेलवे किराया . .	१४८७
५४५	उड़ीसा में चीनी के सहकारी कारखाने .	४८८-८९
५४७	डीज़ल तथा विद्युत चालित रेलवे इंजन . .	१४८९-९१
५४८	अन्दमान द्वीपसमूह में आरा मिल . .	१४९२–९३
५४९	ड्राई फ्रीज़ बी०सी०जी० के टीके . .	१४९४-९५
५५०	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण .	१४९५-९८
५५१	बर्मा से चावल की खरीद .	१४९८–१५००
५५२	बद्रीनाथ सड़क पर विश्राम-गृह . .	१५००-०४
५५३	रेल के इंजनों, माल-डिब्बों और सवारी-डिब्बों का निर्यात .	१५०४-०९
५५४	राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिये रेल किराये में रियायतें	१५०९–०९
५५५	केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव रोकने का कार्य	१५०९–९
५५६	गोबर की गैस बनाने का संयंत्र . . .	१५०९-१०
५५९	टेलीफोन के कनेक्शन . . .	१५१ -११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	१५११–६३
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४६	वातानुकूलित गलियारेदार गाड़ियां . .	१५११
५५७	गाज़ीपुर के पास गंगा नदी पर पुल . .	१५११
५५८	कुर्डूवाडी–मिराज–लटूर लाइन . . .	१५१२
५६०	अनाजों का नष्ट होना .	१५१२
५६१	गाड़ियों की रफ्तार	१५१२-१३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

५६२	दिल्ली में स्कूटरों का किराया .	१५१३
५६३	वाइकिंग विमान . .	१५१४
५६४	विभागीय भोजन व्यवस्था	१५१४
५६५	कलिंग एयर लाइन्स	१५१५
५६६	पश्चिमी जर्मनी द्वारा भारत में यंत्रीकृत फार्मों की स्थापना .	१५१५
५६७	अनुसूचित जाति के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति . .	१५१५-१६
५६८	यूगोस्लाविया में सामुदायिक विकास पद्धति का अध्ययन .	१५१६
५६९	फ्रंटियर मेल में आग	१५१७
५७०	भाखड़ा में श्रमिकों की छंटनी . . .	१५१७
५७१	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन डिस्पेंसरियों के लिये इमारतें	१५१७-१८
५७२	खजुरिया घाट सिलीगुड़ी लाइन	१५१८
५७३	वनस्पति	१५१८-१९
५७४	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . .	१५१९
५७५	मिला-जुला आटा	१५१९-२०
५७६	नाइजीरिया के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण सुविधायें . .	१५२०
५७७	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के लिये प्रतिकर योजना .	१५२०
५७८	दिल्ली में पश्चिमी यमुना नहर	१५२१
५७९	चिपलिया बिजली घर	१५२१
५८०	"बालारी बार" प्रयोग	१५२१–२२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८३७	टेलीफोन कॉल के लिये टोकिनों का निर्माण . .	१५२२
८३८	पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . . .	१५२२
८३९	चर्खी दादरी में टेलीफोन	१५२२-२३
८४०	बम्बई राज्य के लिये डाक तथा तार बोर्ड और समितियों .	१५२३
८४१	औरंगाबाद में डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर . .	१५२३-२४
८४२	अमरीकी नौवहन सेवाओं द्वारा ढोआ गया माल . .	१५२४
८४३	तम्बाकू	१५२४-२५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८४४ पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर रेलगाड़ी का लाइन से उतरना १५२५
८४५ रेलवे में संवरण पद १५२५–२६
८४६ टाइफाइड १५२६
८४७ पंजाब से चावल का निर्यात . . . १५२६–२७
८४८ लाख उत्पादन १५२७
८४९ सूखे दूध के कारखाने १५२७–२८
८५० हिमाचल प्रदेश में मोटर दुर्घटनायें . . . १५२८–२९
८५१ सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली १५२९–३०
८५२ उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान व मृगवन . १५३०
८५३ सहकारी ऋण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति . १५३०
८५४ मानसिक स्वास्थ्य सेवायें १५३१
८५५ चीनी का भाव १५३१
८५६ नगर आयोजन सम्बन्धी आदर्श विधान . . . १५३१–३२
८५७ पोतों की मरम्मत की सुविधायें १५३२
८५८ पश्चिमी जर्मनी का कृषि प्रतिनिधिमण्डल . . . १५३२
८५९ राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड १५३२–३३
८६० ठेकेदारों को भुगतान में विलम्ब १५३३
८६१ उड़ीसा में बौद्ध केन्द्रों के लिये पक्की सड़क . . १५३४
८६२ नई दिल्ली में बाल वाटिका, तैरने का तालाब आदि . . १५३४–३५
८६३ छोटी दुर्घटनायें और रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना १५३५–३६
८६४ अमरीकी विकास ऋण निधि में से रेलों के लिये ऋण . . १५३६
८६५ मनीपुर स्टेट कोआपरेटिव बैंक १५३६–३७
८६६ मनीपुर शीर्ष सहकारी विपणन समिति . . १५३७
८६७ भुंटार में हवाई पट्टी १५३७
८६८ डिङ्गी आक्रमण १५३७–३८
८६९ पंजाब के गांवों में बिजली १५३८
८७० अण्डमान के वन १५३८–३९
८७१ अण्डमान के वन १५४०
८७२ अण्डमान के वन १५४०–४१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८७३	अण्डमान की लकड़ी	१५४१
८७४	अन्डमान की इमारती लकड़ी	१५४१–४२
८७५	ग्रांड ट्रंक रोड	१५४२
८७६	रेलवे गणवेश समिति	१५४२
८७७	दिल्ली में दुर्घटनायें	१५४३
८७८	टेलीफोन कनेक्शनों के लिये तार . . .	१५४३
८७९	पूर्वोत्तर सीमान्त रेल पर रेलवे के पुल . . .	१५४३–४४
८८०	कथ	१५४४
८८१	औषधीय जड़ी-बूटियों का विकास . . .	१५४४
८८२	पंजाब में कुक्कुट पालन केन्द्र	१५४४–४५
८८३	त्रिपुरा में भूमि विहीन कृषि मजदूरों की बस्ती . .	१५४५
८८४	पश्चिमी बंगाल में नयी रेलवे लाइन . . .	१५४५–४६
८८५	भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई . .	१५४६
८८६	बिहार को ऋण . . .	१५४६ ४७
८८७	गोदाम योजनायें	१५४७
८८८	आसनसोल डिवीजन में रेल दुर्घटना . . .	१५४७–४८
८८९	स्टेशनों पर लॉकर	१५४८
८९०	ग्राम्य जल संभरण योजनायें	१५४८
८९१	इम्फाल नगर का अव्यवस्थित विस्तार . . .	१५४८–४९
८९२	डाक तथा तार सर्कल, पश्चिमी बंगाल . . .	१५४९
८९३	बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के डाक तथा तार कर्मचारियों को पेशगी वेतन .	१५४९
८९४	किंग इन्स्टीट्यूट—गिंडी . .	१५४९–५०
८९५	बकरी का दूध	१५५०–५१
८९६	एस० एस० स्ट्रेयेर्ड पर पोत कर्मचारियों में झगड़ा .	१५५१
८९७	बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खण्ड . . .	१ ५१
८९८	दक्षिण पूर्व रेलवे में भर्ती	१५५२
८९९	उड़ीसा डाक सर्किल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की भर्ती . .	१५५२
९००	खंड विकास यूनिट . . .	१५५३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
६०१	वन्य पशु परिक्षण योजना	१५५३
६०२	त्रिपुरा में चीनी का भाव	१५५३
६०३	त्रिपुरा में मछली पालने के तालाब	१५५३–५४
६०४	त्रिपुरा में सहकारी समितियां	१५५४
६०५	त्रिपुरा की खाद्य परामर्शदात्री समिति	१५५४–५५
६०६	विनय नगर रेलवे स्टेशन पर पुल	१५५६
६०७	परिवार नियोजन	१५५६
६०८	रोड़ (हिमाचल प्रदेश) में बिजली पैदा करने की योजना	१५५७
६०९	विश्व कृषि मेला	१५५६
६१०	पूर्वोत्तर-सीमान्त रेलवे के पहाड़ी सेक्शन में दुर्घटनायें	१५५७
६११	डाक घर	१५५७–५८
६१२	आन्ध्र प्रदेश में नये टेलीफोन कनेक्शन	१५५९
६१३	रात्रि विमान डाक सेवा	१५५९
६१४	डाक घरों में कर्मचारियों का स्थायीकरण	१५५९–६०
६१५	मन्माड में पुल इंजीनियरिंग कर्मशाला	१५६०
६१६	मन्माड में ऊपरी पुल	१५६१
६१७	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन	१५६१–६२
६१८	शिलांग में हवाई पट्टी	१५६२
६१९	वायु-मार्ग	१५६२
६२०	रेलवे दुर्घटना	१५६२–६३
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१५६५

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक २३ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या एफ १२(८०)/५८-एम० टी/होम की एक प्रति।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ४ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८४ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से संदेश १५६५

सभापति ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :—

(१) कि राज्य सभा ने अपनी ३० नवम्बर, १९५९ की बैठक में लोक सभा द्वारा १७ नवम्बर, १९५९ को पारित किये गये शस्त्र विधेयक, १९५९ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि राज्य सभा ने अपनी १ दिसम्बर, १९५९ की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा २४ नवम्बर, १९५९ को पारित किये गये हज समिति विधेयक, १९५९ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १५६५—६७

श्री वाजपेयी ने वृहत् दिल्ली योजना की पूर्ति के लिए लगभग पैंतीस हजार एकड़ भूमि के अर्जन की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया । स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने उस संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

विधेयक-पुरस्थापित—

(१) केरल विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५९ ।

(२) चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधयक, १९५९ ।

(३) मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश के बारे में विवरण १५६७—६८

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश, १९५९ द्वारा तत्काल विधान बनाने की परिस्थितियों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा ।

विधेयक-संयुक्त समिति को सौंपा गया १५६८—८६

विधि व्यवसायी विधेयक, १९५९ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक-विचाराधीन १५८६—८८

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) ने प्रस्ताव किया कि दहेज निषेध विधेयक पर पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना के बारे में प्रस्ताव १५८८–१६००

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने प्रस्ताव किया कि सभा, परिवहन तथा संचार मंत्री द्वारा डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना के बारे में ११ सितम्बर, १९५९ को दि गये, वक्तव्य पर विचार करे। कुछ चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शुक्रवार, ४ दिसम्बर, १९५९/१३ अग्रहायण १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

(१) केरल विनियोग (संख्या २) विधेयक; १९५९ पर और (२) दहेज रोक विधेयक, पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार तथा उन्हें पारित करना और श्री दी० चं० शर्मा के देश के प्रशासन के पुनर्गठन सम्बन्धी संकल्प और दूसरे गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर भी विचार।